The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

Environmental Degradation and Sustainable Development

Prof. Rekha
Professor & Head,
Department of Sociology,
Mahatma Gandhi KashiVidya[ith, Varanasi

Environment as the term itself indicates anything that surrounds or environs us. Environment is thus not a simple but a complex phenomenon and consists of various forms such as physical environment, biological environment, social environment and supra-social environment. The physical environment consists of the geographical, the climate and the controlled geographical environments. It covers of all the abiotic elements of nature that is all the nonliving elements of nature, such as land, water and air.Physical environment derives most of its energy from the sun. The biological environment includes the plant and animals. The social environment consists of three kinds of environment ; economic, cultural and psycho-social environment. The supra-social environment consists of the nation regarding God or supernatural power.[1]

Aim of the Article

Environmental problems are multidisciplinary in nature. Some problems are global and regional while some are local. This article is an attempt to study the environmental degradation and sustainable development. It also consists India's major environmental problems and suggests changes in policies for sustainable development in India. This article also focuses on the effect of environmental degradation upon human well-being and other health aspects.

Environment

The **Environment** refers to the totality of resources and the total planetary inheritance we have received. It includes abiotic and biotic (animals, plants, birds etc.) components. It explains the inter-relationship that exits between the abiotic and biotic components.[2]

According to A Gowdi, 'Environment is the representative of physical components of the earth wherein man is an important factor affecting the environment'.[3]

Environmental Degradation

The Literal meaning of Environmental Degradation is decrease in the quality of environment. In other words it refers a visible reduction in the availability of goods and services from the physical environment and the renewable natural resources base.[4]

Environmental degradation is the deterioration in environmental quality occurring from ambient concentration of pollutant and other activities and processes such as improper land use and natural disasters.[5]

Environmental degradation may be defined as 'the unfavourable alternation of our surroundings wholly or partially as a by-product of man's actions through direct or indirect

effects of changes in energy – pattern, radiation level, chemical and physical constitution and abundance of organism.

Environmental degradation is defined as 'the addition of extraneous materials (inorganic, biological and radiological) to water, air or land which adversely affect the natural quality of environment.'

One of the earliest attempts to describe the role of multiple factors related to human society in determining environmental degradation was IPAT Equation. Paul Ehrlich and John Holdren proposed the equation.[6]

I = PAT

I = Environmental Impact

P = Ever Increasing Population

A = Per Capita Affluence

T = Resources depletion due to pollution technology

Factors responsible for environmental degradation

1. Population explosion :

One of the main cause of environmental degradation is the tendency of population explosion in India. As a result of it, pressure of population on land has increased very much and land is being exploited ruthlessly. Population explosion has caused large scale deforestation as ever increasing new population constantly need more and more land. – for; agriculture and for construction of houses.

2. Increase in Poverty

Number of persons living the below poverty line is very large in India. Large number of people living under poverty line put extra pressure on all types of natural resource. Many communities are directly dependent on local natural resources for their day to day existence.

3. Increasing Urbanisation

Tendency of urbanization has gained momentum after Independence. As a result, demand for houses and other public amenities has increased tremendously. To meet this increasing demand, land and other natural resources have been excessively exploited.

4. Modernisation of Agriculture

Consequent upon modernization of agriculture, effect of chemical fertilisers and pesticides has increased very much. It has also contributed to the rise in population. Excessive use of pesticides and fertilizers has, on the one hand, contributed greatly in substantial increase in crop production, but on the other hand, has caused land degradation too. But in overall scenario, modernization of agriculture provide sustained high level of food availability, essential to sustain ever increasing population.

5. More Rapid Industrialisation

After independence, Indian economy has witnessed rapid industrialization. It has added to air pollution, water pollution and noise pollution.[7]

Effects of Environmental Degradation

1. Loss of Biodiversity

Biodiversity is important for maintaining balance of the ecosystem in the form of combating pollution, restoring nutrients, minerals, protecting water source and stabilizing climate, global warming.Over-population and pollution are few of the major causes for loss of biodiversity.

2. Ozone Layer Depletion

Ozone layer is responsible for protecting earth from ultra-violet rays. The presence of CFCS, hydro CFCs in the atmosphere is causing harm to this ozone layer and as a result of this it is emitting harmful radiation back to the earth.

3. Loss for tourism industry

Environmental degradation in the form of loss of green cover, loss of biodiversity, huge landfills, increased air and water pollution can be a big turn off for most of the tourists[8]. Thus environmental degradation can be a cause for loss in tourism industry

4. Global Warming

It refers to the gradual increase in the lower temperature of the earth. The main cause of global warming is recognised to be the increase/release of greenhouse gases like Co_2 into the atmosphere. These gases in earth's atmosphere work like the glass in greenhouse, trapping the sun's heat in atmosphere by preventing it from leaking back into space. Other causesare deforestation and burning of fossil fuels like coal and petroleum. Global warming has led to melting of polar ice caps and an average increase in temperature all over the world.

Initsreports, 'WTO : The Need for Environmental Cooperation 1999' explained some of the main findings for degradation of environment, which are as follows[9] :

1. Most of the environmental problems are result from polluting production processes, certain kinds of consumption and the disposal of waste products.
2. Environmental degradation is increasing constantly because producers and consumers are not always required to pay for the cost of their actions.
3. Environmental degradation is sometimes accounted by policy failure including subsidies to pollution and resources degradation activities.
4. Environmental degradation is the result of minor regulation for most polluted industries.

Measures to save the Environment

- Afforestation
- Mixed crops orcrop rotation
- Drip irrigation
- Stocking your land
- Purchased recycled product
- Conserve water
- Conserve energy
- Be an advocate to save our planet through sustainable development.[10]

Sustainable Development

The idea of environmental conservation gains real momentum if we are able to conserve resources and use them in a manner that they are sufficiently available for the coming generation as well.

The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) defines this by using the concept of sustainable development. It explains sustainable development as process that provides for the present generation without compromising on the needs of the future generation.[11]

The World Commission on Environment and Development (WCED) 1987, headed by Brundtland defined sustainable development 'Development that meets the needs of the present without compromising the availability of future generation's to meet their own needs' (Brundtland Commission Report, 1987),[12]

In Economics terms sustainable development is defined as, 'Economic System in which number of people and the quantity of goals are maintained at same constant level, which is ecologically sustainable overtime and meet at least basic needs of total population'.

Sustainable development term coined in 1972 at the United Nation Conference on Human Environment at Stockholm. The most important piece of writing on sustainable development is in the publication by WCED in 1987 titled 'Ourcommonfuture'.[13]

In 1992 at the Earth Summit at Rio-De-Janerio, 170 countries signed many important documents on sustainable development pledging preservation of environment.

'Agenda 21 or Rio-De-Janerio was held at Rio Declaration on Environment and development having 27 principles and mostly related on sustainable development and environmental degradation and some principles were concerned on sustainable development'.

Johannesburg declaration on sustainable development and plan an implementation stated, 'To reverse the current trend in natural resource degradation as soon as possible, it is necessary to implement strategies which should include target adopted at the national and where appropriate, regional levels to protect ecosystems and to achieve integrated management of land, water and the living resources, while strengthening regional, national and local capacities'. (Johannesburg declaration An Sustainable development, 2002).[14]

Sustainable Development Goals (SDGs)

In September 2015, the United Nations General Assembly formally adopted the 'Universal, integrated and Transformative' 2030 Agenda for Sustainable Development, a set of Sustainable Development goals (SDGs),. The goals are to be implemented and achieved from 2016 to 2030.[15]

(i) No Poverty
(ii) Zero Hunger
(iii) Good Health & Well Being
(iv) Quality Education
(v) Gender Equality
(vi) Clean Water & Sanitation
(vii) Affordable Clean Energy

(viii) Decent Work & Economic Growth
(ix) Industry, Innovation and Infra-Structure
(x) Reduced Inequalities
(xi) Responsible Consumption and Production
(xii) Sustainable Cities and Communities
(xiii) Climate Action
(xiv) Life Below Water
(xv) Life and Land
(xvi) Peace, Justice & Strong Institution
(xvii) Partnership for the Goals

Education for Sustainable Development (ESD)

ESD is defined as education that encourages changes in knowledge, skills, values and attitude to enable a more sustainable and equitable society. ESD aims to empower and equip current and future generations to meet their needs using a believed and integrated approach to the economic, social and environmental dimensions of sustainable development.

Need for Sustainable Development

There are several challenges that need attention in arena of economic development and environmental depletion. Hence the idea of sustainable development is essential to address the following issues.

- To prevent the environmental degradation
- To ensure a safe human life.
- To check the exploitative technology and find alternative sources
- To check the over exploitation and wastage of natural resources
- To regenerate renewable energy resources.

The concept of sustainable development is based on following principles.

- Integration of environment and economic decision
- Humans as the caretaker of environment.
- Shared responsibility, accountability and decision making.
- Prevention and mitigation
- Conservation
- Waste minimization
- Enhancement of productivity, capability
- Quality of nature and human life rehabilitation and reclamation
- Scientific and technology innovation.[16]

Environmental Sustainability

The ecologically stability of human settlements is part of relationship between human and their natural, social and built environments. Also termed human ecology, this broadens the focus of sustainable development to include the domain of human health. Environment sustainability concerns the natural environment and how it endures and remains diverse and productive since natural resources are derived from the environment, the state of air, water and the climate are of

particular concern. Environmental sustainability requires society to design activities to meet human needs while preserving the life support systems of planet.

Sustainability requires that human activity only use natural, resources at a rate at which they can be replenished naturally. Inherently the concept of sustainable development isrelated with the concept of carrying capacity. Theoretically, the long term result of environmental degradation is the inability to sustain human life. Such degradation on a global scale implies an increase in human death rate. If the degradation continues beyond a certain tipping point or critical threshold it would lead to eventual extinction for humanity.[17]

Consumption of Natural Resources	State of Environment	Sustainability
More than nature's ability to replenish	Environmental degradation	Not Sustainable
Equal to nature's ability to replenish	Environmental equilibrium	Steady state economy
Less than nature's ability to replenish	Environmental renewal	Environmentally sustainable

Organizations working for environmental sustainability

(1) **Bombay Natural History Society (BNHS)** : Largest NGO in Indian sub-continent engaged in nature conservation research since 1883, spreads awareness about the need to protect the environment and sustainable use of natural resources.

(2) **Centre for Science & Environment (CSE)** : Environmental NGO specializing in sustainable natural resource management ; based in New Delhi; believes in knowledge based activism to cope with India's environmental threats-ecological poverty, land degradation, toxicdegradation etc.

(3) **Green peace India**: India wing of the international non-profit organization ; activities ; discouraging genetic engineering, pronating peace, sawing the environment from pollution (eliminating toxic wastes, sawing the seal), pronating sustainable agricultural etc.

(4) **Wildlife Trust of India (WIT)** : Non-profit organization set up to prevent destruction of India's wildlife, especially endangered species (Tigers, Rhinos, Elephants) and threatened habitats ; aids research & projects, educates public, acquires land for wildlife conservation.

(5) **Central Pollution Control Board (CPCB)** : Statutory organization in New Delhi, pronating cleanliness of streams and wells and air by prevention, control & abatement of water & air pollution in the country ; provides technical services to Ministry of environment & forest, Government of India.

(6) **Kalpavriksh** : Non-profit organization working on environment& social issues ; an action group engaged in environmental awareness, campaigns, advocacy, litigation, wildlife conservation & animal right etc. (Offices : Pune & Delhi)

(7) National Environmental Engineering Research Institute (NEERT) :

Research Institute devoted to research & innovation in environmental science engineering besides solving a range of problems created by industry, government and public, part of CSIR ; areas include air pollution, climate change, environmental health.

(8) Navdanya :

Dr. Vandana Shiva's women centered movement for protection of biological & cultural diversity, a network of seed keeper organic producers in 17 states, offers training in seed & food sovereignty & sustainable agriculture & operatesBijaVidyapeeth.

(9) **SankatMochan Foundation (SMF) :**

Organization fighting to stop dumping of sewage in the Ganga since 1982, has proposed a wastewater management solution that will intercept & threat sewage from the city of Varanasi, conducts water quality research & public outreach campaigns.

(10) **Centre for Environment Research & Education (CERE) :**

Mumbai based organization that works on projects like rain water harvesting, water recycling, surveying environmental education, research etc., website have a directory of environmental resources In Mumbai.[18]

(B) Major Environment Politics & Legislation in India

(1) The Ministry of Environment & Forests : is thenodal agency in the administrative structure of the Central Government,for the planning, promotion, co-ordination and overseeing the implement tackle of environmental and forestry programmes. The ministry is also the Nodal agency in the country for the United Nations environment programmes (UNEO). The main activities undertaken by Ministry of Environment of forests, consist of conservation & survey of flora, fauna, forests & wildlife, prevention & control of pollution, afforested & regeneration of degraded areas and protection of environment and frame of legislation. The main tool utilized for this include surveys, impact assessment, control of pollution, regeneration programmes, support to organization, research to solve and creation of environmental awareness among all sector of the country's population.

(2) **The 'Central Pollution Control Board (CPCB) :**Statutory organizationwas constituted in September 1974 under the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Further, CPCB was entrusted with the powers and function under the Air (Prevention and control of pollution) Act, 1981. It serves as field formation and also provides technical services to the Ministry of Environment and forest of the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. Principal function of the CPCB as spelt out in the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, (i) To promote cleanliness of streams and wells in different areas of the states by prevention, control and Abatement of water pollution, and (ii) to improve the quality of air and to prevent or control air pollution.

(3) **Policy to protect environment in India**

(i) Environment protection Act, 1986.

(ii) National Conservation strategy and polity statement on environment & Development, 1992.

(iii) Policy statement for the Abatement of Pollution, 1992.

(iv) National Environment Policy 2006.

(v) Vision statement on environment and health.

(i) Environment Protection Act, 1986.

In the wake of Bhopal Tragedy the Government of India enacted the Environment (Protection) Act, 1986 (EPA) under article 253 of the constitution. The Purpose of the act is to act as an 'Umbrella legislation designed to provide a frame work for central government co-ordination of the activities of various central and state authorities established under previous law such as water Act & Air act. The potential scope of the act is broad, the 'environment' defined to include water, air and land and the inter-relations and which exist among water, air and land and human beings and other living creatures, plants, micro-organization and proper Environment Protection Rules were also enacted as a corollary to this act.

(ii) National conservation strategy and policy statement on environmentand development, 1992

National Conservation strategy and policy statement on environment and development are in response to the need for laying down the guidelines that will help to weave environmental considerations into the fabric of our national life and of our development process. It is expression of India's in unison with the environmental perspective. It talks about the nature and dimension of the environment problems, action taken in response to the problems and list out priorities and strategies for action. It also views development policies from environmental perspective and the support policies and system required.

(iii) Policy statement for the abatement of pollution, 1992

The objective of this document is to integrate environmental consideration into decision-making at all levels. To achieve this, document lays down steps to be taken to prevent pollution at source, encourage, develop and apply the best available practicable technical solutions.

The policy statement for abatement of pollution, adopted in 1992 lays emphasis on pollution prevention in place of the connectional end of the pipe treatment also identified the adoption of best available and practicable technologies as the key element for pollution prevention. The force of the various programme and schemes of the ministry and its associated organizations related to pollution prevention and control is on such issues such as promotion of clean and low waste technologies, waste minimization, reuse or recycling, improvement, of water quality, development of mass based standards, institutional and human resource development etc. the whole issue of pollution prevention and control is dealt with by a combination of command and control methods as well as voluntary regulations, fiscal measures, promotion of awareness etc.

(iv) National Environment policy, 2006

A diverse developing society, such as India provides numerous challenges in the economic, social, political, cultural and environmental arenas. All of these coalesce in the dominant imperative of alleviation of mass poverty, reckoned in the multiple dimension of lively hood security, health care, education, empowerment of disadvantages and elimination of gender disparities. The present national policies for environmental management are contained in the National conservation strategy and policy statement on Environment and development 1992. All

of these policies have recognized the need for sustainable development concerns in the sense of enhancement of human well-being broadly conceived, are a recurring these in India's development philosophy. The national Environment policy is also a response to India's commitment to a clean environment, mandated in the constitution in Article 48 Aadn 51 a (g), strengthened responsibility alone, but also that of every citizen.

(v) Vision Statement of Environment and Health

The purpose of vision document was to evolve a strategy of health-risk reduction arising from environment pollution would help the implementing agencies to revise the environmental and industry specific action.[19]

Conclusion

Over the last 50 years, ecosystem has degraded about. This has certain direct and indirect effect on human well-being. Globally, the well-being of present and future human population depends on equitable ways of living. The six dimensions of human well-being are : (a) Basic material for a good life ; (b) Aggregation define by MEA has direct and indirect links. India is one of the 17 identified mega diverse countries of the world. Indian environmental problems occur mainly from land, air and vehicular problems, water related problems and bio-diversity. The rapidly growing population and economic development are leading to the environmental degradation in India through the uncontrolled growth of urbanization and industrialization, expansion and massive intensification of agriculture, and the destruction of forests. Therefore it is time to take decision which gives the sustainable growth without hurting our ecosystem and well-being.[20]

Suggestion

Public Awareness – Conserving environment is merely not responsibility of government it is a responsibility of societies. In the prevention of environmental degradation, people should take part and it must be a part of daily activities. We can reduce wasting natural resources. This can only be made possible through mass public awareness. It is essential to make public aware of the formidable consequences of environmental degradation.

Population Control– If Environment is to be protected it is essential to check the population growth.

Strict Application of environment conservation Act- The environment (Conservation) Act was passed in 1986 in India. Its objective was to check deterioration in the quality of environment. This legislative measure should be strictly enforced.

Control over **Industrial and Agriculture Pollution –** The Environmental protection i.e. air and water pollution caused by industrial development should be controlled properly to avoid agriculture pollution. Use of pesticides and fertilizers should be minimized.

Afforestation Campaign - River waters should be made clean. Moreover, provisions should be made to supply clean drinking water to the rural population.

Management of solidwaste – Planned Management of solid waste is very essential. It is suggested that converted into compost.

Need for wise planning of development – Our survival depend on the availability of various resources. Taking resources, processing and finally usage of the product should be planned ecologically for the sustenance of the environment and development.[21]

References :

1. Bhushan, Vidya and Sachdeva, D.R. (2011), An Introduction to Sociology, Kitabmahal Publishers PP. 197.
2. Maciver, Society, PP 98.Published by MacMillan, 1962.
3. Gupta, Vishwajit ; Natural Disasters and Environment; S.S. Publishers.
4. Rawat, Harikrishna (2014), Advanced Encyclopedia of Sociology, Rawat Publication, PP 151.
5. United Nation (1997); www.occd.org
6. Thakur, Barun Kumar, et.al (2014); Environmental Degradation Sustainable development and human wellbeing ; www.journalpressindia.com
7. Sati, Vishambhar Prasad, (2012); An Introduction to Environment, Rawat Publishers
8. Bhushan, Vidya and Sachdeva, D.R., (2011); An Introduction to Sociology; Kitabmahal Publishers.
9. The Need for Environmental Co-operation Report, WTO (1999); www.wto.otc
10. Environment and development, (2012) ;YojanaMagzines, May.
11. United Nation Conference on environment and development, (1992); Agenda 21, Rio-De-Janerio Brazil.
12. World Commission on Environment and Development, (1987) ; Our Common future, Oxford University Press.
13. United Nation Conference on the human Environment ; Action plan for human Environment, (1972), Stockholm 5-1 June, Sweden
14. United Nation Summit on Sustainable development, (2002), Johannesburg Summit.
15. Sustainable Development, (2012) ; YojanaMagzines, January
16. Mishra, Dr. DkK.; Sociology of Development, (2017) Bhavdeyaprakashan ; PP 11-16.
17. Burns, Tom R., (2013), Sustainable Development, Upasala University, Sweden.
18. India Environmental Organization, (www.findouter.com)
19. International Centre for Environment audit and sustainable development (iced.cag.gov.in)
20. Tripathi, Dr. Y.P. and YadavDaya Shankar (2014), Sociology of Environment, Wisdom Book.
21. Sati, Vishambhar Prasad, (2012), Introduction to Environment, Rawat Publication, pp 13, 25, 63, 88.
22. Wikipedia : Internet Version
    http://envfor.nic.in
    http://epcb.nic.in
    http://www.cseindia.org
    www.ndma.gov.in
    www.vikaspedia.in/policies

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

समकालीन भारतीय समाज में विवाह के बदलते स्वरूप का अध्ययन

शैलजा पाण्डेय
शोधार्थिनी, समाजशास्त्र विभाग
म0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी

शोध सारांशः–

विगत 200 वर्षो के अंग्रेजी शासन के माध्यम से हम पश्चिम के ज्ञान, जीवनशैली, संस्कृति तथा यंत्र व तकनीक से प्रभावित हो रहे है, इन्ही परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए "पश्चिमीकरण " शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज व संस्कृति के लगभग सभी भागो को प्रभावित किया है। कह सकते हैं, कि आजादी के बाद वैश्वीकरण के फलतः इस प्रकिया को और अधिक बल मिला है। आज भी हम भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमीकरण के कारण आ रहे बदलावों को स्पष्टतः देख सकते है। इसी संदर्भ में विवाह–व्यवस्था में भी कई तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन प्रस्तुत शोध का मुख्य आधार है।

मुख्य शब्द–समकालीन, विवाह, परिवेश, निषेध, आदि।

परिचयः–औपचारिक रूप से कानून द्वारा मान्यता प्राप्त दो व्यक्तियों का संघ विवाह के रूप में जाना जाता है, यह युगल के बीच एक औपचारिक प्रतिबद्धता है। विवाह एक मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था है, ये प्रत्येक देश, काल, समाज व संस्कृति में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। जहॉ तक भारतीय समाज की बात है, तो भारत में विवाह का आधार मुख्यतः धार्मिक है। भारत में विवाह का सर्वमान्य स्वरूप व्यवस्थित विवाह को ही माना जा सकता है, इसमें माता–पिता या अभिभावक, संतान के विवाह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अभिभावक या परिवार के सदस्य विवाह हेतु एक संभावित दुल्हन या दूल्हे का चयन करते है जो आमतौर पर मध्यस्थ की भूमिका के माध्यम से किया जाता है। पुरातन काल से लेकर आज तक ऐसे कई उदाहरण है जिनमें ऐसे विवाह की चर्चा है, परन्तु ऐसा नहीं है, कि इस विवाह की चर्चा है, परन्तु ऐसा नहीं है, कि इस विवाह में पुत्र या पुत्री की सहमति नहीं होती बल्कि उनकी सहमति को भी महत्व दिया जाता है। हिन्दुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकारा जाता है, जो कि धार्मिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, इस कारण विवाह को एक पवित्र व अटूट बंधन माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हिन्दू धर्म के विशेष अंग ऋणों, पुरूषार्थो एवं आश्रमों की पूर्ति होती है। विवाह धर्म, परिवार, समाज एवं जाति का मुख्य आधार रहा है।

परन्तु भारतीय समाज में पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, संस्कृतिकरण आदि के कारण भारत के समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन हुए है। आर्थिक समृद्धि के कारण एवं इंटरनेट क्रांति के परिणामतः समाज में भारी बदलाव का जन्म हुआ है। इन परिवर्तनों ने हमारी सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया जिनसे विवाह संस्था भी अछूती नही रही। इसी संदर्भ में व्यवस्थित विवाह को स्वरूप भी धीरे–2 बदलने लगा और जिसकी परिणति प्रेम विवाह से लिव–इन–रिलेशनशिप में हो रही है और इब कई जगह समलौंगिक विवाह के रूप में भी दिखाई दे रही है।

शोध का उद्देश्यः–विवाह संस्था, समाजिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है इस संस्था में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इन परिवर्तनों से होने वाले सामाजिक बदलावों के

बारे में भी जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध विवाह व्यवस्था की सामाजिक अनिवार्यतः को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है।

पूर्व–साहित्यिक सर्वेक्षणः–प्रस्तुत शोध पत्र विशेषतः भारतीय विवाह व्यवस्था में आने वाले नवीन परिवर्तनों पर आधारित है अतः पूर्व–साहित्यिक सर्वेक्षण में मुख्यतः कुछ शोध–पत्रों, लेखों व पुस्तकों को वरीयता दी गई है, जिनमें Marrige and Family I India, 1958 (K.M. kapadia) live in relationship: An ethical and a Moral dilemma [mohit chibbar, I J A R], Youth attitude towards marriage and changing trends in marriage [Dr. K.S. Roopa, I J S R] आदि प्रमुख है। विभिन्न पूर्वलिखित पुस्तकों, पत्रो–पत्रिकाओं का अध्ययन करके प्रस्तुत विषय को समझने व जानने में सहायता ली गयी है।

शोध विधिः–प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक है, इस शोध पत्र में समग्र की आयुवर्ग, योग्यता अर्थात् शिक्षा, सामाजिक प्रस्थिति इत्यादि संबंधी आंकड़ो के साथ–2 इनका विवाह के प्रति विचार संबंधी आंकड़ो का एकत्रीकरण किया गया है।

न्यायादर्श का आकारः–प्रस्तुत शोध पत्र में समग्र के रूप में वाराणसी के पाण्डेयपुर के नई बस्ती क्षेत्र के 100 ऐसे व्यक्तियों का चयन किया गया है जो भारतीय विधि द्वारा नियत वैवाहिक आयु के दायरे में आते है अर्थात् 21 वर्ष से ऊपर के स्त्री व पुरूष।

आंकड़ो का संकलनः–आंकड़ो का संग्रहण हेतु संकलन की प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो विधियों का चयन किया गया है प्राथमिक आंकड़ो के एकत्रीकरण हेतु प्रश्नावली, अनुसूची, एवं साक्षात्कार आदि का प्रयोग शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया है तथा द्वितीयक तथ्य संकलन हेतु विभिन्न प्रकार के शोध पत्र–पत्रिका, पुस्तकें, समाचार पत्र विभिन्न बेबसाइटो पर प्रकाशित लेख आदि की सहायकता ली गई है।

आंकड़ो का निर्वचन एवं विश्लेषणः– भारतीय समाजिक विवाह व्यवस्था के समकालीन बदलावे के अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गई तथा पाण्डेयपुर, नई बस्ती के 100 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया। संबंधित आकड़ों का एकत्रिकरण किया गया उनमें से कुछ प्रश्नों का विश्लेषण निम्नवत् हैः–

तालिका क्रमांक–1 जाति के आधार पर उत्तरदाताअें का स्थिति

क0सं0	जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च	25	15%
2	मध्यम	40	40%
3	निम्न	45	45%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रमांक–2 लिंग के आधार पर उत्तर–दाताओं की स्थिति

क0सं0	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरूष	70	70%
2	स्त्री	30	30%
3	अन्य	0	0%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रमांक 3 शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्र0सं0	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	10	10%
2	इण्टरमीडिएट	25	25%
3	स्नातक	40	40%
4	परास्नातक	20	20%
5	अशिक्षित	5	5%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रमांक (4) भारतीय समाज में विवाह व्यवस्था में पश्चिमीकरण के कारण व्यापक परिवर्तन हुआ है।

क्र0सं0	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	70	70%
2	नहीं	25	25%
3	कुछ कह नहीं सकते	05	05%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रमांक–5 विवाह के बदलता स्वरूप समाजिक विघटन उत्पन्न कर रहा है।

क्र0सं0	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	65	65%
2	नहीं	15	15%
3	कुछ कह नहीं सकते	20	20%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रमांक–6: आप अपने या अपने बच्चों के विवाह में सामाजिक नियत्रको निषेधो का पालन करेगें।

क्र0सं0	सा0 निषेधो के पालन पर विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	75	75%
2	नहीं	25	25%
3	कुछ कह नहीं सकते	0	0%
	योग	**100**	**100%**

तालिका क्रंमाक–7 आपके अनुसार विवाह एक निजी मामला है।

क्र0सं0	विवाह के बारे में विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बेहद निजी मामला है	10	10%

2	समाजिक मसला	15	15%
3	निजी–सामाजिक दोनों है	75	75%
	योग	**100**	**100%**

तलिका कमांक–8 क्या आपका परिवार प्रेम विवाह की अनुमति देता है।

क0सं0	प्रेम विवाह संबंधी अनुमति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	केवल लड़को को	20	20%
2	केवल लड़कियों को	2	2%
3	दोनो को	5	5%
4	किसी को नहीं	73	73%
	योग	**100**	**100%**

उत्तरदाताओं की स्थिति उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट हो रही है कि 15 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च प्रस्थिति के 40 प्रतिशत मध्यम वर्ग के तथा 45 प्रतिशत उत्तरदाता निम्न वर्ग के है। उत्तरदाताओं में 70 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाए है। तालिका कमांक 3 से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 40 प्रतिशत स्नातक है तथा 25 प्रतिशत इण्टरमीडिएट 20 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक किए हुए है। भारत में विवाह व्यवस्था में परिवर्तन का कारण 70 प्रतिशत उत्तरदाता पश्चिमीकरण के प्रभावों को मानते है तथा 25 प्रतिशत उत्तरदाता इसे नकारते है तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की है। 65 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है, कि विवाह व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन सामाजिक अस्थिरता तथा विघटन की स्थिति हेतु उत्तरदायी कारणों में से एक है। तथा 15 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य को नकारते है अर्थात् उनका मानना है, कि विवाह व्यवस्था में परिवर्तन किसी प्रकार का सामाजिक विघटन नहीं उत्पन्न करता है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर कुछ भी कहने में असमर्थता प्रदर्शित भी है। समाज द्वारा विवाह संबंधी निषेधों के पालन से 75 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है तथा 25 प्रतिशत इससे असहमति व्यक्त करते है। विवाह को व्यक्तिगत व सामाजिक मुद्दा मानने के संदर्भ में 10 प्रतिशत उत्तरदाता इसे व्यक्तिगत मुद्दा मानते है तथा 15 प्रतिशत इसे सामाजिक मामला मानते है एवं 75 प्रतिशत उत्तरदाता इसे सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनो ही श्रेणी में रखते है। परिवार द्वारा प्रेम विवाह की अनुमति किसे है के संबंध में 20 प्रतिशत उत्तरदाता केवल लड़को के प्रेम विवाह के पक्ष में है तथा 2 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियो के प्रेम विवाह एवं 5 प्रतिशत दोनों के प्रेम विवाह एवं 73 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि प्रेम विवाह की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए।

निष्कर्षः– प्रस्तुत शोध पत्र में प्राप्त आंकड़ो के आधार पर हम निष्कर्षतः कह सकते है, कि समाज में विवाह का स्परूप पहले की तुलना में बदल रहा है परन्तु अभी भी सामाजिक मान्यताओं, विवाह संबंधी निषेधों–वर्जनाओं आदि का भारतीय समाज में पालन किया जा रहा है, हॉ हम यह जरूर कह सकते है कि ये सामाजिक नियम कुछ शिथिल जरूर हुए है, विवाह भले ही दो व्यक्तियों का जन्म जन्मांतर का संबंध हो परन्तु समाज अब भी इसे दो परिवारो का संबंध मानता है जो

सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। सामाजिक रूप भारतीय समाज अब भी लड़के लड़कियों में विवाह संबंधी नियमों में लड़को को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है जबकि लड़कियों को कम। भारत विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है स्त्री व पुरूष में विभेद अभी भी सामाजिक रूप से परिलक्षित हो रहे है जो अनुचित है।

अतः हम कह सकते है कि विवाह व्यवस्था के भारतीय स्वरूप में पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आए है परन्तु ये परिवर्तन अभी बहुत ही नगण्य स्तर पर है अर्थात् भारतीय समाज में विवाह का स्परूप लगभग पूर्ववत् ही है।

सुझावः– भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह संस्था में आने वाले परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि परिवर्तन किसी भी संस्था की अपरिहार्य आवश्यकता होती है परन्तु हम इस परिवर्तन को एक सही दिशा प्रदान करने का प्रयास कर सकते है। निम्नलिखित बिन्दु हमारे इस प्रयास में सहायक सिद्ध होगेंः–

1. स्त्री व पुरूषों में होने वाले भेद भावों को कम करने का प्रयास कर दोनों को समाज में समान स्तर प्रदान करना होगा।
2. पुरातन काल से चली आ रही वैवाहिक व्यवस्था के कुछ पहलुओं को समय के साथ बदलाव की आवश्यकता है, उन्हें समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान करको से परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए।
3. पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण को रोका जाना चाहिए केवल उन्हीं पहलुओं को अपनाना चाहिए जो भारतीय समाज के लिए हितकर हो।
4. विवाह व्यवस्था में समकालीन कुरीतियों, दहेज, बाल विवाह, ऑनर किलिंग आदि पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
5. विवाह संस्था में सही दिशा में परिवर्तन हेतु स्त्री व पुरूषों का उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना भी एक अपरिहार्य शर्त है।

इसी तरह ऐसे कई कदम है जो भारतीय समाज की अक्षुण्णता एवं अखण्डता बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते है। समाज में परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं है वरन् यह परिवर्तन समाज के लिए हितकारी व पोषक हो।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

- मुखर्जी रविन्द्र नाथ (2005),सामाजिक शोध एवं साख्यिकी, नवॉ संस्करण विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली।
- गुप्ता एम0एल0 (2003),यूनिफाइड समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- कापड़िया के0एम0(1966),भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स
- सोनी इन्दू एवं मिश्रा ऋतु (जनवरी 2016),भारतीय समाजिक संस्था एवं राजशास्त्र, शिवालिक प्रकाशन, प्रथम संस्करण
- ओबेरॉय पैट्रीशिया(01 दिसम्बर 1997),फैमिली किनशिप एण्ड मैरिज एनइण्डिया, प्रकाशन
- जैन शोभिता (1996),भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, रावत ब्लिकेशंस प्रथम संस्करण
- गुप्ता एवं शर्मा (2020) ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा।

- कश्यप आलोक कुमार (2011),सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप मैरिज एण्ड फैमिली, मोहित पब्लिकेशंस।
- अग्रवाल, जी0के0,नातेदारी, शादी एवं परिवार, साहित्य भवन, आगरा।
- ToI (April 27, 2017); लिव–इन–रिश्ते–क्या ये आपके लिए अच्छे है ?
- डागा कीर्ति; U. Kessay.com; short essay on live in relationship
- छिब्बर मोहित I J A R; live in relationship an ethical and a maral dilemma.
- रूपा के0एस0 I J S R; Youth attitude towards marriage and changing trends in marriage.
- हिन्दुस्तान टाइम्स ; (March 24, 2015); लिव इन रिलेशनशिप और विवाह में अन्तर

****

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

मुस्लिम महिला एवं शिक्षा : एक विमर्श

नौशीन जहाँ
शोध छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
हण्डिया, पी0जी0 कालेज,
हण्डिया, प्रयागराज

डॉ0 रतंजय कुमार सिंह
शोध निर्देशक, असि0 प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
हण्डिया, पी0जी0 कालेज
हण्डिया, प्रयागराज

किसी भी समाज का मेरूदण्ड शिक्षा ही होती है। जिस समाज की शिक्षा दर सुदृढ़ होगी वह समाज उत्तरोत्तर विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा अपेक्षाकृत उस समाज के जहाँ शिक्षा दर की न्यूनता होगी। महिला एवं पुरूष दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य तत्व है। वस्तुतः महिलाओं का शिक्षित होना अधिक आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के पूर्व तक संततियों के भोजन–पोषण के साथ ही वैचारिक स्तर पर अन्तः एवं वाह्य ज्ञान का अभिवर्द्धन महिलाओं के माध्यम से ही सम्भव होता है

प्रायः महिलाओं की पारिवारिक क्रियाकलापों में सहभागिता पुरूषों की अपेक्षा काफी कुछ अर्थों में सीमित रही है, परन्तु यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक क्रियाओं में उनकी भूमिका सीमित होती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी स्थितियां देखी जाती हैं जहाँ पर पुरूषों से अधिक महिलाओं पर पारिवारिक भार होता है। प्राचीन समाज में नारियों की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं रही है क्योंकि कहीं पर नारियों को महानता के चरम पर रखा गया है तो कहीं किसी काल में उन्हें दासी की संज्ञा दी जाती रही है। जीवन के विविध आयामों पर नारी–पुरूष की समानता आवष्यक प्रतीत होती है, परन्तु कुछ ऐसे भी जीवन रचना के भाग होते हैं जहाँ दोनों में असमानता अर्थात् उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भिन्नता को आवश्यक ठहराया जाता है। समय–समय पर कार्य–कारण और दशाओं में परिवर्तनशीलता अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है।

अतः वर्तमान समय में महिलाओं के अधिकार और क्रियान्वन में परिवर्तन का एक स्वाभाविक रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ सम्पूर्ण महिलाओं में केवल मुस्लिम महिलाओं के विविध पक्ष की व्याख्या करते हुए एक स्वस्थ वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा रहा है परन्तु महिलाओं के जीवन में पड़ने वाले शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करने से पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि शिक्षा वास्तव में है क्या ? मानव जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है ?

शिक्षा समाज में एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को स्व ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज एवं संस्कृति की निरन्तरता को बनाये रखती है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि, ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास (शरीर, मस्तिष्क और आत्मा) से है।'' समय–समय पर अनेक विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा दी जिसमें प्लेटो, अरस्तू, रूसो, स्पेंसर,

जॉन मिल्टन, टैगोर व और भी कई अन्य विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है। संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि षिक्षा एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है।

उपरोक्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है और शिक्षा के अभाव में मानव जीवन निराधार है एवं प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता उतनी ही अनिवार्य प्रतीत होती है जितनी मानव जीवन के लिए अन्य और संसाधन। किसी भी समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पुरूष की परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की अपेक्षा कहीं अधिक कमतर प्रतीत होती है। महिलाएं भले ही पुरूषों की अपेक्षा कम शिक्षित है परन्तु इतिहास इस बात का गवाह है कि केवल वर्तमान में ही नहीं वरन् प्राचीन काल से ही महिलाओं ने भी शिक्षा के महत्व को समझा है और शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा में अपना योगदान देने का सम्पूर्ण प्रयत्न किया है।

भारत की प्रथम महिला षिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले हैं। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले ने निचली जाति वाले समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठायी एवं उन्होने लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया था, तब उनकी इस मुहिम में फातिमा शेख ने उनका साथ देते हुए मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उस समय में विद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापक मुश्किल से ही मिलते थे, ऐसे में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के विद्यालय में पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। फातिमा शेख ने अपने आस–पड़ोस में घर–घर जाकर बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं 1848 में फातिमा और उनके भाई उस्मान शेख ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने घर पर पहला कन्या विद्यालय प्रारम्भ किया, जिसे Indigenous Library नाम दिया गया, और इस प्रकार फातिमा शेख भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका बन गईं। उस समय हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग महिलाओं की शिक्षा के विरूद्ध थे। आधुनिक पुरूष प्रधान समाज में भी नारी को पुरूष के मुकाबले कमतर आंका जाता है, इस मानसिकता के कारण नारी शिक्षा के विषय में आज भी समाज में उदासीनता रहती है जबकि पुरूषों को शिक्षा में सुअवसर मिलते रहे हैं। नारी को इस पुरूष प्रधान समाज में पहले बेटी फिर बहू एवं माँ के रूप में जीवन की इन भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण होने के उपरान्त भी वह शिक्षा के दायरे से अभी भी स्वंय को बाहर ही पाती है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक महिला शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबन्ध व सुविधाएं नहीं थी, परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् से केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें तथा समाज नारी की शिक्षा में उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है, परन्तु वर्तमान समय में भी नारी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से अधिसंख्य वंचित हैं। आज भी पुरूषों की तुलना में नारी शिक्षा लगभग कम है यद्यपि पहले की अपेक्षा वर्तमान में महिलाएं अधिक शिक्षित हो रही है और उन्हें शिक्षित करने के सुनियोजित प्रयास भी किये जा रहे हैं।

बदलते परिवेश में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भी परिवर्तित प्रतीत होते हैं। आधुनिक शिक्षा की ओर मुस्लिम महिलाओं का रूझान बढ़ा है। यद्यपि मुस्लिम महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा स्वतन्त्रता का स्तर दिखाई नहीं पड़ता तथापि यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई होती हैं। वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाएं अनेक धार्मिक व सामाजिक प्रतिबन्ध के पष्चात् भी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करना व घर से बाहर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु मुस्लिम समाज सदैव से ही महिला स्वतन्त्रता को हीनता की दृष्टि से देखता रहा है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति बहुत कम दी जाती है। प्राचीन काल में मुस्लिम

संस्कृति में पर्दा–प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान था इसलिए राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ थी। इनकी शिक्षा का प्रबन्ध हरम में ही हो जाया करता था जो जनसाधारण के लिए सम्भव नहीं था कि वे स्वंय अपने घर पर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें। शासन की ओर से भी स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं था। यद्यपि मालवा के शासक गयासुद्दीन ने सारंगपुर में एक मदरसा केवल लड़कियों के लिए अवश्य स्थापित किया था किन्तु पर्दा–प्रथा होने के कारण अधिकांश लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे तथा जो लड़कियां मदरसों में पढ़ने जाती भी थी तो उनकी शिक्षा का व्यय उनके अभिभावकों को ही वहन करना पड़ता था जिसके कारण कुछ धनी लोग ही अपनी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर पाते थे।

यद्यपि प्राचीन काल में मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था न के ही बराबर थी परन्तु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्राचीन काल में कुछ विदुशी महिलाएं भी हुई है, जिनमें बाबर की बेटी गुलबदन लेखिका के रूप में प्रसिद्धी प्राप्त की हुमायुं की, भतीजी सलीमा सुल्तान कवियित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, नूरजहाँ, मुमताज एवं जहाँआरा अरबी, फारसी के विद्धान के रूप में प्रसिद्धी प्राप्त की थी, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी तथा फारसी की अच्छी कवियित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, परन्तु वे सभी राजघरानों से सम्बन्धित थी। जिनकी संख्या बहुत कम थी तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से अत्यन्त उन्नतिशील थी किन्तु जनसामान्य के लिए यह अवसर प्राप्त नहीं था। इस प्रकार मुस्लिम समाज में स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ बालिकाओं के अतिरिक्त सर्वसाधारण बालिकायें शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी।

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी अन्य महिलाओं के समान संतोषजनक हो इसके लिए कई विद्वानों ने समय–समय पर अनुसंधान कार्य किया है। **जलालुद्दीन उमरी**[1] **(1961)** ने महिला इस्लामी समाज में लिखा है कि,महिला पुरूष का आधा भाग है पुरूष तथा महिला को मिलाकर पूरा भाग बताया है। **माइल खैर आबादी**[2] **(1975)** ने स्टेट्स आफ वुमेन इन इस्लामिक सोसाइटी में लिखा है कि जिस प्रकार पुरूष अल्लाह का बन्दा है उसी प्रकार महिला भी। यह कथन इस्लाम धर्म में महिला–पुरूष की बराबरी को दर्शाता है। **शहीदा लतीफ**[3] **(1983)** ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि भारत में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मुस्लिम महिलाओं में पारिस्थितिकीय चेतना, षैक्षिक उन्मेष, व्यावहारिक उपार्जन की प्रवृत्ति, पुरूष के समकक्ष सहभागिता की वृत्ति का विशेष जागरण हुआ है। **इन्दू मेमन**[4] **(1989)** द्वारा तत्कालीन समय में लिखा कि एक उपकरण के रूप में शिक्षा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठा सकती है। **सी0एम0 अग्रवाल**[5] **(2002)** ने अपनी पुस्तक युग युगीन भारतीय नारी में भारतीय महिलाओं की प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक की स्थिति का अध्ययन किया है तथा यह बताया है कि आधुनिक समय की महिलाएं बहुत संघर्ष कर रही है तथा अपनी अलग पहचान बना रही हैं। **इलियास अहमद**[6] **(2002)** ने अपने षोध प्रबन्ध में उत्तर प्रदेष मदरसा शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले पथनिरपेक्ष पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया और पाया कि जिन मदरसों में अग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती है वहाँ परम्परागत शिक्षा भी दी जाती है। **मकबूल अहमद**[7] **(2004)** ने नारी एवं इस्लाम में स्पष्ट लिखा है कि इस्लाम ने महिला को कारोबार एवं उद्यम व वित्त की स्वतन्त्रता दी है इसके लिए वह घर से बाहर भी निकल सकती है। **मोहम्मद अय्यूब**[8] **(2008)** ने 'मुस्लिम महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन' में बताया कि मुस्लिम महिलाओं की जीवन शैली में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है मुस्लिम महिलाओं ने अपनी–अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए खुलेपन की प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। **मरियम जमीला**[9] ने 'इस्लाम एण्ड द मुस्लिम वुमेन टुडे' में आज की मुस्लिम महिला की स्थिति के बारे में बताया है। **आलोक**

कुमार एण्ड सुरेन्द्र पाल[10] (2012) ने भी मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम 'मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा' है।

उपरोक्त विश्लेषण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शिक्षा मानव जीवन का आधार है। यदि शिक्षा जैसी परिष्कृत प्रणाली मानव जीवन से पृथक कर दी जाए तो वह पशुवत श्रेणी में भी उपस्थित हो सकता है। हम सम्पूर्ण मानव जाति में शिक्षा दर के उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करने के क्रम में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यानाकर्षण करते हैं। इसी क्रम में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था पर एक सामाजिक विमर्श का निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि मुस्लिम महिलाएं धार्मिक प्रतिबन्धों एवं पारिवारिक परिस्थितियों के समक्ष विवशता एवं निराशा का शिकार होती हैं, परन्तु यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन अनेक विपरीत परिस्थितियों को दर किनार करते हुए मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हुई है। नवीन संवैधानिक अधिकार एवं सामाजिक चेतना के परिष्कृत परिणामस्वरूप मुस्लिम पुरूषों द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंधों का शिकंजा कसना कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधिक शिक्षा एवं अन्य शैक्षणिक क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सारांशतः यह कह सकते हैं कि मुस्लिम महिला एवं शिक्षा पर सामजिक विमर्श का निष्कर्ष सकारात्मक एवं अनुकरणीय प्रतीत होता है।

संदर्भ सूचीः–

1. उमरी जलालुद्दीन (1961): महिला इस्लामी समाज में मरकजी मकतबा इस्लामी नई दिल्ली।
2. आबादी माइल खेर (1975): 'स्टेटस आफ वुमेन इन इस्लामिक सोसायटी' मकतबा हिजाब, रामपुर।
3. शहीदा लतीफ (1983): माडर्नाइजेशन इन इण्डिया एण्ड दि स्टेटस आफ मुस्लिम वुमेन इन इम्तियाज अहमद (एडि0) माडर्नाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज एमंग द मुस्लिम इन इण्डिया मनोहर पब्लिकेशन दिल्ली, पेज 153–184।
4. इन्दू मेमन (1989): 'स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इण्डिया, उत्पल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
5. अग्रवाल सी0एम0 (2002): 'युग युगीन भारतीय नारी'
6. अहमद, इलियास (2002) : फायर एरिया, पब्लिक ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट पृ0 152
7. अहमद मकबूल (2004) : 'नारी एवं इस्लाम' र्मकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली।
8. अय्यूब मोहम्मद (2008) : 'मुस्लिम महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
9. जमीला मरियम : 'इस्लाम एण्ड द मुस्लिम वुमेन टुडे' कासिम जान स्टोर, दिल्ली।
10. कुमार आलोक एण्ड पाल सुरेन्द्र (2012): 'मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा' अर्जुन पब्लिकेशन हाउस।

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

सावित्रीबाई फुले के नारी–शिक्षा संबंधी विचार

डॉ० चमन कौर
असिस्टैंट प्रोफेसर
अध्यापक शिक्षा विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा, उ0प्र0

सारांश

नारी उत्थान में नारी–शिक्षा का अहम योगदान होता है। इसी संदर्भ में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं पर लगाए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ दृढ़ता से बात की। इसी कारण औपनिवेशिक भारत में प्रथम महिला स्कूल की प्रथम महिला शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में उनका एक अग्रणी व्यक्तित्व रहा। भारत में सामाजिक मुक्ति के लिए, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर उनका जोर उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक है। उन्होंने प्रभावी जाति व्यवस्था के खिलाफ अथक संघर्ष किया और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान की दिशा में काम किया। मानवता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। एक ऐसे समय में जब महिलाएं केवल वस्तु थीं, उन्होंने एक चिंगारी को प्रज्वलित किया। उन्होंने सभी महिलाओं के लिए शिक्षा और सम्मान की मांग की यह कुछ ऐसा था, जो पहले असंभव था। सावित्रीबाई फुले के शिक्षा दर्शन को बेहतर तरीके से जानने एवं उनके संघर्षों और कठिनाइयों को समझकर, हम एक ऐसे जीवन की ओर देखते हैं, जिससे न केवल भारत में नारीवादी शिक्षा का चेहरा बदला, बल्कि मानवता को भी उसके वास्तविक सार में प्रबुद्ध कर दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में नारीवादी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सावित्रीबाई फुले के विचारों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : नारी–शिक्षा, सशक्तिकरण, समानता, मानवता, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना : सावित्रीबाई फुले औपनिवेशिक भारत की नारीवादी दार्शनिक थीं। उनका वास्तविक लक्ष्य तथाकथित भारतीय परंपरा से महिला को स्वतंत्रता देना था। वह एक साहसी महिला थी, जो अपने पति के साथ खड़ी रही और अपने पति का अनुसरण किया और उनकी सभी क्रांतिकारी पहलों का समर्थन किया। वह अपने समय की प्रथम महिला शिक्षक मानी जाती हैं। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पुणे में, एक दलित–मजदूर वर्ग के इलाके में रहते थे। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। इस कार्य में ज्योतिराव के दोस्तों केशव शिवराम भावलकर और सखाराम यशवंत परांजपे ने उनकी सहायता की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे के सामान्य स्कूल में शिक्षक का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। इन्होनें औपनिवेशिक भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका के रूप में ख्याति अर्जित की। सावित्रीबाई का शिक्षा जीवन कई कठिनाइयों से भरा रहा, इसके बावजूद उन्होंने शांति से शिक्षा का कार्य जारी रखा। उन पर भद्दी–टिप्पणीयाँ की गई, लेकिन फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष और कहानी भारत में आधुनिक भारतीय महिलाओं के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। बड़ौदा के राजा, सयाजीराव गायकवाड़ को लिखे एक पत्र में, राजनीतिक ऋषि और उनके शुभचिंतक परमानंद ने उस ऐतिहासिक कार्य, जिसमें दंपति लगे हुए थे, के बारे में लिखा–"ज्योतिराव से अधिक, उनकी पत्नी प्रशंसा की पात्र हैं। हम उसकी कितनी भी प्रशंसा करें, वह पर्याप्त नहीं होगा। कोई उसके कद का वर्णन कैसे कर सकता है? उसने अपने पति के साथ पूरी तरह से सहयोग किया और उसके साथ–साथ, उन सभी परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया जो उनके रास्ते में आए। उच्च जातियों की उच्च शिक्षित महिलाओं में भी ऐसी त्यागी महिला मिलना मुश्किल है। मानवता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और शिक्षा में इनके द्वारा किये गए प्रयास सराहनीय हैं"।

शोध का औचित्य :

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता ने नारी–शिक्षा द्वारा नारी उत्थन के परिप्रेक्ष्य में सावित्रीबाई फुले के विचारों का अध्ययन किया है, यह शोध पत्र सावित्रीबाई फुले के नारी–शिक्षा संबंधी विचारों की उपयोगिता को ज्ञात करके शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा एवं व्यक्तियों के दूषित विचारों को दूर करके नवीन विचारों को धारण करने के लिए प्रेरित करेगा।

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य :

1. सावित्रीबाई फुले द्वारा महिला उत्थान के लिए किये गए संघर्ष एवं नारीवादी शैक्षिक विचारों का विश्लेषनात्मक अध्ययन करना।
2. सावित्रीबाई फुले के लेखन में किये गए बहुमूल्य योगदान का विश्लेषनात्मक अध्ययन।
3. सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता ज्ञात करना।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध पत्र विश्लेषनात्मक एवं वर्णात्मक विधि पर आधारित है इस शोध पत्र में पूर्णत्या द्वितीय आंकडों का प्रयोग किया गया है, इसमें विभिन्न शोध पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों एवं पुस्तकों का सन्दर्भ लेते हुए वर्णात्मक व्याख्या एवं निष्कर्ष निकाले गये हैं।

व्याख्याः

प्रस्तुत शोध पत्र का विश्लेषनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त शोधार्थी ने नारी–शिक्षा द्वारा नारी उत्थान के परिप्रेक्ष्य में सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन की वर्णात्मक व्याख्या निम्न बिन्दुओं में की है।

सावित्रीबाई फुले के नारीवादी शैक्षिक विचार :

सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों, और महिलाओं की शिक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करते हुए महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान की शुरुआत की। सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में लड़कियों की पहली देशी शिक्षिका होने का श्रेय दिया जाता है। वह पहली आधुनिक मराठी कवि भी हैं। महिला शिक्षा के लिए, कई लोग उन्हें जनानज्योति (शिक्षा की ज्वाला) और क्रांतिज्योति (क्रांति की ज्वाला) के नाम से पुकारते थे। सावित्रीबाई फुले ने माना कि शिक्षा केंद्रीय आश्रयों में से एक है जिसके माध्यम से महिलाएं और दलित वर्ग सशक्त बन सकते हैं और शेष समाज के साथ समान स्तर पर खड़े होने की उम्मीद कर सकते हैं। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने लड़कियों को व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि उन्हें स्वतंत्र विचार के योग्य बनाया जा सके। उनका मानना था कि औद्योगिक विभाग को स्कूलों से जोड़ा जाना चाहिए, जहाँ बच्चे उपयोगी व्यापार और शिल्प सीख सकें एवं अपना जीवनयापन आराम से करने में सक्षम हों। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में फुले की भूमिका के कारण, उन्हें 'लैंगिक न्याय के धर्मयुद्ध' में से एक माना जाता है, जैसा कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया है। यह फुले को आधुनिक भारत में ख्याति प्राप्त महिलाओं के रूप श्रेय देता है, जो एक ऐसे समय में अपनी आवाज और संस्था विकसित करने में सक्षम थी, जब महिलाओं को दबा दिया गया था। सावित्रीबाई ऐसी शिक्षिका थीं, जो सभी महिलाओं और सभी वंचितों को शिक्षित करती थीं। वह लगातार ज्ञान के लिए शिक्षा, समृद्धि और शारीरिक श्रम के महत्त्व पर जोर देती थीं। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि वे किसी भी तरह से पुरुषों से कमतर नहीं हैं और मनुष्यों की दास भी नहीं हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति को जीवन में सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच चयन करने की क्षमता का विकास करती है। उन्होंने ऐसे स्थान बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जहाँ लड़के और लड़कियों की रचनात्मकता खिल सके। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लड़कियों के लिए पुस्तकालय शुरू किया। उनकी सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि युवा लड़कियों को उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करना इतना पसंद था कि उनके माता–पिता लड़कियों के पढ़ाई के प्रति समर्पण की शिकायत करते थे। सावित्रीबाई फुले ने नैतिक शिक्षा का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक शांति का संदेश देती है और सामाजिक समरसता का मार्ग भी प्रशस्त करती है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा में भावनात्मक मूल्य हैं– जैसे प्यार, देखभाल, साझा करना, बलिदान आदि इसके साथ–साथ इसमें संज्ञानात्मक मूल्य भी हैं– जैसे मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। उन्होंने आधुनिक मूल्यों का लगातार प्रचार किया, जो समाज में शांति प्रदान करने में मदद करते हैं। समय बीतने के साथ, लोगों ने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया और इसलिए पति और पत्नी दोनों ही वर्ष 1848 में ही पाँच और स्कूल खोलने में सक्षम हो गए। सावित्रीबाई फुले की कड़ी मेहनत पर ध्यान देते हुए, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके शैक्षिक कार्यों के लिए सम्मानित किया।

महिलाओं और समाज के लिए शिक्षा के महत्व को व्यक्त करती उनकी एक रचना.....

आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो।
काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो,
ज्ञान के बिना सब खो जाता है।
हम ज्ञान के बिना पशु बन जाते हैं,
अब बेकार मत बैठो, जाओ, शिक्षा प्राप्त करो।

उन्होंने भारतीय महिलाओं और वंचित वर्ग को कष्टों का कारण समझाने की कोशिश की और लगातार शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ज्ञान और समृद्धि के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, महिलाओं और वंचित वर्ग को इसे प्राप्त करना चाहिए।

सावित्रीबाई फुले द्वारा महिला उत्थान के लिए किये गए कार्य :

सावित्रीबाई ने न केवल एक शिक्षा सुधारक के रूप में कार्य किया बल्कि, समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। वह भारत की महान दार्शनिक, सच्ची–साथी और समाज सुधारक थीं। 19वीं सदी में जाति व्यवस्था को लेकर भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। अस्पृश्यता और सती प्रथा अभी भी चलन में थी, और निरक्षरता बहुत अधिक थी। महिलाओं और निचली जाति के समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। उन्हें वस्तु के रूप में माना जाता था। समाज में उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। बाल विवाह एक आदर्श था, सावित्रीबाई फुले खुद बाल विवाह की शिकार थीं, क्योंकि उनका विवाह जब ज्योतिराव फुले से हुआ था, तब वह केवल 12 वर्ष की थीं। उन्होंने विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन दिनों, विधवाओं को समाज में अभिशाप माना जाता था, विधवा का सिर मुंडाया जाता था और उन्हें किसी भी ऐसे सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी जो उन्हें सुंदर बना सकें। विधवाओं की ऐसी स्थिति ने सावित्रीबाई फुले और उनके पति को व्याकुल कर दिया। उन्होंने इसका विरोध किया और महिलाओं को जागरूक किया। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को जन–समुदाय के लिए समर्पित किया, वह पुरुष प्रधान समाज के सांस्कृतिक स्वरूप से, महिलाओं की शिक्षा

के लिए संघर्ष करती रहीं। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति, अस्पृश्यता को दूर करने और विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों से निपटने की दिशा में काम किया। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर के लिए लिखे गए अपने निबंध में हरि नारके ने लिखा है– "भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में, महात्मा जोतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक असाधारण जोड़े के रूप में खड़े हैं। वे पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन बनाने के लिए एक भावुक संघर्ष में लगे हुए थे"। फुले ने 1854–55 के बीच भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया। फुले ने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे सत्यशोधक विवाह की प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था, वह भारत में महिला मुक्ति आंदोलन की नींव रखने में सफल रहीं। उनका लक्ष्य स्वतंत्रता, भारतीय परंपरा, धार्मिक प्रथाओं और कर्मकांडों से मुक्ति था, हालाँकि, सावित्रीबाई फुले को जो प्रतिक्रिया मिली, वह उतनी उत्थानकारी नहीं थी, लेकिन वह जो कर रही थीं, उसमें उनका दृढ़ निश्चय था।

समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए उनको सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। इतना कष्ट सहने के बाद जब उनका मन उदास होता तो उनके पति उनका उत्साह बढ़ाते और उनका पूरा समर्थन करते। ज्योतिबा फुले ने सदैव अपनी पत्नी को अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन फिर भी, पति और पत्नी दोनों को समाज के रूढ़िवादी तत्वों के घोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के लिए और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए, वह एक भावुक संघर्ष में लगी हुई थी। सावित्रीबाई अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत के इतिहास में अपने जीवन के लिए, एक बहुत ही क्रांतिकारी रुख अपनाया। वह भारतीय परंपरा की अपने तरीके से व्याख्या करने वालों के खिलाफ लडीं। सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए 'शिशु हत्या निषेध गृह' देखभाल केंद्र खोला और उन्हें अपने बच्चों को जन्म देने में मदद की। उन्होंने महिलाओं के लिए 'डिलीवरी होम' के बारे में सड़कों पर बोर्ड लगाए। डिलीवरी होम को ''बालहत्या प्रतिबंधक गृह'' कहा जाता था। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में जाति–आधारित और लिंग–आधारित भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम किया। सावित्रीबाई फुले ने समाज के किसी भी वर्ग के लिए सभी प्रकार की सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चूंकि अछूतों को उच्च जाति के लिए बने कुओं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी इसलिए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने घर के आसपास अछूतों के लिए पानी का अपना जलाशय शुरू किया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को गोद लिया, उसे शिक्षित किया और उसके लिए अंतर्जातीय विवाह की व्यवस्था की। सावित्रीबाई फुले ने अपने बेटे, यशवंतराव गुप्ता के पूर्ण समर्थन के साथ, नालासोपारा के आसपास के क्षेत्र में प्लेग की महामारी से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला तथा वह महामारी के समय में प्रत्येक दिन बच्चों को खाना खिलाती थीं।

सावित्रीबाई फुले का लेखन में किया गया बहुमूल्य योगदान :

सावित्रीबाई फुले की कविताएं और अन्य लेखन कई लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। वे विद्रोही महिला कवयित्री और लेखिका थीं और भारत की जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी बनी रहीं। उनके कुछ बहुत ही मूल्यवान लेखन की व्याख्या निम्न है :

(i) **काव्याफुले– कविताओं का संग्रह, 1854 :–** यह उनकी कविताओं का पहला संग्रह और उस समय का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसकी भाषा सरल और प्रभावी है। यह लेखन का पारंपरिक रूप है, जिसे लोक रूप कहा जाता है। यह तब प्रकाशित हुआ था, जब वे महज 23 वर्ष की थीं। इसका

अर्थ है कि 19–20 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। इसमें प्रकृति, सामाजिक मुद्दों, शिक्षाप्रद कविताओं और ऐतिहासिक कविताओं जैसे विषयों पर कुल 41 कविताएँ हैं। सावित्रीबाई फुले अपनी रचनाओं में एक ऐसे समाज और जीवन का सपना देखती हैं, जिसमें स्त्री–पुरुष समानता हो, हर इंसान मानवीय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करे, किसी तरह का कोई अन्याय न हो, बेहतर समाज और सबके लिए खूबसूरत ज़िंदगी के मार्ग में उन्हें सबसे बड़ी बाधा जाति व्यवस्था और इसके द्वारा रची गई, स्त्री–पुरुष के बीच भेद–भाव को माना था। उन्होंने अपनी कविताओं में सबसे ज़्यादा चोट मनुवाद, जाति–पाति के भेद और स्त्री–पुरुष के बीच की असमानता पर किया है। जबकि उनकी कुछ कविताएँ मूल रूप से प्रकृति की कविताएँ हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें आधुनिक मराठी का अग्रदूत माना जाता है।

(ii) **ज्योतिराव के भाषण :–** सावित्रीबाई द्वारा संपादित एक खंड है। यह पुस्तक 1856 में प्रकाशित हुई, इसमें ज्योतिराव के चार भाषण हैं। इसका प्रतिलेखन चार्ल्स जोशी द्वारा किया गया है। वह अपने भाषणों में शिक्षा प्राप्त करने, बुराइयों के खिलाफ लड़ने जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं।

(iii) **सावित्रीबाई के पत्र ज्योतिराव :–** उन दिनों बहुत ही कम व्यक्ति पत्र लिखते थे, अपने जीवनसाथी को तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने इसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा पत्र में की। ज्योतिराव का पत्राचार भी उल्लेखनीय है क्योंकि वे हमें जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये पत्र उनकी बड़ी चिंताओं को दर्शाते हैं, उनका ध्यान समाज के सबसे वंचित वर्गों की मुक्ति, समाज में पूर्ण मानव गरिमा और स्वतंत्रता को अर्जित करने से है।

(iv) **मातोश्री सावित्रीबाई के भाषण :–** इनको वत्सल प्रेस, बड़ौदा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनमे शिक्षा प्रदान करना, अच्छा आचरण, व्यसन ऋण आदि शामिल हैं।

(v) **बावनकाशी सुबोध रत्नाकर :–** उनका दूसरा कविता संग्रह है जो भारत के इतिहास को बयान करता है, जिसमें गद्य में ज्योतिराव का काम भी शामिल है। इसमें 52 रचनाएँ हैं। इस कविता की रचना 1891 में ज्योतिराव की मृत्यु के बाद हुई और 1892 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई।

कविता अभिव्यक्ति का एक तरीका है, इनका भावनात्मक मूल्य हैं, लेकिन संज्ञानात्मक मूल्य भी है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले की कविताएँ दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति करती हैं। सावित्रीबाई के साहित्य ने भारतीय नारी के दर्द, महत्वाकाँक्षा और भावना को व्यक्त किया। जबकि उनके समकालीन रचनाकार महिलाओं के पौराणिक पतिव्रत की छवियों को फिर से बनाने में व्यस्त थे। जैसे सीता–सावित्री मॉड्यूल, इसके विपरीत, उन्होंने एक जुनून व्यक्त किया। वह आधुनिक भारतीय साहित्य में, ऐसे समय में अपनी आवाज को बुलंद करने में सक्षम थी, जब महिलाओं की आवाज को सभी वर्गों में बेरहमी से दबा दिया जाता था। वह अपने जीवनकाल में भारतीय महिला के लिए एक अनुकरणीय व्यक्तित्व थी । उनका लेखन एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। उनका काव्य और साहित्यिक गुण, जोश उत्पन्न करता है, जो 21वीं सदी में आज भी प्रासंगिक है।

सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता।

सावित्रीबाई फुले इतिहास के महानतम भारतीयों में से एक हैं, वह व्यक्तिगत विकास के बारे में बात करती हैं, मानव अधिकारों, विकास, गुण और आत्मनिर्भरता पर जोर देती हैं और व्यावहारिक दर्शन का परिचय देती हैं। इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या को उठाया तथा पुरुषों के वर्चस्व पर उनके विचार नारीवादी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नारीवाद के उनके दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता ने सावित्रीबाई फुले को औपनिवेशिक भारत में पहली नारीवादी दार्शनिक और शिक्षक के रूप में पेश किया जो

महिलाओं की शिक्षा और एक मानवीय, समानता पर आधारित समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करती हैं। सावित्रीबाई का दर्शन जो उनकी कविता संग्रह 'काव्या फुले' के विशेष संदर्भ में है, यह तर्क देता है कि उसका दृष्टिकोण और उसका साहित्य अभी भी एक ऐसी दुनिया में प्रासंगिक है, जहाँ शिक्षा बड़े स्तर पर जाति और वर्ग की बाधाओं के पार, बालिकाओं तक नहीं पहुंची है। जहाँ तक नैतिक मूल्यों, शिक्षा और महिलाओं के जीवन के बीच सम्बन्धों से है, इस संदर्भ में सावित्रीबाई के दार्शनिक तर्कों का अन्वेषण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह समाज में महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में थीं। फुले ने महिलाओं को दमनकारी, जाति–आधारित और कठोर पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था के शिकार के रूप में देखा और महिलाओं के लिए संघर्ष किया, उनका मानना था कि सामाजिक–सांस्कृतिक ताकतें, कृत्रिम रूप से लिंग संबंधों का निर्माण करती हैं, खासकर परंपरा, फुले ने परंपरा पर तीखा प्रहार किया जिसने महिलाओं को वास्तविक अधिकारों से वंचित कर दिया था। फुले ने यह भी सवाल उठाया कि परंपरा ने महिला का अपमान क्यों किया? प्राचीन भारत में नारी की स्थिति ऐसी नहीं थीं, हर कोई बहुत खुश थीं, महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त था। जैसा कि सिमोन डी. बेवॉयर ने कहा– ''महिलाएं बनाई जाती हैं, वे पैदा नहीं होती हैं''। नारीवादी दार्शनिक सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की अग्रदूत हैं। सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले की दृष्टि और जीवन शैली को आत्मसात किया, और वह उनके काम की निरंतर भक्त थीं। उन्होने कहा है कि–

'ज्ञान को अपना ईश्वर होने दो, हर तरह से उसका पीछा करो,
संकल्प के साथ सफलता प्राप्त करें, मन को भटकने न दें।
ज्ञान कितना कीमती है, यह सभी का सबसे बड़ा उपहार है,
जिसके पास ज्ञान का भण्डार है, उसे लोग बुद्धिमान कहते हैं।

ज्योतिबा फुले के दर्शन में समानता और मानवता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। इसे विकसित करने के लिए वह शिक्षा के माध्यम में समानता और स्वतंत्रता चाहते थे। महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी है, यह उसके लिए एक उपकरण है, अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने का, जो सभी दुखों का कारण है। उनका अनुभव है कि शिक्षा की कमी के कारण महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं होती है। ज्योतिबा फुले का दर्शन भारतीय और पश्चिमी विचारों का संश्लेषण है। ज्योतिबा फुले के दर्शन में मानवतावाद प्रमुख कारक है। उनका दर्शन दोहराव नहीं बल्कि आलोचनात्मक, प्रगतिशील, क्रांतिकारी और रचनात्मक है। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा प्रभावी है। ज्योतिबा फुले ने कहा– ''ज्ञान के बिना, बुद्धि खो गई, बुद्धि के बिना नैतिकता खो गई और नैतिकता के बिना सारी गतिशीलता खो गई! गतिशीलता के बिना पैसा खो गया और पैसे के बिना शूद्र डूब गए। यह सब दुख ज्ञान की कमी के कारण हुआ''। उनके विचारों और कार्यों के केंद्र में शूद्र एवं महिलाएं हमेशा थीं। उनके सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर दार्शनिक सोच आधुनिकता से प्रभावित थी। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और शांतिपूर्ण साहचर्य का आदर्श जो उन्होंने निर्धारित किया है, वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। शिक्षा, सामाजिक न्याय, जाति उन्मूलन और पुरोहित सत्ता के उन्मूलन के क्षेत्र में उन्होंने जो पथ–प्रदर्शक कार्य किए, वे न केवल अतीत को बल्कि वर्तमान को भी रोशन करते हैं। वर्तमान समय में भी समानता के बिना प्रगतिशील समाज की रचना करना संभव नहीं है। सावित्रीबाई की यह विरासत हमारे जीवन को हमेशा समृद्ध करती रहेगी।

उपसंहार :

सावित्रीबाई ने महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन दोनों ने प्रतिक्रियावादी और जातिवादी वर्चस्व वाली ताकतों का बहादुरी से सामना किया साथ ही दुर्व्यवहार के बावजूद लैंगिक समानता और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। सावित्रीबाई ने अपने अंतिम क्षणों तक जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक बुराइयों के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह लैंगिक समानता के लिए एक मजबूत आवाज थीं। उनकी शक्ति और जोश के कारण ही जब समाज के कुछ वर्गों के लोगों को अछूत के रूप में देखा जाता था, तो उन्होंने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया और उनकी देखभाल की। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी, महिलाओं और हाशिए के लोगों के अधिकारों के लिए अपने स्थायी और वीर संघर्ष के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों के प्रभुत्व को तोड़ दिया। सावित्रीबाई ने शिक्षा को स्वाभिमान और आत्म निर्भरता के आंदोलन के साधन के रूप में देखा, और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के वाहन के रूप में शिक्षा के बारे में जागरूक किया उनकी राय में शिक्षित महिला का अर्थ है, संपूर्ण परिवार की शिक्षा, क्योंकि महिला पूरे परिवार का पालन–पोषण करती हैं। महिलाओं की मानसिक अज्ञानता के कारण समाज में समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रास्ते पर समाज का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। सावित्रीबाई महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक शांति की प्रक्रिया में विश्वास करती थीं। उनका दर्शन मानव केंद्रित है, उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सामाजिक–आर्थिक और न्याय के माध्यम से आज भारत की शिक्षा नीतियों में सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में भी हम महिलाओं व वांचित वर्ग से भेदभाव की बातें सुनते रहते हैं। समाज में इस बुराई का कारण अशिक्षा का होना है। सावित्रीबाई के समस्त जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए हम यह पाते है कि उनके विचार आज भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रासांगिक है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. ओमवेदित, गेल. (2002). ज्योतिबा फुले स्त्री मुक्ति विचार, मुंबईः लोकवंगमय समूह।
2. ओमवेट, गेल (1977). महात्मा ज्योतिराव फुले और सामाजिक क्रांति की विचारधारा, इंडियाः इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 6 (37), सितंबर।
3. कीर, धनंजय (1997). महात्मा ज्योति राव फुलेः भारतीय समाज के जनक क्रांति, बॉम्बेः लोकप्रिय प्रकाशन।
4. गुप्ता, एन0 एल0 (2002). महात्मा ज्योतिबा फुलेः एक शैक्षिक दार्शनिक, नई दिल्लीः अनमोल प्रकाशन।
5. जोशी, टी0 एल0 (1996). ज्योतिराव फुले, नई दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
6. देशपांडे, जी0 पी0 (2002). ज्योतिबा फुले के चयनित लेखन, नई दिल्लीः मनोहर पब्लिशर्स एंड वितरक।
7. फड़के, वाई0 डी0 (1991). महात्मा फुले समग्र वांगमाया, मुंबईः महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल।

8. बख्शी, एस0 आर0 एवं महाजन (2000). भारतीय के विश्वकोश इतिहास में ज्योतिराव फूले।
9. मणि, ब्रज. मणि (2005). इतिहास का देवब्राह्मणीकरणः भारतीय में प्रभुत्व और प्रतिरोध समाज, नई दिल्लीः मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
10. मणि, बी0 आर0 एवं सरदार, पी0 (2008). ए फॉरगॉटन लिबरेटर, सावित्रीबाई का जीवन और संघर्ष, नई दिल्लीः माउंटेन पीक।
11. मलिक, गौरे, एवं अर्चना (2013). ज्योतिबा फुलेः एक आधुनिक भारतीय दार्शनिक, नई दिल्लीः सूर्योदय प्रकाशन।
12. माली, एम0 जी0 (2006). सावित्रीबाई फुले–समग्र वनगमाया, मुंबईः महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल।

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

महात्मा जोतिराव फुले एवं भारतीय नारी

डॉ0 सत्य प्रकाश गुप्त
प्रोफेसर–समाजशास्त्र
का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
प्रियंका पासवान
शोध छात्रा
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश–

महात्मा जोतिराव फुले ने अपने संपूर्ण आन्दोलन में नारी की समानता की लड़ाई को शूद्र, अतिशूद्रों की लड़ाई के समान ही स्थान दिया था। उनके व्यक्तिगत रूप से किये गये प्रयत्नों में भी नारी स्वतंत्रता के कार्य को प्रथम स्थान प्राप्त था। महात्मा जोतिराव फुले ने यह पहचान लिया था कि जब तक हिन्दू धर्म का नारी, शूद्र, अतिशूद्र के विरोधी तत्वज्ञान को नकारा नहीं जाता, तब तक नारी, शूद्र–अतिशूद्रों की स्वतंत्रता का विचार इस देश में पनप नहीं सकेगा। इसीलिए उन्होंने हिन्दू धर्मग्रथों तथा दर्शन का प्रबल विरोध किया। उनकी "सार्वजनिक सत्य धर्म" पुस्तक अर्थात नर–नारी अर्थात् मानवों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। जॉन स्टुअर्ट (John Stuart Mill) ने विचार व्यक्त किया कि मानव समाज के विकास के लिए नारी को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है। स्त्री पुरूष समान हैं, उनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, इस विचार से यूरोपीय देशों में नारी स्वतन्त्रता आन्दोलन को गति मिली थी। महात्मा जोतिराव फुले ने "सार्वजनिक सत्य धर्म" पुस्तक में स्पष्ट किया कि हम सभी के स्रष्टा ने सभी प्राणियों को पैदा किया है। इनमें से स्त्री–पुरूष जन्म से ही स्वतन्त्र तथा सभी अधिकारों का उपयोग करने के पात्र हैं। स्त्री–पुरूष में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना गलत है, क्योंकि नर और नारी दोनों एक समान हैं नर के समान नारी को भी स्रस्टा ने पैदा किया है। अतः नारी को निम्न स्तर का मानना उचित नहीं है। महात्मा जोतिराव फुले का नारी स्वतन्त्रता का विचार मानवीय स्वतन्त्रता के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है।

मूल शब्द (Keyword) : नारी, शिक्षा, असमानता, मानवीय स्वतन्त्रता, अधिकार।

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था वर्चस्व (विशेषाधिकार) स्थापित करने के एक प्रमुख कारक के रूप में स्मृतिकाल से हो रही है। इस व्यवस्था के कारण समाज की एक बड़ी आबादी समाज में उपलब्ध अधिकारों व संसाधनों से न केवल वंचित रही अपितु घोर शोषण का शिकार भी रही। भारतीय समाज में जहॉ सामाजिक वर्चस्ववाद के चलते शूद्र, दलित, और आदिवासी (अनुसूचित जनजातियाँ) समाज की मुख्यधारा से कट कर हाशिये (marignal stage) पर रहे हैं वहीं आर्थिक वर्चस्ववाद (Economic Dominance) के कारण महिलाओं की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय रही है। समाज महिलाओं को अनेक सामाजिक प्रतिबंधों में जकड़ रखा था। वे सदैव पराधीन जीवन व्यतीत करने को विवश थीं। पितृ सत्तामक व्यवस्था के कारण स्त्रियों को विधवा का नारकीय जीवन और सती प्रथा जैसी क्रूरतम प्रथाओं का शिकार होना पड़ता था। भारत का जातिवादी समाज दलितों और महिलाओं को कभी भी समानता का दर्जा नहीं दे पाया। इस संदर्भ में डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने माना है कि असमानता हिन्दू समाज का बुनियादी सिद्धान्त है। (सिंह, 2006), मध्यकाल में भारतीय समाज में व्यक्ति की स्वतत्रता व समानता जैसे मूलभूत अधिकार समाप्त ही थे। समाज में अनेक आडंबर एवं कर्मकाण्डों का बोलबाला था। इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु भारत में नवजागरण का सूत्रपात 18वीं सदी से माना जाता है। अंग्रेजों के भारत में आने के साथ भारत का संपर्क बाह्य देशों से बढ़ा। इस दौरान विज्ञान और तकनीकी का तेजी से विकास हुआ।

शिक्षा के पुर्नगठन, पाश्चात्य संस्कृति व विचार, जीवन–शैली तथा मूल्यों ने भारतीय जनमानस को व्यापक रूप से प्रभावित किया। परिवर्तित सामाजिक,राजनैतिक व आर्थिक परिवेश के अनुरूप भारतीय समाज का सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग ने प्रयास प्रारंभ किया। इस दिशा में सामाजिक सुधार कार्यक्रम संचालित करने वाले प्रमुख समाज सुधारक राजाराम मोहनराय, देवेन्द्र नाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन तथा दयानंद सरस्वती आदि रहे। इन सभी ने जाति प्रथा, कर्मकाण्ड, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों का विरोध किया, तथा शिक्षा के द्वारा तर्कसंगत समाज की स्थापना पर बल दिया। इसी क्रम में वंचितों, दलितों , महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके विकास हेतु महात्मा जोतिराव फुले द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये गये। उन्होंने हजारों वर्षों से अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को विवश बहुसंख्यक समूह को शिक्षा द्वारा धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास के युग से निकाल कर आधुनिक तर्कसंगत युग में लाने का प्रयास किया। इसलिए डा0 आर0पी0 सिंह ने जोतिराव फुले को महाराष्ट्र में धार्मिक व सामाजिक सुधार के प्रणेता की संज्ञा दी है, (सिंह,2006)। महात्मा जोतिराव फुले ने दलितों व महिलाओं के उद्धार व अधिकारों के किए जो प्रयास किये वह परम सराहनीय एवं अतुलनीय है। 19वीं सदी में पूजा जैसे कट्टरता एवं रूढ़िवादिता के गढ़ में दलितों एवं स्त्रियों के उत्थान हेतु जोतिराव फुले ने अनेक शैक्षिक व समाज सुधारक सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये। इन सुधारवादी कार्यक्रमों से सम्पूर्ण राष्ट्र में नवचेतना, नवजागरण तथा सामाजिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा जोतिराव समाज सुधारक, शिक्षाविद व दार्शनिक थे। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। महात्मा जोतिराव ने अपने बाल्यकाल में टॉमस पेन की पुस्तक "राइट्स ऑफ मैन" पढ़ी थी। इस पुस्तक से वह बहुत प्रभावित हुए और पुस्तक में लिखित विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की। उन्हें यह अनुभव हुआ कि सबसे सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, और मानवता की रक्षा करना सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा जोतिराव ने मानवतावादी दर्शन को अपनाया, और समाज के अपवंचित, दलित, पिछड़े लोगों, महिलाओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया। प्रतिस्थापित सामाजिक व्यवस्था तथा मान्यताओं पर सर्वप्रथम प्रहार करने वाले व्यक्ति जोतिराव फुले ही थे। उनका मानना था कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की दुर्दशा का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता व निरक्षरता है। वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, इसीलिए शोषण व अत्याचार का शिकार है। उनका स्पष्ट मत था कि यदि इस वर्ग की दशा सुधारनी है तो उन्हें शिक्षित करना ही होगा।

सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में उन्होने नर–नारी का उल्लेख सभी मानव स्त्री–पुरूष या स्त्री अथवा पुरूष जैसे समान अर्थ से किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान गेल ओमव्हेट Gail Omvedt ने "Cultural Revolt in a Colonial Society" में अपने ग्रंथ में लिखा है कि उनका स्त्रियों के विषय में दृष्टिकोण उनकी भाषा में व्यक्त हुआ है। नारी के लिए महात्मा जोतिराव फुले ने जो समतावादी तथा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसका उल्लेख गेल ओमव्हेट जैसी पाश्चात्य लेखिका ने किया है। महात्मा फुले का मानना है कि नारी–पुरूष समान है ऐसे में स्त्री–पुरूष के लिए अलग–अलग नियम लागू करना मानवीय स्वतन्त्रता के खिलाफ है। उन्होंने नारी के मानवीय अधिकारों का विरोध करने वाले धर्म ग्रन्थों का प्रबल विरोध किया था। वे कहते हैं कि कुछ अहंकारी पुरूषों ने अपनी जाति के स्वार्थ के लिए नकली स्वार्थपरक धर्म–ग्रंथ में नारी के विरोध में ऐसे स्वार्थी लेख लिखे हैं। जिन धर्म ग्रन्थों ने नारी को शूद्र मानकर, अनेक कठोर बंधन लादे, उन सभी हिन्दू ग्रन्थों का उन्होंने जमकर विरोध किया। ये सभी ग्रंथ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिये लिखे, इन सभी धर्म ग्रंथों ने नारी के मानवीय अधिकारों को नकारा है, ऐसा उन्होंने बार–बार बताया है। नर–नारियों में किसी भी प्रकार की पसन्दगी–नापसन्दगी के आधार पर उनमें अन्तर न करते हुए उनके खाने–पीने और पहनावे आदि के बारे में किसी भी प्रकार का विधि–निषेध नहीं होना चाहिए।

महात्मा फुले का स्पष्ट मत था कि आज नारी की गुलामी का मुख्य कारण असमानता है जिसके कारण वे अपने मानवीय अधिकारों के विषय में जागरूक नहीं हुई। वे कहते हैं कि सभी नारियों को अपने मानवीय अधिकार समझ में न आयें इस उद्देश्य से स्वार्थी पुरूषों ने बड़ी चालाकी से नारी को पढने लिखने से वंचित कर दिया। इसीलिए सभी नागरिकों को ऐसे शोषण और अत्याचार सहने पड़े। लोभी और स्वार्थी पुरूषों ने छल–कपट करके यह तय कर दिया कि किसी भी काम में नारी जाति की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाया। महात्मा फुले ने नारी की गुलामी का सही कारण पहचान लिया था और वह था नारी को शिक्षा का अधिकार न मिलना। इसीलिए उन्होंने नारी शिक्षा के महत्व को समझकर उसका समर्थन किया।

महात्मा जोतिराव फुले ने अपनी पुस्तक "सार्वजनिक सत्य धर्म" में नारी स्वतन्त्रता हेतु एक घोषणा पत्र का उल्लेख किया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं–

1. निर्माणकर्ता ने सभी प्राणियों को पैदा किया है। स्त्री–पुरूष दोनों जन्म से ही स्वतन्त्र तथा सभी अधिकारों का उपभोग करने के पात्र हैं।
2. सभी स्त्री–पुरूष मानवीय अधिकारों के हकदार हैं। कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह किसी पर भी बल प्रयोग नहीं कर सकता।
3. सभी स्त्री–पुरूषों को सभी मानवीय अधिकारों के विषय में अपने विचार तथा मतों को व्यक्त करने लिखने तथा प्रचारित करने की स्वतन्त्रता है।
4. सभी मानवों को धार्मिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता दी गई है।
5. कोई भी स्त्री–पुरूष दूसरों की धार्मिक बातों के बारे में मत भिन्नता या राजनीतिक कारणों से उनको किसी भी तरह नीच नहीं मानना चाहिए और न ही उनका शोषण करना चाहिए।
6. सभी नर–नारियों को धर्म, स्थानीय और क्षेत्रीयता सम्बन्धी हर मनुष्य की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और उसके शोषण से बचाव का हक हो।
7. सभी नर–नारियों को धर्म, स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारों के पद उनको योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार मिलने चाहिए इसके लिए निर्माणकर्ता ने उनको समर्थ बनाया है।
8. नर–नारियों में किसी भी प्रकार की पसंदगी–नापसंदगी के आधार पर उनमें अन्तर न करते हुए उनके खाने–पीने और पहनावे आदि के बारे में किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं होना चाहिए।

महात्मा जोतिराव फुले शिक्षा में लिंग भेद के विरोधी थे उन्होंने अपनी रचना अखण्डादि काव्य रचना में लिखा है–

नर–नारी के लिए स्कूल खोलिये।
ज्ञान बढ़ाइये भेदभाव नहीं।। (मेश्राम, 2002)

महत्मा जोतिराव फुले द्वारा विद्यालयों में सभी वर्गों की बालिकाओं को प्रवेश लेने व अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी। इससे जाति व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इन बालिका विद्यालयों में वाचन, लेखन, अंकगणित, व्याकरण आदि विषय पढ़ाये जाते थे। (आचार्य, 2015) महात्मा जोतिराव फुले

महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित व सुसंस्कृत होता है। इसी कारण महात्मा जोतिराव फुले जीवन पर्यन्त महिला शिक्षा के लिए कार्य करते रहे। उनके द्वारा संचालित बालिका विद्यालयों में विभिन्न प्रगतिशील विचार वाले लोगों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। जिससे बालिकाओं की संख्या विद्यालयों में बढ़ी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके अध्यापन कार्य में लगा दिया। इस प्रकार सावित्री बाई फुले को प्रथम भारतीय दलित शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ। नारी पर समाज द्वारा थोपी विभिन्न प्रथाओं, परम्पराओं का फुले ने खुलकर विरोध किया जिसमें सबसे पहले उन्होंने समाज में प्रचलित विधवा मुण्डन प्रथा का विरोध किया। मुम्बई में आयोजित नाई सभा में विधव मुण्डन न करने का संकल्प सर्व सम्मति से पारित कराया। उन्होंने विधवा विवाह का युगान्तकारी अभियान चलाया तथा सन 1860 में उन्होंने एक विधवा का विवाह कराया और आगे भी इस कार्य को प्रोत्साहित करते रहे।

नारी–शिक्षा हेतु महात्मा जोतिराव फुले ने 1848 में पूणे में बुधवार पेट के भिड़े के बाड़े में बालिकाओं के लिए एक पाठशाला प्रारंभ की, यह पाठशाला किसी भारतीय द्वारा शुरू की गई प्रथम पाठशाला थी। महात्मा फुले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ाया व बाद में सावित्री बाई ने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। महात्मा जोतिराव फुले ने बहुत लगन से नारी–शिक्षा का कार्य जारी रखा। नारी–शिक्षा पर फुले ने फरवरी 1853 में पूणे में एक समारोह आयोजित किया था जिसमें मेजर कॅण्डी, मिसेज कॅण्डी ई.सी. जोन्स, मिसेज जोन्स आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अण्णासाहब चिपलूनकर का भाषण नारी–शिक्षा के सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण था। नारी की स्वतन्त्रता के रास्ते में आनेवाली प्रत्येक बाधा का महात्मा जोतिराव फुले द्वारा जमकर विरोध किया गया था। नारी स्वतत्रंता को महत्व देने वाली बातों को उन्होंने स्वीकार किया, नारी को केवल पढ़ने लिखने अथवा उनकी साक्षर होने तक की शिक्षा को ही जोतिराव फुले ने सीमित नहीं किया अपितु नारी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए।

महात्मा जोतिराव फुले ने भारतीय समाज में नारी पर थोपे गये अनुचित बंधनो से मुक्त कराने का आजीवन प्रयत्न किया। नारियों के साथ होने वाले भेद–भाव असमानता, शोषण और गुलामी का कारण अशिक्षा है, ऐसा उनका मानना था। जिसके लिए उन्होंने बालिका पाठशालाओं की स्थापना की एवं स्त्री–पुरूष में समानता स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान भारतीय समाज में नर–नारी के बीच बढ़ती समानता महामना जोतिराव फुले के क्रान्तिकारी एवं दूरदर्शी विचारों का परिणाम है। आवश्यकता इस बात की है कि हम महात्मा जोतिराव फुले के विचारों को अंगीकृत कर एक ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण है जिसमें लिंग, जाति जैसे विविध कारकों के आधार पर उपजी असमानता, शोषण से मुक्ति मिल सके और एक तर्कसंगत मानवतावादी समानता आधारित समाज का निर्माण हो और भारत विश्व पटल पर एक विकसित, खुशहाल राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके।

<u>सन्दर्भ ग्रंथ–सूची–</u>

1. **डॉ0 रावसाहेब कसबे** : महात्मा जोतिराव फुले–सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता (लेख), महात्मा फुले गौरवग्रंथ (1982)।
2. **Dr. A.S. Altekar :** The Position of Women in Hindu Civilization (from Pre Historic Times to Present Day), Motilal Banarasi Das Publication Jawahar Nagar, Delhi -110007 (1973)
3. **Gail, Omvedt :** Cultural Revolt in a Colonial Society, सुगावा प्रकाशन, पुणे (1995)
4. **डॉ0 हेमलता आचार्य** : भारत की सामाजिक क्रान्ति के पथ प्रदर्शक जोतिबा फुले,(2015), सम्यक प्रकाशन, 32/3 पश्चिमपुरी, नई दिल्ली– 110063
5. **डॉ0 सरोज आगलावे** : जोतीराव फुले का सामाजिक दर्शन (2010), सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी, नई दिल्ली–110063
6. **मुरलीधर, जगताप** : युग पुरूष महामना फुले, चरित्र साधने प्रकाशन समिति महाराष्ट्र शासन, मुम्बई (1993)
7. **चंचरीक, कन्हैयालाल** : महात्मा ज्योतिबा फुले, निदेशक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली (1998)
8. **दिनकर, रामधारी सिंह** : संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (1997)
9. **हरि नरके** : महात्मा फुले साहित्य और विचार, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिति महाराष्ट्र शासन, मुम्बई (1993)।

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा में छात्र नामांकन,छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट स्थिति का स्थानुकालिक मूल्यांकनः एक जिला–स्तरीय विश्लेषण

कु0 अलका
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड–246174

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में प्रारंभिक शिक्षा में छात्र नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट के स्थानुकालिक प्रगति का मूल्यांकन 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में समस्त उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो का विश्लेषण किया गया है। जिसमें शिक्षा की प्रगति के सहायक चरों की स्थिति का अध्ययन है, साथ की सम्पूर्ण अध्ययन में सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट दर जैसी मात्रात्मक विधियो का उपयोग करते हुए वंछित परिणाम प्राप्त किये गये है।

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात में 2013–14 की अवधि में प्रति 20 छात्रों पर एक शिक्षक की उपलब्धता दृष्टिगोचर हो रही थी । यह स्तर 2016–17 की अवधि में घटकर प्रति 18 छात्रों पर एक शिक्षक हो गया। वहीं 2019–20 की अवधि में उपरोक्त अनुपात प्रति 16 छात्रों पर एक शिक्षक औसतन रह गया है। वहीं सकल नामांकन अनुपात की स्थिति 2013–14 की अवधि में औसतन 50.26 प्रतिशत थी। वह 2016–17 की अवधि में घटकर 45.93 प्रतिशत पर आ गयी, जबकि 2019–20 की अवधि में सकल नामांकन अनुपात पुनः घटकर 38.18 प्रतिशत ही रह गया (यूडीस, 2013–20)।अध्ययन क्षेत्र में छात्रो की संख्या में गिरावट दृष्टिगत होती है क्योकि जनसंख्या वृद्धि मे गिरावट हुई है क्षेत्र में। वहीं शिक्षको की नियुक्तियों में भी वृद्धि विगत वर्षो में हुई है, जिसका स्पष्ट प्रभाव प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिगत होती है।

शब्दकोश (Keywards) छात्र–शिक्षक अनुपात, सकल नामांकन, ड्रॉप आउट

प्रस्तावना (Introduction)

साक्षरता, जो मानव संसाधन विकास एवं जीवन की गुणवत्ता में सीधे योगदान देने वाला पहला व सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उत्तराखण्ड राज्य का देश में 14वां स्थान है। विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों की मदद से उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब राज्य सरकार शिक्षा के गुणात्मक पहलू को संबोधित करने के लिए गहन प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संकल्पित है(झा, 2010)। राष्ट्र ने शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, शिक्षा की नीतियों व कार्यक्रमों को भारत सरकार व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों एवं स्थानीय निकायों को शामिल करते हुए जिला स्तर के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन संरचनाओं के माध्यम से लागू किया गया है।केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों व जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिए सुपरिभाषित संवैधानिक प्रावधान एवं तंत्र हैं। शिक्षा को एक राज्य से एक समवर्ती विषय में बदलने के लिए 1976 में संविधान में संशोधन किया गया था, जिसका अर्थ है, कि शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनो ही सरकारों का साझा कार्यक्रम

है।1950 में भारत के संविधान को अपनाने एवं 1951 से विकास योजना शुरू होने के बाद से भारत सरकार के एजेंडे में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य उच्च रहा है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख कार्यक्रम ''सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)'' है। 'सर्वशिक्षा अभियान' के समग्र लक्ष्य हैं– (अ) स्कूलों में सभी बच्चे; (ब) शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों में सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को भरना (स) सार्वभौमिक प्रतिधारण; एवं (द) संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा।

उपलब्ध आंकड़े प्री–स्कूल शिक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या में सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। 2013–14 में प्राथमिक शिक्षा में शुद्ध नामांकन दर 88 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। प्राथमिक शिक्षा में वार्षिक ड्रॉप–आउट दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई गई है। प्रारंभिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में हुई प्रगति से माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है(न्यूपा, 2014)।

प्रदेश में राजकीय विद्यालयों की कुल संख्या 14271 है इन विद्यालयों में 453188 छात्र/छात्राओं का नामांकन है, जिनमें 31716 शिक्षक कार्यरत है, जबकि प्राइवेट विद्यालयों की संख्या राज्य में 4504 है, जिनमें 558325 छात्र/छात्राओं का नामांकन है, जिनमें 33511 शिक्षक कार्यरत है (यूडीस,2019–20)। उत्तराखण्ड राज्य में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 102.93 है (यूडीस,2019–20)।

उद्देश्य (Objective)

1–उत्तराखण्ड राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में छात्र नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट की प्रगति का मूल्यांकन करना।

2–वर्ष 2013–14 से 2019–20 तक की अवधि में छात्र नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट अनुपात का विश्लेषण स्थानुकालिक संदर्भ में करना।

अध्ययन क्षेत्र (Study Area)

उत्तर भारत में स्थित उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तगत भारत की सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख नदियाँ स्थित हैं। इस राज्य में गंगा व यमुना नदियों के अपने स्रोत हैं और इसमें पूरे देश की सबसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख नदियाँ शामिल हैं।

भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जिसका भौगोलिक विस्तार $77^0$34' से $81^0$02' पूर्व देशांतर और $28^0$43' से $31^0$27' उत्तरी अक्षांश के बीच।राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किमी है, (चित्र 01) जिसमें से 93 प्रतिशत भू–भाग पहाड़ी है और 65 प्रतिशत भू–भाग जंगल से आच्छादित है। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग उच्च हिमालयी चोटियों और हिमनदों से आच्छादित है। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, भारतीय सड़कों, रेलवे और अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के विकास ने अंधाधुंध कटाई पर चिंताओं को जन्म दिया, खासकर हिमालय में।

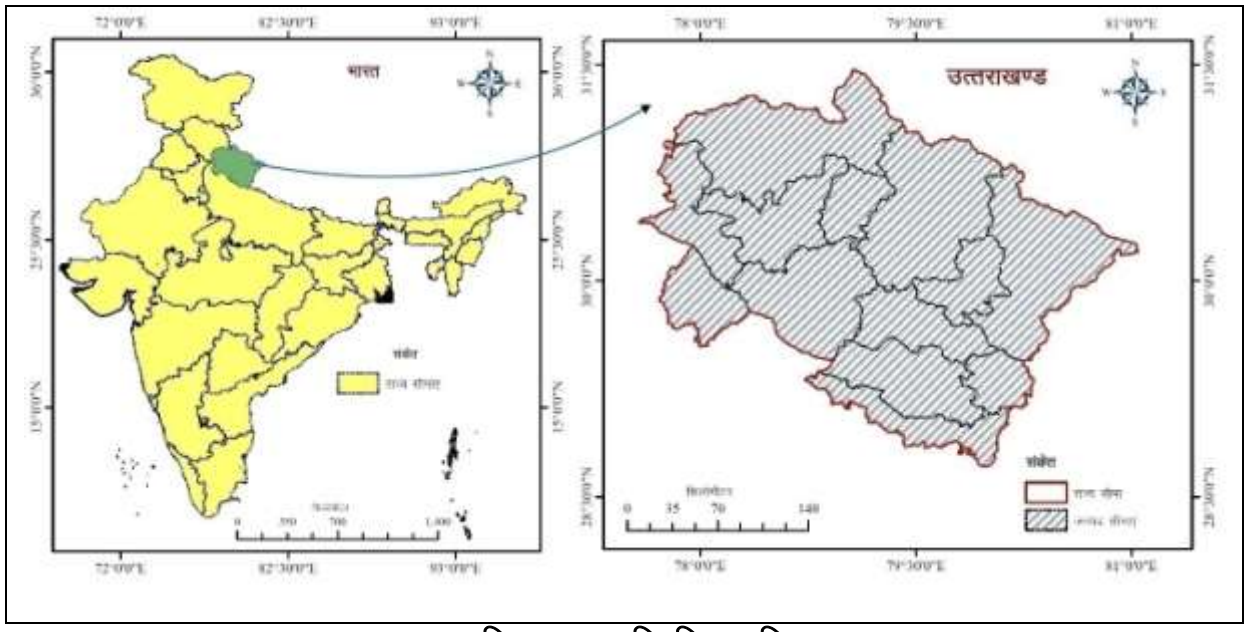

चित्र 01: अवस्थिति मानचित्र

सम्पूर्ण राज्य को कुल 13 जनपदों एवं 2 डिवीजनों, गढ़वाल और कुमाऊं में बांटा गया है। उत्तराखण्ड की अंतरिम राजधानी देहरादून है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, जो एक रेलहेड है। उत्तराखण्ड के भूगोल से पता चलता है कि यह उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है और नेपाल और चीन के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

उत्तराखण्ड राज्य में 20 वीं शताब्दी के मध्य से सभी स्तरों पर नामांकित स्कूलों और छात्रों की संख्या में एक आभासी विस्फोट हुआ है। 21वीं सदी के पहले दशक में, राज्य की साक्षरता दर (70 प्रतिशत से अधिक) राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी है, हालांकि कई निजी आवासीय विद्यालय हैं जहां शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। (उत्तराखंड की पर्यटन विरासत, 2005)

समंक एवं कियाविधि (Data and Methodology)

प्रस्तुत प्रपत्र मुख्य रुप से द्वितीयक आंकडो के विश्लेषण पर आधारित एक मात्रात्मक अध्ययन है। इस शोधकार्य में प्रयुक्त समस्त आंकडों का संकलन राज्य, जनपद स्तरीय इंटरनेट स्त्रोतों से किया गया है। इन स्त्रोतों के अर्न्तगत मुख्य रुप से यूडीस एवं जनगणना वेबसाइटों से किये गये है। इस शोध प्रपत्र में छात्र नामांकन, छात्र–शिक्षक एवं ड्रॉप आउटचरों का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त चरो के मात्रात्मक मूल्यांकन में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) एवं ड्रॉप आउट दर जैसी विधियों का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं विचार–विमर्श (Results and Discussion)

प्रारंभिक शिक्षा में छात्र नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात एवं ड्रॉप आउट दरमें प्रगति का मूल्यांकन (2013 से 2020 तक):

उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात में 2013–14 से 2019–20 की अवधि में अंशिक परिवर्तन ही दृष्टिगत होता है। जिसमें से 2013–14 की अवधि में छात्र–शिक्षक अनुपात का स्तर प्रति 20 छात्रों पर एक शिक्षक की उपलब्धता दृष्टिगोचर हो रही थी । यह स्तर 2016–17 की अवधि में घटकर प्रति 18 छात्रों पर एक शिक्षक हो गया। वहीं 2019–20 की अवधि में उपरोक्त अनुपात प्रति 16 छात्रों पर एक शिक्षक औसतन रह गया है (तालिका 01)। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि में करीब प्रति 4 छात्रों पर एक शिक्षक की श्रेणी में गिरावट दृष्टिगत होती है (यूडीस, 2013–20)।

तालिका 01:उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में छात्र–शिक्षक अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में

	छात्र–शिक्षक अनुपात			छात्र–शिक्षक अनुपात में परिवर्तन	
जनपद का नाम	2013–14	2016–17	2019–20	2013–14 से 2016–17	2016–17 से 2019–20
अल्मोडा	15	15	13	0	-2
बागेश्वर	19	15	13	-4	-2
चमोली	14	14	14	0	0
चम्पावत	18	16	15	-2	-1
देहरादून	30	26	19	-4	-7
गढवाल	16	35	30	19	-5
हरिद्वार	37	22	19	-15	-3
नैनीताल	20	13	11	-7	-2
पिथौरागढ	12	11	13	-1	2
रुद्रप्रयाग	17	13	14	-4	1
टेहरी गढवाल	14	14	13	0	-1
उघमसिंह नगर	29	26	24	-3	-2
उत्तरकाशी	16	14	14	-2	0
औसत मान	**20**	**18**	**16**	**-2**	**-2**

2013–14 की अवधि में हरिद्वार (प्रति 37 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं देहरादून (प्रति 30 छात्रों पर एक शिक्षक) जनपदों में छात्र–शिक्षक अनुपात की मात्रा सबसे अधिक दृष्टिगत होती है, जबकि सबसे कम छात्र–शिक्षक अनुपात की मात्र पिथौरागढ (प्रति 12 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं चमोली (प्रति 14 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं टिहरी गढवाल (प्रति 14 छात्रों पर एक शिक्षक) जनपदों में रही है। वहीं 2016–17 की अवधि में सबसे अधिक छात्र–शिक्षक अनुपात गढवाल (प्रति 35 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं देहरादून (प्रति 26 छात्रों पर एक शिक्षक) में दृष्टिगोचर होता है, जबकि निम्न छात्र–शिक्षक अनुपात की मात्रा पिथौरागढ (प्रति 11 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं नैनीताल (प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक) व रुद्रप्रयाग (प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक) जनपदों मं दृष्टिगत होता है। 2019–20 में सबसे अधिक छात्र–शिक्षक अनुपात की मात्रा गढवाल (प्रति 30 छात्रों पर एक शिक्षक) में दृष्टिगत होता है, जबकि नैनीताल (प्रति 11 छात्रों पर एक शिक्षक) एवं अल्मोडा (प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक), बागेश्वर (प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक), पिथौरागढ

(प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक) व रुद्रप्रयाग (प्रति 13 छात्रों पर एक शिक्षक) जनपदो में सबसे निम्न छात्र–शिक्षक अनुपात दृष्टिगत होता है (चित्र 02)।

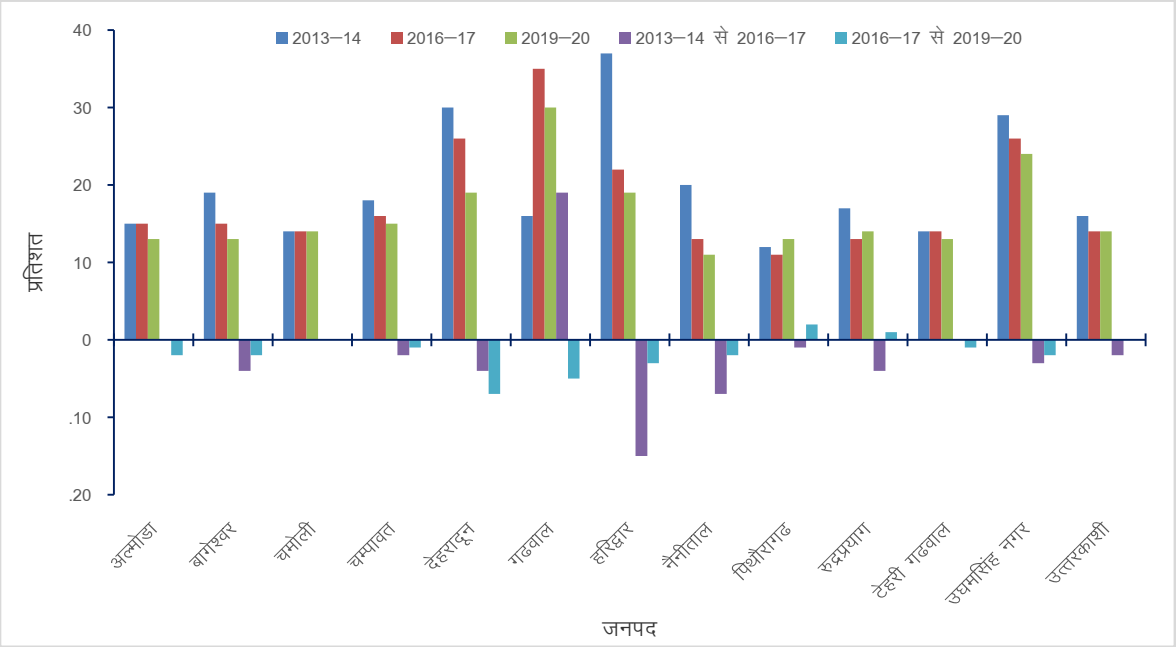

चित्र 02: उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में छात्र–शिक्षक अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में

अध्ययन क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात की स्थिति 2013–14 से 2019–20 की अवधि तक निरंतर परिवर्तनशील रही है, जहॉ 2013–14 की अवधि में औसतन 50.26 प्रतिशत थी । वह 2016–17 की अवधि में घटकर 45.93 प्रतिशत पर आ गयी, जबकि 2019–20 की अवधि में सकल नामांकन अनुपात पुनः घटकर 38.18 प्रतिशत ही रह गया (तालिका 02 एवं यूडीस, 2013–20)।

सम्पूर्ण अध्ययन अवधि में राज्य की औसत सकल नामांकन अनुपात में गिरावट आयी है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात के वितरण में स्थानिक दृष्टि से काफी विभिन्नता विद्यमान है, जहॉ 2013–14 में सकल नामांकन अनुपात की मात्रा सबसे अधिक चम्पावत (57.75) एवं रुद्रप्रयाग (55.49) जनपदो मं थी। वहीं सबसे कम सकल नामांकन अनुपात की मात्रा देहरादून (34.57) जनपद में था। यह 2016–17 में पुनः घटकर 33.43 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात देहरादून जनपद में रह गया । वहीं सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात चम्पावत (55.91) जनपद में रहा था। 2019–20 की अवधि में सकल नामांकन अनुपात की मात्रा सबसे अधिक गढवाल (125.28) जनपद में दृष्टिगत होती है। वहीं सबसे निम्न सकल नामांकन अनुपात हरिद्वार (12.4) एवं नैनीताल (16.99) जनपद में रही है।सकल नामांकन अनुपात में काफी विभिन्नता दृष्टिगत होती है। जो क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आयु एवं उनके नामांकन के अनुपात को प्रदर्शित करता है। जोकि समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है (यूडीस, 2013–20)।

तालिका 02: उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में सकल नामांकन अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में					
	सकल नामांकन अनुपात			सकल नामांकन अनुपात में परिवर्तन	
जनपद का नाम	2013–14	2016–17	2019–20	2013–14 से 2016–17	2016–17 से 2019–20
अल्मोडा	**49.27**	**42.45**	**31.85**	**-6.83**	**-10.60**
बागेश्वर	**54.68**	**52.83**	**34.96**	**-1.85**	**-17.88**
चमोली	**49.88**	**46.88**	**41.42**	**-3.00**	**-5.47**
चम्पावत	**57.75**	**55.91**	**32.95**	**-1.84**	**-22.95**
देहरादून	**34.57**	**33.43**	**24.63**	**-1.14**	**-8.79**
गढवाल	**51.59**	**41.07**	**125.28**	**-10.52**	**84.21**
हरिद्वार	**48.61**	**43.08**	**12.04**	**-5.53**	**-31.04**
नैनीताल	**41.42**	**39.27**	**16.99**	**-2.15**	**-22.29**
पिथौरागढ	**51.57**	**46.30**	**30.99**	**-5.27**	**-15.31**
रुद्रप्रयाग	**55.49**	**50.51**	**40.54**	**-4.98**	**-9.97**
टिहरी गढवाल	**53.48**	**45.55**	**34.97**	**-7.93**	**-10.59**
उधमसिंह नगर	**53.82**	**51.02**	**33.37**	**-2.80**	**-17.65**
उत्तरकाशी	**51.29**	**48.75**	**36.31**	**-2.54**	**-12.44**
औसत मान	**50.26**	**45.93**	**38.18**	**-4.34**	**-7.75**

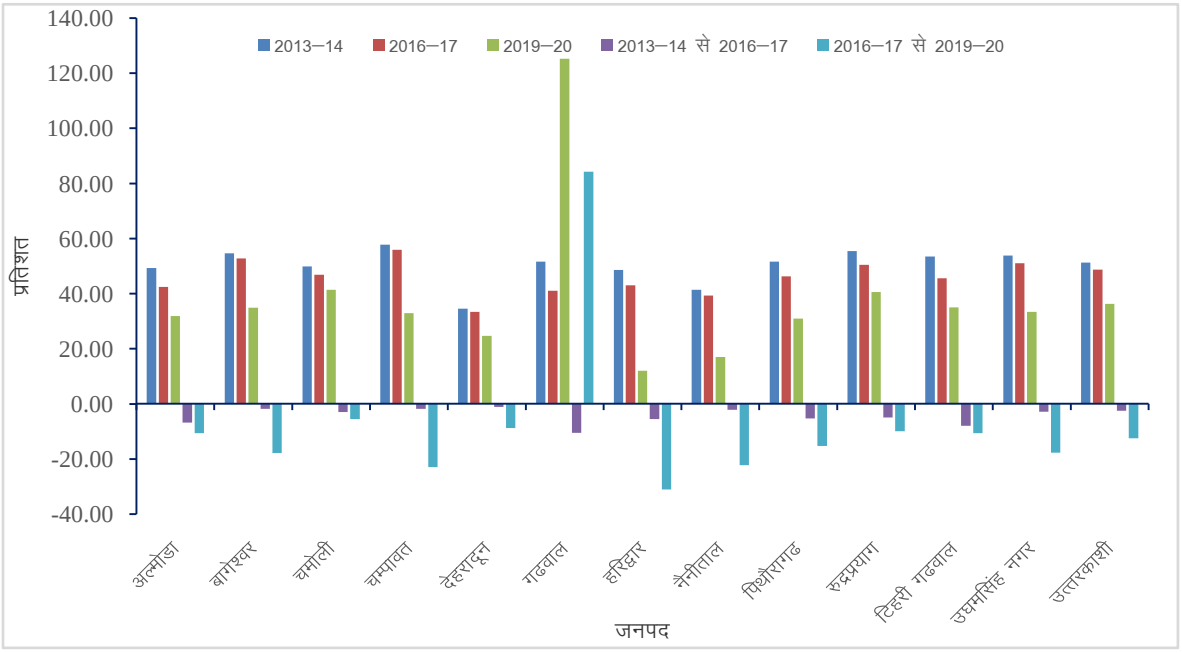

चित्र 03: उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में सकल नामांकन अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में

ड्राप आउट की दर सम्पूर्ण राज्य में 2013–14 से 2019–20 की अवधि में भिन्न–भिन्न रही है, जहॉ 2013–14 की अवधि में औसतन ड्राप आउट दर 10.25 प्रतिशत थी। वह 2016–17 की अवधि में ड्राप आउट की दर 12.38 प्रतिशत रही है। इस दर में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ 2019–20 की अवधि में औसत ड्राप आउट की दर निरंतर रुप से वृद्धि हुई है (तालिका 03)।

तालिका 03: उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में ड्राप आउट अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में

	ड्राप आउट अनुपात			ड्राप आउट अनुपात में परिवर्तन	
जनपद का नाम	2013–14	2016–17	2019–20	2013–14 से 2016–17	2016–17 से 2019–20
अल्मोडा	**7.06**	**12.16**	**15.63**	**5.1**	**3.47**
बागेश्वर	**11.77**	**4.31**	**3.92**	**-7.46**	**-0.39**
चमोली	**4.71**	**17.58**	**8.6**	**12.87**	**-8.98**
चम्पावत	**5.52**	**13.14**	**7.34**	**7.62**	**-5.8**
देहरादून	**12.94**	**11.58**	**11.17**	**-1.36**	**-0.41**
गढवाल	**0**	**1.39**	**15.99**	**1.39**	**14.6**
हरिद्वार	**30.95**	**29.77**	**2.43**	**-1.18**	**-27.34**
नैनीताल	**10.61**	**10.74**	**6.67**	**0.13**	**-4.07**
पिथौरागढ	**0**	**1.1**	**13.94**	**1.1**	**12.84**
रुद्रप्रयाग	**11.24**	**22.18**	**72.37**	**10.94**	**50.19**
टेहरी गढवाल	**2.31**	**6.47**	**9.14**	**4.16**	**2.67**
उधमसिंह नगर	**18.97**	**15.86**	**15.41**	**-3.11**	**-0.45**
उत्तरकाशी	**17.17**	**14.63**	**39.69**	**-2.54**	**25.06**
औसत मान	**10.25**	**12.38**	**17.10**	**2.13**	**4.72**

ड्राप आउट की दर का स्थानुकालिक संदर्भ में काफी भिन्नता विद्यमान है, जहॉ 2013–14 की अवधि में सबसे अधिक ड्राप आउट का अनुपात का स्तर हरिद्वार (30.95 प्रतिशत) जनपद में थी, जबकि सबसे न्यूनतम ड्राप आउट की दर गढवाल (0.0 प्रतिशत), पिथौरागढ (0.0 प्रतिशत) एवं टिहरी गढवाल (2.31 प्रतिशत) जनपदों में रही है। वहीं 2016–17 की अवधि में सबसे अधिक ड्राप आउट की दर हरिद्वार (29.77 प्रतिशत) जनपद में रही थी, जबकि सबसे निम्न ड्राप आउट की दर के अर्न्तगत पिथौरागढ (1.1 प्रतिशत) एवं गढवाल (1.39 प्रतिशत) जनपदों में रही थी। वहीं 2019–20 की अवधि में ड्राप आउट का छात्रों की दर

भी भिन्न–भिन्न जनपदों के अर्न्तगत रही है, जिसमें से सबसे अधिक ड्राप आउट की दर रुद्रप्रयाग (72.37 प्रतिशत) जनपद में दृष्टिगोचर होती है। वहीं सबसे निम्न ड्राप आउट की दर की मात्रा हरिद्वार (2.43 प्रतिशत) एवं बागेश्वर (3.92 प्रतिशत) जनपदों में दृष्टिगत होती है (चित्र 04)। राज्य के अन्य जनपदों की स्थिति भी कमोवेश उच्च एवं निम्न श्रेणी के जनपदों के समान ही रही है (यूडीस, 2013–20)।

उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में सकल नामांकन अनुपात में कालिक परिवर्तन (2013 से 2020 तक)

सकल नामांकन अनुपात में अधिकांशतः गिरावट ही दृष्टिगत हो रही है, जहॉ 2013 से 2017 तक की अवधि में औसतन रुप से गिरावट –4.34 प्रतिशत की दृष्टिगत हो रही है, जबकि 2017 से 2020 की अवधि में –7.75 प्रतिशत की औसतन गिरावट सकल नामांकन अनुपात में दृष्टिगत हो रही है।

सकल नामांकन अनुपात में सभी जनपदों की प्रकृति में गिरावट दृष्टिगत हो रही है। 2013 से 2017 की अवधि में सबसे अधिक गिरावट गढवाल (–10.52) जनपद में रही है, जबकि सकल नामांकन अनुपात में न्यूनतम गिरावट देहरादून (–1.14) एवं चम्पावत (–1.84) जनपदो में दृष्टिगत हो रही है। वहीं 2017 से 2020 की अवधि में सबसे उच्चतम वृद्धि गढवाल (84.21) जनपद में रही है, जबकि चमोली (–5.47) जनपद में सबसे निम्न रही है, जोकि ऋणात्मक प्रकृति की दृष्टिगत हो रही है (तालिका 02)।

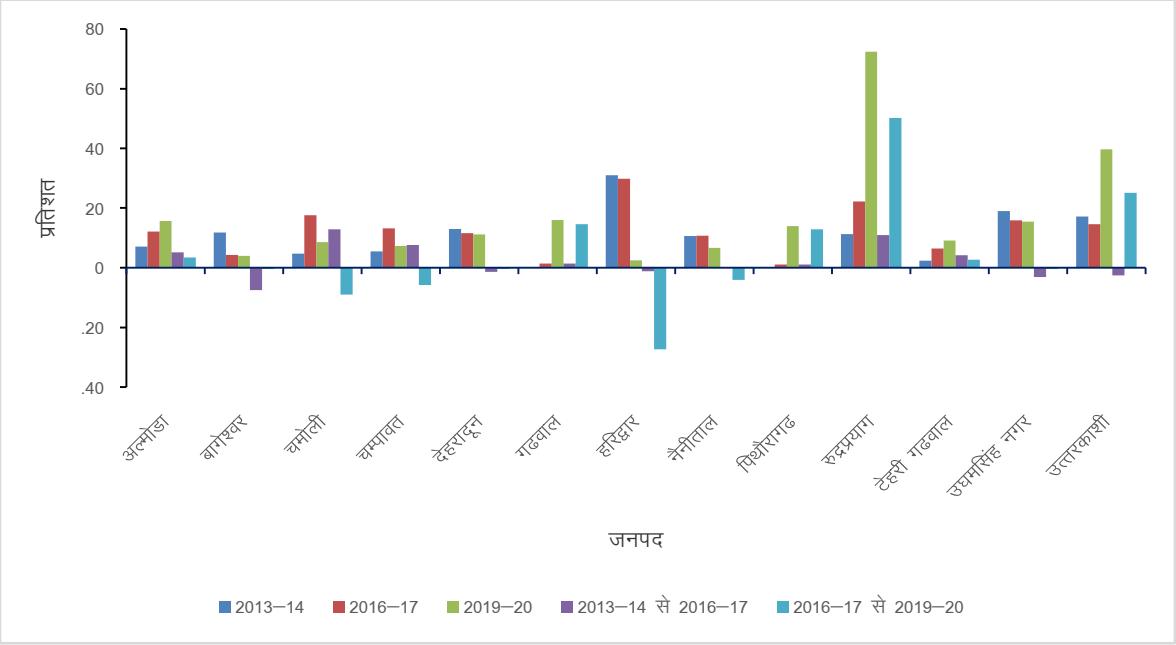

चित्र 04: उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में ड्राप आउट अनुपात का प्रतिरुप 2013 से 2020 तक की अवधि के संदर्भ में

उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में छात्र–शिक्षक अनुपात में कालिक परिवर्तन (2013 से 2020 तक)

छात्र–शिक्षक अनुपात में औसत रुप से –2 छात्र प्रति शिक्षक की दर से ह्रास हुआ है। 2013 से 2017 की अवधि के मध्य में। वहीं 2017 से 2020 की अवधि के दैरान कुल औसत मान में भी –2 छात्र प्रति शिक्षक

की दर से गिरावट दृष्टिगत हो रही है। सम्पूर्ण राज्य में छात्र–शिक्षक अनुपात की मात्रा में एक समान नकारात्मक प्रकृति की गिरावट का स्वभाव बना हुआ है। इसके विपरीत क्षेत्रीय स्तर पर छात्र–शिक्षक अनुपात में काफी विभिन्नता दृष्टिगत हो रही है, जहॉ 2013 से 2017 के मध्य सबसे अधिक वृद्धि धनात्मक रुप से गढवाल (19 छात्र प्रति शिक्षक) जनपद में दृष्टिगत हो रही है, जबकि सबसे निम्नतम वृद्धि की श्रेणी के अर्न्तगत हरिद्वार (–15 छात्र प्रति शिक्षक) जनपद में रही है। वहीं 2017 से 2020 की अवधि के मध्य सबसे उच्चतम धनात्मक श्रेणी की वृद्धि रुद्रप्रयाग (1 छात्र प्रति शिक्षक) जनपद में दृष्टिगत होती है, जबकि देहरादून (–7 छात्र प्रति शिक्षक) जनपद में सबसे अधिक गिरावट नकारात्मक स्वभाव की प्रदर्शित हो रही है (यूडीस, 2013–20)। शेष जनपदो में इन दोनो ही श्रेणियों के मध्य धनात्मक/नकारात्मक प्रकृति की प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है(तालिका 01)।

उत्तराखण्ड राज्य के जनपदो में ड्राप आउट अनुपात में कालिक परिवर्तन (2013 से 2020 तक)

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे ड्राप आउट की दर में लघु श्रेणी की वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है,जहॉ 2013 से 2017 तक औसतन 2.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वह 2017 से 2020 की अवधि के दौरान पुनः बढकर 4.72 प्रतिशत तक पहुच गयी। ड्राप आउट की दर में करीब 6.85 प्रतिशत की कुल औसत वृद्धि हुई है।
ड्राप आउट के क्षेत्रीय वितरण में काफी भिन्नता दृष्टिगत होती है, जहॉ 2013 से 2017 तक की अवधि में सबसे उच्चतम वृद्धि धनात्मक प्रकृति की चमोली (12.87 प्रतिशत) जनपद में रही थी। वहीं बागेश्वर (–7.46 प्रतिशत) जनपद में सबसे अधिक गिरावट दृष्टिगत होती है। इसके साथ ही 2017 से 2020 की अवधि में सबसे अधिक धनात्मक वृद्धि रुद्रप्रयाग (50.19 प्रतिशत) जनपद में दृष्टिगत होती है, (तालिका 03) जबकि हरिद्वार (–27.39 प्रतिशत) जनपद में सबसे अधिक गिरावट दृष्टिगत होती है। इसके अतिरिक्त जनपदो में अधिकांशतः धनात्मक प्रगति के अर्न्तगत आते है (यूडीस, 2013–20)।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात में 2013–14 की अवधि में प्रति 20 छात्रों पर एक शिक्षक की उपलब्धता दृष्टिगोचर हो रही थी । यह स्तर 2016–17 की अवधि में घटकर प्रति 18 छात्रों पर एक शिक्षक हो गया। वहीं 2019–20 की अवधि में उपरोक्त अनुपात प्रति 16 छात्रों पर एक शिक्षक औसतन रह गया है। वहीं सकल नामांकन अनुपात की स्थिति 2013–14 की अवधि में औसतन 50.26 प्रतिशत थी। वह 2016–17 की अवधि में घटकर 45.93 प्रतिशत पर आ गयी, जबकि 2019–20 की अवधि में सकल नामांकन अनुपात पुनः घटकर 38.18 प्रतिशत ही रह गया (यूडीस, 2013–20)। अध्ययन क्षेत्र में छात्रो की संख्या में गिरावट दृष्टिगत होती है क्योकि जनसंख्या वृद्धि मे गिरावट हुई है क्षेत्र में। वहीं शिक्षको की नियुक्तियों में भी वृद्धि विगत वर्षो में हुई है, जिसका स्पष्ट प्रभाव प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिगत होती है।

संदर्भ (References)

1. Anuradha De, & Mehra, C. S. (2020). Estimating the Number of Out-Of-SchOOl chIldrEN Methodological Problems and Alternative Approaches India case study. In The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. https://doi.org/10.4135/9781529714388.n433
2. Arthik Sarvekshan. (2020). Retrieved February 20, 2022, from https://des.uk.gov.in/files/Aarthik_Sarvekshan_2020-21_-_(Chapter_1-9)n.pdf

3. Bose, S., Bera, M., & Ghosh, P. (2020). Centre-State Spending on Elementary Education : Is it Complementary or Substitutionary ? 320.
4. Census of India (2016). Census of India Website : Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. In The Lancet (Vol. 388, Issue 10053, pp. 1659–1724). https://censusindia.gov.in/2011census/C-series/C-13.html
5. Haridwar | Location, Ganges, & Temple | Britannica. (n.d.). Retrieved February 20, 2022, from https://www.britannica.com/place/Haridwar
6. Jha, R. (2010). Uttarakhand-An Overview. The NEFE Quarter Century Project: Implications for Researchers, Educators, and Policy Makers from a Quarter Century of Financial Education, 49. http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005%0Ahttp://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short%0Apape
7. Mehta A.C. (2015). SCHOOL EDUCATION IN INDIA FLASH STATISTICS. http://dise.in/Downloads/Publications/Documents/U-DISE-SchoolEducationInIndia-2015-16.pdf
8. NUEPA. (2014). Education for All: Towards quality with equity - National EFA-2014 Review for India. 156. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/EFA Review Report final.pdf
9. RMSA-TCA (2016). Equity in Access and Learning: A Way Forward for Secondary Education in India.
10. Sikdar, S., & Singh, B. (2017). A STUDY ON FINANCING PUBLIC EDUCATION IN INDIA. In National Coalition for Education, India.
11. Singh, R. C. (2015). Teacher Education: Perspective in Uttarakhand. Journal of Education and Practice, 6(7), 114–119. https://login.ezproxy.lib.purdue.edu/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1083143&site=ehost-live
12. UDISE+ Dashboard. (2013-20). Retrieved February 20, 2022, from https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport
13. uou.ac.in. (2017). Retrieved February 20, 2022, from https://uou.ac.in/sites/default/files/exam/june-2017/BTS-601-BTTM-601.pdf https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BTTM-601.pdf
14. Zaidi, S. M. I. A. (2012). A Study of Small Primary Schools in India Analysis of School Report Cards of selected Districts in four states.

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

जनांकिकी संरचना : जनपद बहराइच का प्रतीक अध्ययन

डॉ0 राज कुमार गुप्ता
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
सन्त विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया

मानव ने जबसे सभ्यता के क्षेत्र में पदार्पण किया उसके मन में जनसंख्या सम्बन्धी ज्ञान की अभिलाषा रही परन्तु प्रारम्भ में उसको जानने के लिए उसके द्वारा किए गये प्रयास विखंडित रहे। जनांकिकी के क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक स्वरूप का इतिहास अभी नया है सभ्यता की प्रगति होने के साथ ही बढ़ती जनसंख्या मानव के लिए एक समस्या बन गयी है। जनसंख्या और उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन जिस विधा द्वारा होती है उसे जनांकिकी कहा जाता है। जनसंख्या संरचना भविष्य की जनसंख्या वृद्धि तथा विकास समस्याओं एवं संभावनाओं को प्रभावित करती है। यह जनसंख्या वृद्वि को सुनिश्चित एवं प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख होती है (ओझा आर0 1983) इससे स्थान विशेष के सामाजिक आर्थिक एवं जनांकिकीय स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है।

जनसंख्या संरचना की समग्र विशेषताओं को ध्यातव्य करते हुए जनांकिकीय संरचना के अन्तर्गत प्रस्तुत शोधपत्र में जनंसख्या के गुण, लिंग, आयु, शिक्षा, धर्म, भाषा, व्यवसाय वैवाहिक स्तर आदि गवेषनीय बिन्दुओं का अध्ययन जनपद बहराइच के विशेष संदर्भ में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र हिमालय के तराई क्षेत्र में नेपाल राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न है। जनपद बहराइच $27^0$16′ उत्तरी अक्षांश से $28^0$24′ उत्तरी अक्षांश एवं $81^0$03′ से $82^0$12′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 5020 वर्ग किमी0 है। जनपद की औसत ऊंचाई 119 मीटर एवं सामान्य ढाल 4^0 है। यहां की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3498000 है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद को 6 तहसीलों एवं 14 विकासखण्डों में विभक्त किया गया है।

लिंग संरचना :– सामाजिक आर्थिक विकास में लिंग अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जनसंख्या भूगोल में इसका अध्ययन अपरिहार्य होता हैं (यादव, हीरा लाल 1997) लिंगानुपात किसी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का सूचक तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए लाभदायक यन्त्र है। (फ्रांकलिन 1956) यौनानुपात का किसी क्षेत्र के भौगोलिक जनांकीय विश्लेषण में आधारभूत महत्व होता है क्योंकि यह स्थलरूप का न केवल आधारभूत लक्षण है वरन् इसका अन्य लक्षणों पर भी गहन प्रभाव पड़ता है। (जी0टी0 ट्रिवार्था 1953)

जनपद बहराइच में 1901 से 2011 तक के लिंगानुपात से स्पष्ट होता है कि 110 वर्षों में यह घटता बढ़ता रहा है यही स्थिति कतिपय विभिन्नताओं के साथ उत्तर प्रदेश में भी पायी जाती है। जनपद में 1901 से लेकर 1971 तक लिंगानुपात में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है किन्तु 2001 से इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। जनपद में सबसे कम लिंगानुपात 1971 एवं 1991 में 841 था तथा सबसे अधिक लिंगानुपात 1901 में 931 था। जनपद की लिंगानुपात की घटती बढ़ती दरों का मुख्य कारण जिले का शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन रहा है क्योंकि यहां पुरूष प्रधान समाज की धारणा प्रबल रही है। जनपद और प्रदेश के लिंगानुपात से यदि तुलना की जाय तो यह स्पष्ट है कि जनपद का लिंगानुपात प्रदेश से हमेशा कम रहा है।

तालिका – 1

लिंगानुपात (जनपद बहराइच, उ0प्र0 एवं भारत) 1201 – 2011

वर्ष	जनपद बहराइच		उत्तर प्रदेश		भारत	
	लिंगानुपात	परिवर्तन प्रतिशत	लिंगानुपात	परिवर्तन प्रतिशत	लिंगानुपात	परिवर्तन प्रतिशत
1901	931	–	938	–	972	–
1911	924	0.75	916	02.34	964	0.82
1921	921	0.32	908	0.87	955	0.93
1931	917	0.43	903	0.55	950	0.52
1941	910	01.02	907	0.44	945	0.53
1951	907	01.32	908	0.11	946	0.10
1961	897	01.10	907	0.11	941	0.53
1971	841	06.24	876	03.42	930	01.2
1981	855	01.66	882	0.68	934	0.43
1991	841	01.63	876	0.68	927	0.75
2001	868	03.21	898	1.37	933	0.65
2011	892	02.7	912	1.54	943	1.06

स्रोत – डिस्ट्रिक गजेटियर, जनसंख्या हस्तपुस्तिका एवं भारत 2013

लिंगानुपात का उपरोक्त विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि प्रति हजार पुरूषों पर घटती हुई स्त्रियों की संख्या में वृद्वि के लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए धार्मिक, सामाजिक, नैतिक तथा कानूनी स्तर पर प्रयास करने होंगे। दहेज की कुप्रथा लड़के के नाम पर वंश चलाने की परम्परा, सम्पत्ति उत्तराधिकार कानून तथा महिलाओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण आदि बदलना होगा।

तालिका – 2

जनपद बहराइच में आयु संरचना का प्रतिशत (2001 – 11)

आयु वर्ग	सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिशत					
	वर्ष		2001	2001	2011	2011
	2001	2011	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री
0–9	29.12	30.08	27.80	30.45	27.93	30.22
10–19	20.76	19.52	22.64	18.87	20.61	16.42
20–29	15.50	16.19	14.93	16.07	13.62	14.76
30–39	13.10	14.43	12.80	13.39	12.85	14.01
40–49	9.09	10.89	9.23	8.96	10.81	10.96
50–59	5.61	7.75	5.66	5.55	7.02	6.55
60 से अधिक	6.62	7.12	6.63	6.62	7.06	7.18

आयु संरचना :– किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वास्तविक स्वरूप तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक उसका वर्गीकरण आयु के आधार पर न किया गया हो। वस्तुतः आयु संरचना जनसंख्या प्रभावित करने के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को भी प्रभावित करती है। ''आयु संरचना का अध्ययन निर्भरता अनुपात के मापन के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा समय के कार्य शक्ति की क्षमता का ज्ञान होता है तथा इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि भविष्य में हमारी जनशक्ति किस प्रकार की होगी। (चन्दना, आर0सी0)

अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। 2001 में यह 29.12 प्रतिशत या जो 2011 में बढ़कर 30.45 प्रतिशत हो गया।
जिसमें बालक और बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 27.93 एवं 30.22 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत बालको की अपेक्षा अधिक है। 10–19 वर्ष की जनसंख्या में 2001 में कुल जनसंख्या का 20.76 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 19.52 प्रतिशत हो गया। यदि 0–19 वर्ष के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या को एक वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाय तो कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत इस आयु वर्ग के अन्तर्गत आता है।

जनसंख्या के आयु वर्ग के उपरोक्त प्रारूप से स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे आयु वर्ग की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है जनसंख्या के प्रतिशत में ह्रास होता जाता है। यह ह्रास प्रत्येक आयु वर्ग में भिन्न–भिन्न है।

तालिका – 3

आयु वर्गानुसार वैवाहिक स्तर 2011 (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	अविवाहित		विवाहित		विधवा विधुर		तलाकशुदा	
	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	पु0	स्त्री
0–9	100	100	–	–	–	–	–	–
10–19	38.40	52.58	2.35	7.08	0.74	0.75	7.94	12.20
20–29	8.78	2.11	23.89	30.84	5.67	2.82	27.22	37.98
30–39	1.36	0.26	27.93	27.12	11.50	6.51	30.89	23.68
40–49	0.49	0.98	20.66	17.48	15.64	12.01	16.01	14.07
50–59	0.24	0.058	12.21	9.72	18.55	18.59	8.83	5.51
60–69	0.22	0.13	8.2	5.62	23.65	32.70	5.69	3.87
70 से अधिक	0.21	0.15	4.3	1.96	24.04	26.70	3.02	2.56

वैवाहिक स्तर :– जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति अविवाहित, विवाहित, विधवा/विधुर व्यक्तियों के अनुपात को इंगित करता है इन अनुपातों को आयु संरचना और यौन अनुपात दोनो ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं किन्तु सामाजिक संस्थाओं एवं आर्थिक दशाओं का भी समान प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार किसी जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति कभी भी स्थिर नही रहती। सन् 2011 में सर्वाधिक अविवाहित पुरूष, स्त्री 10–19 अयु वर्ग में क्रमशः 38.40
एवं 32.58 प्रतिशत रहे। जबकि सर्वाधिक विवाहित पुत्र, स्त्री 20–29 आयु वर्ग में 23.89 एवं 30.84 प्रतिशत रहे। जो विकासमान सामाजिक अव संरचना का प्रतिफल है। 20–29 एवं 30–39 आयु वर्ग में स्त्रियों की बढ़ती वैवाहिक प्रतिशत विवाह के प्रति लोगों की परिवर्तित मनोदशा का सूचक है।

तालिका – 4

भारत, उत्तर प्रदेश एवं जनपद बहराइच में साक्षरता प्रतिशत 1961–11

वर्ष	भारत			उत्तर प्रदेश			जनपद बहराइच		
	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री	कुल	पु0	स्त्री
1961	23.70	33.92	12.78	17.65	27.3	7.0	11.7	19.8	2.7
1971	29.34	39.49	18.47	21.8	31.5	10.7	12.18	19.8	4.27
1981	38.41	43.18	21.13	27.16	38.76	14.04	15.57	24.35	5.29
1991	52.21	64.13	29.29	41.60	55.73	25.31	24.3	35.5	10.7
2001	65.38	75.85	54.16	57.36	70.36	42.98	36.23	47.15	23.25
2011	74.04	80.9	64.64	67.68	77.28	57.18	49.36	58.34	39.18

साक्षरता :– मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से निरक्षरता जनसंख्या का ऐसा पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदण्ड निश्चित किया जा सकता है जबकि जनसंख्या भूगोल वेत्ता के लिए साक्षरता जनसंख्या का एक सामाजिक पक्ष होते हुए भी ऐसा गुणात्मक तथ्य है जो क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तनशील सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है। साक्षरता वह कारण है जो समाज में गतिशीलता पैदा करता है। जनसंख्या संसाधनता को निर्धारित करने वाले तत्वों में साक्षरता स्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपरोक्त तालिका–4 के अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों मे जनपद की साक्षरता में 1961 से 2011 के मध्य उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जनपद में 1961 से 2011 के मध्य साक्षरता में 4 गुणा वृद्धि हुई है। जनगणना वर्ष 1961 से 2011 के मध्य जनपद में साक्षरता का प्रतिशत राज्य (उ0प्र0) एवं राष्ट्र भारत से काफी कम था।

तालिका – 5

विकास खण्डवार साक्षरता प्रतिशत

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष		
		1991	2001	2011
1	मिहींपुरवा	19.8	30.85	46.47
2	नवाबगंज	23.34	33.25	45.47
3	बलहा	18.20	26.26	39.80
4	शिवपुर	16.70	27.85	40.03
5	रिसिया	21.60	29.91	40.44
6	चित्तौरा	21.00	34.10	46.78
7	पयागपुर	32.60	43.50	57.77
8	विशेश्वरगंज	30.00	43.08	56.05
9	महसी	25.02	34.35	47.76
10	तेजवापुर	21.08	32.09	48.38
11	फखरपुर	22.01	32.22	47.82

12	हुजूरपुर	20.02	30.29	49.00
13	कैसरगंज	24.05	37.29	53.23
14	जरवल	22.90	34.49	49.97

जनपद बहराइच में साक्षरता का अध्ययन विकास खण्डवार करने पर 1991 की जनगणना में उच्च साक्षरता का प्रतिशत पयागपुर 32.6 प्रतिशत एवं विशेश्वरगंज 30.0 प्रतिशत रहा। जबकि न्यूनतम साक्षरता बलहा 16. 70 प्रतिशत एवं मिहींपुरवा 19.8 प्रतिशत दर्ज की गयी वहीं 2001 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता पयागपुर 43.50 एंव विशेश्वरगंज 43.8 प्रतिशत रही जबकि न्यूनतम साक्षरता बलहा 26.26 प्रतिशत एवं शिवपुर 27.85 प्रतिशत रहा। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि दर देखी गयी। सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि दर मिहींपुरवा विकास खण्ड में रही। उच्चतम साक्षरता दर पयागपुर 57.77 प्रतिशत एवं विशेश्वरगंज 56.05 प्रतिशत
तथा निम्नतम साक्षरता बलहा 39.80 प्रतिशत, शिवपुर 40.03 तथा रिसिया 40.44 प्रतिशत रिकार्ड की गयी। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश के सबसे कम साक्षरता दर वाले जनपदों में शामिल है विशेष रूप से यहां स्त्री साक्षरता दयनीय है।

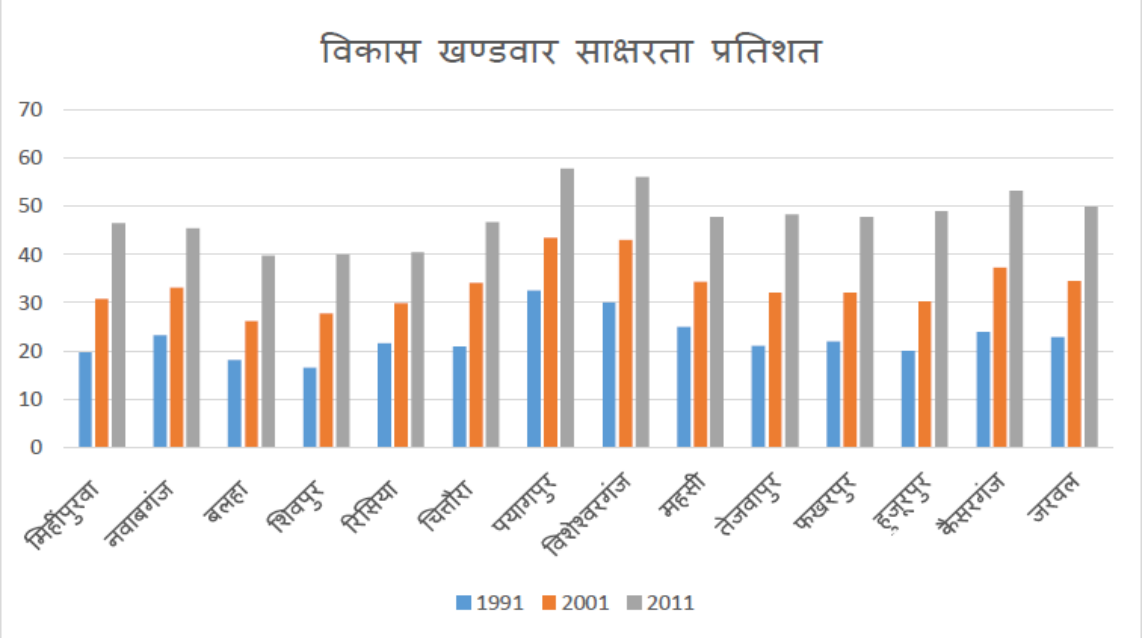

<u>व्यवसायिक संरचना :–</u> जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना जनसंख्या के इस अनुपात को इंगित करती है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी हो। जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के रचनात्मक संगठन की धोतक होती है (चान्दना, आर0सी0) व्यवसाय देश की परिस्थिति एवं आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। व्यवसायिक संरचना सामान्यतः क्षेत्र में विकास स्तर एवं मिट्टी तथा अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का द्योतक है। जनपद के कृष्य क्षेत्रों की सामाजिक संरचना में विभिन्नताएं हैं। जनपद में कुछ कृषकों के पास अपनी निजी भूमि है जिस पर वे स्वयं खेती करते हैं। दूसरे

ऐसे भी कृषक हैं जो कृषि तो करते हैं परन्तु भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नही होता है। जनपद में कार्यरत की अपेक्षा अकार्यरत जनसंख्या अधिक है।

तालिका – 6

जनपद बहराइच की जनसंख्या का व्यवसायिक प्रतिरूप

आर्थिक वर्गीकरण	प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं			द्वितीयक	तृतीयक	योग
	कृषक	कृषि श्रमिक	सीमान्त कर्मकार	पारिवारिक उद्योग	अन्य	
कुल जनसंख्या	360644	224538	408233	19825	143814	1157054
कार्यशील जनसंख्या में प्रतिशत	31.17	19.41	35.28	1.71	12.43	100.00

अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या का 33.08 प्रतिशत ही आर्थिक क्रियाकलापों में लगी है। इस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है तथा यहां की कुल कार्यशील जनसंख्या का 85.86 प्रतिशत प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। औधोगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण द्वितीय कार्यों में संलग्न जनसंख्या 1.71 प्रतिशत ही है। जबकि तृतीयक संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत 12.43 है। अध्ययन क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से सम्पूर्ण कार्यशील

जनसंख्या को तीन वर्गों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक वर्ग के अन्तर्गत कृषक, कृषि श्रमिक तथा अन्य सीमान्त कर्मकार सम्मिलित किए जाते हैं जो सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अन्तर्गत पारिवारिक उद्योग एवं निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति रखे गये हैं। तृतीयक कार्य के अन्तर्गत गैर कृषित एवं उद्योग से विलग, व्यापार, वाणिज्य एवं संचार सेवाओं इत्यादि में संलग्न व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद बहराइच का धरातल समतल तथा जलवायु, कृषि एवं मानव विकास के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में मानव निवास सहज होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अतः क्षेत्र के सर्वागीण विकास तथा बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण एवं उन्नत जीवन के लिए आवश्यक है कि भूमि का उचित उपयोग हो तथा पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर विकास किया जाये।

REFERENCES

1– त्रिपाठी आर0डी0 (1999), जनांकिकी एवं जनसंख्या अध्ययन, बसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर।
2– पंडा0 बी0पी0 (1991), जनसंख्या भूगोल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
3– चन्दना आर0सी0 (1987), जनसंख्या भूगोल, कल्यानी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4– हीरालाल (1986), जनसंख्या भूगोल, बसुधरा प्रकाशन, गोरखपुर।
5– Barely, W.G. Teehnigue of Population Analysis
6– जनसांख्यिकी पत्रिका बहराइच 2018–19
7– Singh S.N. (1970): Demography structure in the Surrounding area of Varanasi.

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

शिशु , महिला और आंगनवाड़ी कार्यक्रम का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

जयन्त गुप्ता
शोध छात्र

प्रो0 आलोक कुमार कश्यप
समाज शास्त्र विभाग,
महाराज बलवन्त सिंह पी0 जी0 कालेज,
गंगापुर, वाराणसी, उ0प्र0।

सारांश

आँगनवाड़ी केन्द्र भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में, 2 अक्टूबर 1975 में इसे भारत सरकार व्दारा शुरू किया गया था। आँगनवाड़ी का अर्थ है "आँगन आश्रय इस प्रकार का आँगनवाड़ी केंद्र भारतीय गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थय देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व–विद्यालय की गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रों को मुख्य रूप से रीहाइड्रेशन नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भ निरोधकों के लिए, डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 31 जनवरी 2013 तक पूरे देश में लगभग 13.3 लाख आगनवाड़ी केंद्र परचालित हैं। ये केंद्र पूरक पोषण प्रदान करते हैं, गैर पूर्व–प्राथमिक शिक्षा , पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा , प्रतिरक्षण , स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाओं की बाद में तीन सेवाए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ मिलकर प्रदान की जाती हैं। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में जानने के पश्चात् अब हम आंगनवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे, जो वह बच्चों , विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग की परिवारों में बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए,निभा सकती है।शिशुओं के प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य , बाल पोषण विद्यालय शिक्षा तथा बच्चों के टीकाकरण में आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शब्द कुंजी – आंगनवाड़ी, महिलाएं, बच्चे, स्वास्थ्य, शिक्षा

भारत में आंगनवाड़ी कार्यक्रम, मां और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुभारंभ किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के साथ साथ किशोर युवतियो गर्भवती महिलाओ के स्वास्थ्य से संबधिंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बनाई गई है। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने का केंद्र है। आंगनवाड़ी विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग की परिवार के बच्चों के विकास और उनके स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आंगनबाड़ी में प्रसवपूर्व ,प्रसवपश्चात स्वास्थ्य ,बाल विकास ,विद्यालय शिक्षा ,शिशुओ के टीकाकरण इत्यादि सुविधाएं सम्मिलित होती हैं।

अध्ययन कि विधि – प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। जिसमें पुस्तकों,समाचार पत्र – पत्रिकाएं, ईन्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है।

इसे भारत सरकार का महिला व बाल विकास मंत्रालय चलाता है। इस योजना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है। 2005–06 से पहले महिलाओं और बच्चों को अतरिक्ति पोषण और जरूरी

सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी जबकि केन्द्र केवल प्रशासनिक खर्च वहन करता था, लेकिन 2009–10 में केन्द्र सरकार ने पूरे खर्च के अनुपात को 90:10 कर दिया है।

आंगनवाड़ी सुविधाओं को सार्वभौमिक रुप से सभी पात्र महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत चर्चा हुई है इसके लिए, बजट आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता होगी और 16 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की जरुरत होगी।

आंगनबाड़ीयों में काम करने वाले अधिकारी और उनकी सहायिकांए आमतौर पर गरीब परिवारों की महिलाएं होती हैं। श्रमिकों के पास अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह व्यापक सेवानिवृत्ति लाभों के साथ स्थायी नौकरी नहीं है । कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराधों की अत्याधिक रिपोर्टें आती रहती है जब आंगनबाड़ी से सेवा प्राप्त बच्चें बीमार पड़ते हैं या मर जाते हैं तो कानूनी और सामाजिक मुद्दे बनते है ।

2008–2009 के बजट की घोषणा करते हुए भारतीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपए, प्रतिमाह और सहायक के लिए 750 रुपए वेतन दिया जाएगा मार्च 2008 में इस बात पर बहस करते हए, की क्या पैक किये गए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट को भोजन का हिस्सा बन जाना चाहिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन सहित और विरोधि ने यह कहते हुए असहमति व्यक्त की कि यह बच्चों द्वारा खाया जाने वाला एकमात्र भोजन होगा निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए विकल्प खुला हुआ है।

एक बड़ी पहल में आंगनबाड़ीयों के काम को डिजिटल किया जाना है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के 27 सबसे पिछड़े जिलों से होगी । बिहार , मध्य प्रदेश , राजस्थान , ओडिसा आंगनबाड़ीयों का डेटा रिकार्ड करने के लिए टैबलेट , कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एकीकृत होंगे ।

आंगनवाड़ी सेवाए

1 शिशु देखभाल शिक्षा और विकास

क – अनौपचारिक स्कूल – पूर्व शिक्षा / शिशु देखभाल और शिक्षा

आईसीडीएस अर्थात आंगनवाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्(3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को सीखने लायक वातावरण उपलब्ध कराना है । स्कूल पूर्व शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक , बौधिक , शारीरिक और सौन्दर्यबोध के विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से प्रदान की जाती है , उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए भी तैयार किया जाता हैं । यह सेवा आजकल आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कर्मियों के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों के बाहर अभिभावकों , स्वयं सेवी संस्थाओं या निजी क्षेत्र के स्कूलों (प्राइमरी – पूर्व और नर्सरी , आदि) की देखरेख में भी दिया जा रहा है ।

ख – पूरक पोषाहार : लाभार्थियों को (छः से कम वर्ष के बच्चों , गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को) वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषाहार मिलता है स्थानीय जरूरतों और खाने की आदतों के आधार पर विभिन्न राज्यों में पौष्टिक आहारों में भिन्नता होती है , पर आंगनवाड़ी में बने गरम आहार में प्रायः दालें , चावल / गेंहू , तेल , सब्जियाँ , चीनी , आयोडिन वाला नमक आदि होता हैं । कई बार तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर ले जाने वाला आहार भी दिया जाता है ।

2 देखभाल और पोषाहार सलाह : इसका उद्देश्य(15 से 45 वर्ष की महिलाओं को शिशु देखभाल और पोषण सबंधी जरूरतों को समझाने में मदद करना है ।

क – वृदिध पर निगरानी और सहायता : तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का महीने में एक बार वजन लिया जाता है । तीन से छः साल तक के बच्चों का वजन तीन माह में एक बार लिया जाता है । वृध्दि पर

निगरानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (who) के बाल प्रगति मानक के अनुसार न सिर्फ बच्चों के लिए वजन और बढ़त चार्ट बनाए जाते हैं बल्कि माताओं और बच्चों के लिए सयुंक्त माता और बाल संरक्षण कार्ड भी बनाए जाते हैं ।

ख – शिशु और छोटे बच्चों को पोषण सबंधी सलाह : इसमें घर – घर जाकर गर्भवती और दूध पलानि वाली माताओं को नवजात और छः माह से छोटे शिशुओं के पोषण और बीमारी के दौरान देखभाल , कुरीतियो और कुप्रथाओं को दूर करना , पूरक भोजन की तैयारी , आहार से सम्बंधित सफाई व स्वच्छता का पालन , स्तनपान के लाभ , आदि कि बारे में सलाह दी जाती है ।

ग – दूध पिलाने में सहयोग : इसके अंतगर्त दूध पिलाने वाली माताओं घर – घर जाकर और समुदाय का सहयोग लेकर स्तनपान और उससे जुड़ी समस्याओं और विषयों पर विशेष सलाह दी जाती है ।

घ – मातृत्व देखभाल सलाह : गर्भधारण के दौरान और प्रसव के उपरांत माता के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए सलाह और व्यवहार परिवर्तन सूचना प्रकाशित कि जाती है। गर्भवती महिलाओं , घर की बुजुर्ग महिलाओं और दूसरी सेविकाओं को भी गर्भधारण और प्रसव के दौरान देखभाल , पोषण युक्त आहार , विश्राम , प्रसव के बाद की जांच , आदि के बारे में सलाह दी जाती है ।

ङ – पोषण और स्वास्थ्य : स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य पोषक दिवस और स्नेह शिविरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य व स्वच्छता से संबन्धित शिक्षा दी जाती है । इसके अलावा अनुपोषण सप्ताह , आईसीडीएस दिवस , स्तनपान दिवस आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों और दिवसों का आयोजन किया जाता है ताकि समुदाय और परिवारों को इन कार्यों के प्रति सजग बनाया जा सके ।

च – समुदाय आधारित देखभाल : स्नेह शिविरों के माध्यम से माताओं और सेविकाओं को सामान्य और गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र तथा घर जाकर पर पोषण और देखभाल के लिए क्रमशः 12 और 18 दिनों का परामर्श सत्र / प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है ।

3 स्वास्थ्य सेवाएँ

क – टीकाकरण : 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो , डीपीटी , खसरा और टी–बी के टीके लगाते हैं , जबकि गर्भवती महिलाओं को टिटनस का टीका दिया जाता है । यह आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की साझा ज़िम्मेदारी है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी स्वास्थ्यकर्मियों { मुख्यतः ए. एन. एम. सहायक नर्स } की मदद करना , रिकॉर्ड रखना , माता – पिता को प्रेरित करना और एक नियत दिन ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर टीकाकरण सत्र का आयोजन करना है ।

ख – स्वास्थ्य जांच : इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से छः वर्ष से कम आयु के बच्चों का चेकअप , गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखरेख , दूध पिलाने वाली माताओं की देखरेख , बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना , अल्प पोषण का प्रबंधन और छोटी– छोटी बीमारियों का निदान शामिल है । प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को हर वर्ष एक दवाई किट दी जाती है जिसमें बुखार , सर्दी , खांसी , संक्रमण , आदि को रोकने के लिए दवाइयाँ और प्रथम उपचार के लिए दवाइयाँ और जरूरी उपकरण होंगे ।

ग – संदर्भ सेवाएँ : इन सेवाओं के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन बीमार , कुपोषित या विकलांग बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ती हैं जिन्हें स्वास्थ्य के जांच की जरूरत है । ऐसे मामलों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर के पास भेजती हैं ।

चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में दुर्भाग्य से भारत में विशेषज्ञों की कमी है इसलिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से देश में बढी स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा

है जो स्थानीय जनसंख्या के लिए सस्ती और सुलभ है। कई तरह से ग्रामीण आबादी तक पहुंचने में एक चिकित्सक की तुलना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहतर विकल्प है चुकी कार्यकर्ता लोगों के साथ रहता है इसलिए वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में है और इसलिए वे उन्हें प्रेरित करते हैं उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य स्थिति की उनकी जानकारी बहुत अच्छी होती है दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विशेषज्ञों के रुप में कुशल या योग्य नहीं है इसके बदले उनके पास बेहतर सामाजिक कौशल है जिससे लोगों के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है इसके अलावा ये कार्यकर्ता गांव से संबंध रखते हैं यह भरोसेमंद हैं जो लोगों के लिए उनकी मदद करना आसान बनाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं उनके भाषा के साथ सहज महसूस करते हैं ग्रामीण लोगों को व्यक्तिगत रुप से जानते हैं यह उनके लिए लोगों की समस्याओं को समझना बहुत आसान कर देता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1 – आंगनबाड़ी कार्यक्रम, एक प्रवेशिका 2014
2 – https://www.hmoob.in/wiki/Anganwadi
3 – wikipedia
4 – भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य ओपिनियन, 3 मार्च 2011 से संग्रहीत
5 – आंगनबाड़ी केंद्र, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, 30 मार्च 2016
6 – https://hi.wikipedia.org/wiki

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

जन–संस्कृति का युवा वर्ग पर प्रभाव

डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,समाजशास्त्र विभाग
समता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सादात, गाजीपुर।
Email- Sntshkmr19@gmail.com, Mob. No. 9453550953

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ''जन–संस्कृति का युवा वर्ग पर प्रभाव'' का पता लगाना तथा इसकी एक सम्यक् व्याख्या प्रस्तुत करना है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाजों की एक विशिष्टता के रूप में जन–संस्कृति को परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, सेलफोन जैसे जन–माध्यमों को देखने–पढ़ने तथा सुनने के परिणामस्वरूप एक वृहद एवं विजातीय समाज (Mass &Heterogeneous Society) में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का का उदय जन–संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सेलफोन आदि आधुनिक जनसंचार माध्यम है, जिनकी नींव पर ही जन–संस्कृति की बुनियाद खड़ी है। अतः जन–संस्कृति की व्याख्या करने से पूर्व जनसंचार क्या है? इसकी एक सम्यक् व्याख्या प्रस्तुत करना प्रासंगिक है। अतः इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम जनसंचार की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिये अर्थात् सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के लिये उसे कुछ नियमों और व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चलना पड़ता है। सभ्यता के प्रारम्भ में भाषा और लिपि के अभाव में केवल संकेतों के द्वारा विचार विनिमय हुआ करता था, परन्तु धीरे–धीरे भाषा और लिपि के आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये। जिस प्रकार आग और पहिये के प्रयोग ने मानव को सभ्यता की ओर अग्रसर किया तथा उसे एक स्थायित्व रूप की जीवनशैली प्रदान की। उसी प्रकार विचार अभिव्यक्ति आदि को समझने तथा दूसरों को समझाने एवं दूर तक विस्तारित करने में भाषा ने अपना योगदान दिया।

प्रारम्भ में तो सूचनाओं को लिखकर व्यक्तियों, या पक्षियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, जिससे समय और गोपनीयता दोनों की हानि होती थी।[1] परन्तु मानव ने अपनी विकास यात्रा के दौरान सम्प्रेषण के भी नये–नये साधन तलाशे और उसका आविष्कार किया। 16वीं शताब्दी के बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके माध्यम से सम्प्रेषण की नयी–नयी सम्भावनाएं आते गये। रेडियो टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा, वायरलेस आदि अनेक जनसंचार के माध्यम विकसित हुए।[1] इन जनसंचार के माध्यमों के विकास के साथ–साथ यह भी पक्ष जुड़ा था कि जनसंचार की प्रक्रिया मनुष्य को सूचना देती अवश्य है, परन्तु स्रोता की सहभागिता नहीं हो पाती। इसके निदान के लिये भी प्रयास चलते रहे। अन्ततः इन्टरनेट ने इस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया। अब जनसंचार के साथ–साथ सूचना में व्यक्ति की भागीदारी, क्रिया–प्रतिक्रिया एवं इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचना प्रेषण सम्भव हो सका। इस विश्वव्यापी महाजाल/इन्टरनेट ने वास्तव में विश्व को एक परिवार में बदलने की प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान किया। अब व्यक्ति सूचना ही नहीं संवेदनाओं, के परस्पर आदान–प्रदान में भी निकट आया है।[3] वर्तमान में सर्वाधिक प्रभावी जनसंचार के स्वरूप आदि को जानना

आवश्यक है। इसलिये इसका विवेचन उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है।

जनसंचार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Mass Communication):

जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन ;डें ब्वउउनदपबंजपवदद्ध कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'कम्यूनिको' शब्द से हुई है। जिसका अभिप्राय बहुल या भारी मात्रा अथवा भारी आकार के बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश या सूचना पहुंचाना है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलाजी के अनुसार, ''मास ;जनद्ध का अभिप्राय पूर्ण रूप से व्यक्तिवादिता का अन्त है। जन समूह, भीड़, जनता से भिन्न प्रकृति का होता है। इनमें व्याप्त भिन्नता को स्पष्ट कर सकते है। समूह का निर्धारण समान हितों, मूल्यों, तथा सामान्य हितों की पूर्ति के लिये संगठित एवं अन्तः–क्रियाओं के आधार पर होता है। अतः जन से समूह भिन्न है। इसी प्रकार भीड़ एक स्थान पर आकस्मिक किसी घटना या दुर्घटना पर भावुकता के आधार पर अस्थायी तौर पर एकत्र होती है। इस प्रकार यह भी जन ;मासद्ध से भिन्न है। जनता और जन ;मासद्ध में भी अन्तर होता है। जनता का आकार विशाल होता है। इसका एक उद्देश्य या कारण तौर–तरीका सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य रूचि, मत, राजनीतिक परिवर्तन का होता है। जनता वर्तमान उदारवादी जनतांत्रिक शासन प्रणाली से सम्ब(होने के कारण ये श्रोता समूह, भीड़ एवं जनता से भिन्न है।[4]

उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश के अनुसार, ''प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा एक बड़े भू–भाग में फैले हुए विषमांग जन समूह के बीच सूचनाओं का संचरण जन–संचार कहलाता है। यह जन माध्यमों, जटिल, संगठित तथा तकनीकी साधनों जैसे टी0वी0, रेडियो, फिल्म, अखबार, किताबे, पत्र–पत्रिकाओं आदि के द्वारा सम्पन्न किया जाता है।''[5]

बी0 कुप्पूस्वामी के अनुसार, ''जन–संचार तकनीकी एवं संस्थात्मक आधार पर आधारित विशाल अथवा व्यापक रूप में लोगों तक सूचना के संग्रह एवं प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। वर्तमान समाज में इसका चरित्र सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा एवं टेलीविजन के द्वारा होती है।''[6]

प्रो0 रमेश जैन के अनुसार, ''कोई भी यंत्र जो संदेश को बढ़ाता है तथा एक साथ एक बड़े मिश्रित जन–समूह को पहुंचाता है, उसे जनसंचार कहते है। जैसे–रेडियो, टी0वी0, फिल्म, समाचार–पत्र किताबे आदि।[7]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जन–संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों, तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान होता है जिससे दोनों को संदेश के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो जाए।

जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जन–संचार की नींव पर ही जन–संस्कृति का भवन खड़ा है। अर्थात यह दोनों अवधारणाएं एक–दूसरे की पूरक है। इसी महत्ता को दृष्टिगत करते हुए जन–संस्कृति की एक अवधारणात्मक विवेचना प्रासंगिक है। जो इस प्रकार है–

जन–संस्कृति की परिभाषा (Definitions of Mass Culture)

जन–संस्कृति एक नवीन, व्यापक, विस्तृत एवं जटिल अवधारणा है। जन–संस्कृति के संदर्भ में उल्लेखनीय शोध कार्यों एवं प्रमाणिक पुस्तकों का पूर्णतया अभाव है। इसी कारण जन–संस्कृति की कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक निर्मित नहीं हो पायी है। आएन चैम्बर्स की प्रसि(कृति ''पापुलर कल्चर'' तथा टोनी बीनेट की प्रसिद्ध कृति ''पापुलर कल्चर एण्ड सोशल रिलेशन्स'' में जन–संस्कृति अथवा लोकप्रिय संस्कृति के बारे में गहन विवेचना की गई है। इन समस्त अध्ययनों के आलोक में तथा डॉ0 रवि प्रकाश पाण्डेय ने

स्वयं की दृष्टि के आधार पर जन–संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है :

''आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाजों की एक विशिष्टता के रूप में जन–संस्कृति को परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तके, पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सेलफोन जैसे जन–माध्यमों को देखने, पढ़ने तथा सुनने के परिणामस्वरूप एक वृहद एवं विजातीय समाज (Mass Heterogeneious society)में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का उदय जन–संस्कृति के नाम से जाना जाता है जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्यकरते है।[8]

उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश के अनुसार, ''पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, इन्टरनेट, ई–मेल जैसे जन–माध्यमों के देखने, पढ़ने अथवा सुनने के परिणामस्वरूप एक वृ(एवं विषमांग समाज में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों का उदय जन–संस्कृति के नाम से जाना जाता है जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते है। जन–संस्कृति आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाजों की एक प्रमुख विशेषता है।

वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण, नौकरशाहीकरण और भौगोलिक गतिशीलता की प्रक्रियाओं ने विश्व के लोगों को एक–दूसरे से नजदीक लाकर रूढ़िगत जाति–भेद, प्रजातिभेद और वर्गभेद की दीवारों को ढहा कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने का उद्भुत कार्य किया है। परिणामस्वरूप, समस्त विश्व विभेदरहित और आकारहीन व्यक्तियों का एक लघु समूह का रूप धारण करता जा रहा है। इस विश्व समाज की संस्कृति को ही 'जन–संस्कृति' का नाम दिया गया है।[9]

''जॉन स्टोरे'' ने अपनी पुस्तक ''*Cultural theory and popular culture*'' में लोकप्रिय संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख परिभाषाओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन किया है। उनका मानना है कि लोकप्रिय का अर्थ और संस्कृति का अर्थ परस्पर मौलिक प्रतियोगी अवधारणायें हैं। इसीलिये इन्होंने यहाँ लोकप्रिय संस्कृति की बहुल प्रतियोगी परिभाषाओं का उल्लेख किया है। लोकप्रिय संस्कृति की परिमाणात्मक परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहते है कि लोकप्रिय संस्कृति की परिणात्मक परिभाषा साथ में यह समस्या है कि यह उच्च संस्कृति से बहुत व्यापक रूप में अनुग्रह प्राप्त है। जब हम यह निश्चित करते है कि उच्च संस्कृति क्या है? तब हम लोकप्रिय संस्कृति को संस्कृति के अवशेष के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।[10]

विकीपीडिया डिक्शनरी के अनुसार, ''जन–संस्कृति मानवीय क्रियाकलापों के सांस्कृतिक प्रतिमान और प्रतिकात्मक संरचनाएँ है, जो कि ऐसे कार्यकलापों को अर्थ एवं महत्व प्रदान करती है, जो लोकप्रिय है, हमें पसन्द है या सामान्य है। यह अक्सर मास मीडिया द्वारा परिभाषित या निर्धारित होती है। सामाजिक सन्दर्भों में क्या सर्वप्रिय है? यही जन–संस्कृति समझी जाती है, जो समाज में एक मजबूत प्रतिनिधित्व द्वारा लोकप्रियता के साथ स्वीकार की जाती है।[11]

डायना क्रेन के अनुसार, ''जन संस्कृति को किसी समाज में चारों ओर फैले हुए सांस्कृतिक तत्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो समाज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देशी भाषा अथवा सामान्य भाषा द्वारा अपने अस्तित्व में निरन्तर बनी रहती है, यह दैनिक अन्तर्क्रियाओं, आवश्यकताओं,इच्छाओं,एवं सांस्कृतिक क्षणों की रचनाकार दैनिक जीवन की मुख्य धाराओं में सम्मिलित करती है।''

ऐंजिला मैकरोबी के अनुसार, ''जन–संस्कृति सांस्कृतिक मूल्यों तथा विचारों का एक पुंज है जो कि जन–साधारण के समान सांस्कृतिक क्रियाविधियों संचार माध्यमों, संगीत और कला इत्यादि सामान्य प्रदर्शन से अविर्भूत होती है। जन–संस्कृति केवल आधुनिक जनसंचार माध्यमों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ सम्भव होती है।''[12]

असा बर्गर के अनुसार, ''जन–संस्कृति व्यक्तियों के दैनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने के स्थान पर यह व्यक्तियों की ओर हस्तान्तरित हो रही है और इसीलिये यह समुदाय तथा धर्म में सुदृढ़ संस्कृति के विशिष्ट अन्तर्वस्तु में अभाव उत्पन्न कर रही है। जन–संस्कृति व्यक्तिवाद के उदारवादी मूल्य को उत्पन्न करने की ओर अभिमुख है तथा नागरिकों के दृष्टिकोण को उपभोक्ता के समान ही प्रोत्साहित कर रही है।[13] उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि जनसंचार के दो स्वरूपों यथाः इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने सूचनाओं के सम्प्रेषण को अत्यधिक गति प्रदान की है और सम्पूर्ण विश्व की सूचनाओं का एकीकरण किया है। इसी महत्वपूर्ण विशेषता के कारण आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में मास मीडिया के अध्ययनों पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है इसी क्रम में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मास मीडिया के इन्हीं दो स्वरूपों ;प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडियाद्ध ने समाज में एक ऐसे सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया है जिसमें सम्पूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य है और वह सांस्कृतिक तत्व जन–संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जन–संस्कृति का यह विशाल भवन जनसंचार के विविध स्वरूपों अर्थात् प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया की नींव पर खड़ा है। इसके बिना जन–संस्कृति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अतः जनसंचार और जन–संस्कृति दोनों एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है और इसी अन्तर्सम्ब(ता के कारण आज समाजशास्त्र में इन दोनों ही विषयों पर अध्ययन करने पर बल दिया जा रहा है।[14]

जन–संस्कृति का युवावर्ग पर प्रभाव (Impact of Mass Culture on Youth)

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ''जन–संस्कृति का युवा वर्ग पर प्रभाव'' का पता लगाना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन वाराणसी के उच्च शिक्षण संस्थाओं यथाः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा जामिया सल्फिया मुस्लिम कालेज के नियमित छात्र/छात्राओं पर करना निर्धारित किया गया है। चूंकि इस शोध अध्ययन के सभी उत्तरदाता युवा वर्ग सेसम्बन्धित है। अतः जन–संस्कृति ने इस युवा वर्ग पर अपना क्या प्रभाव डाला है। इसका अध्ययन करना प्रस्तुत शोध अध्ययन की दृष्टि से प्रासंगिक है। अतः इस बिन्दु की उपादेयता को देखते हुए जन–संस्कृति का युवा वर्ग पर प्रभाव की विवेचना प्रस्तुत की जा रही हैः–

जन–संस्कृति वस्तुओं के स्वामित्व के भावबोध को उभारती है, समृद्ध करती है एवं पुनरूत्पादन करती है। यह ऐसे सांस्कृतिक मालों के निर्माण पर जोर देती है जिन्हें पाकर असंतोष भड़कता है और भी ज्यादा पाने की लालसा पैदा होती है। इसीलिये डी0एच0 लारेंस ने इसे ''जीवन विरोधी संस्कृति'' कहा था। यह ऐसे मनोरंजन की भूख को जन्म देती है जिससे तृप्ति नहीं मिलती। यह मूलतः असहिष्णु संस्कृति है जो वस्तुओं, मूल्यों, विचारों और जीवनशैली को इकसार बनाती है। इस अर्थ में यह वर्गहीन संस्कृति है। इसकी चारित्रिक विशेषता है युवाओं को उभारना, असम्बद्ध सूचनाओं को ज्ञान के आदर्श मानक के तौर पर स्वीकृति दिलाना, अतीत को उपेक्षणीय और निन्दनीय बनाना, तत्क्षण नवीन को सर्वश्रेष्ठ बनाना। इन्हीं आधारों पर भविष्य को देखना। यह एक युवाबोध को पेश करती है, जो ''फारवर्ड फॉर फारवर्डनेस'' में विश्वास करता है।[15]

इस परिप्रेक्ष्य में हमें युवाओं पर जन–संस्कृति के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना चाहिये। ज्यादातर

विज्ञापन युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते है। यहाँ तक कि अधेड़ों को सम्बोधित विज्ञापन में भी ''युवापन'', ''युवामन'' के मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी नया है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। युवाओं को सम्बोधित विज्ञापन सजेस्टिव होते है। आज युवाओं में जन–संस्कृति के उन रूपों को प्रक्षेपित किया जा रहा है जो सबसे ज्यादा बर्बर है। इन इमेजों को युवाओं ने अपने जीवन का आधार बना लिया है। अपनी असामाजिक संवेदनाओं का आधार बना लिया है। अब इनकी इच्छाएं उन्हें कष्ट देने लगी है।

असल में युवाओं की संस्कृति को बदलने की जरूरत है। हमें उन्हें ऐसे प्रतीक और इमेज पेश करनी चाहिये, जो उन्हें अर्थपूर्ण जीवन जीने की ललक पैदा करें। वे इन प्रतीकों के साय सम्बन्ध महसूस करें। युवाओं में हिंसाचार अधिकारहीनता और अलगाव से पैदा होता है। जन–संस्कृति का आस्वाद करने से इनके अन्दर हत्यारे का जन्म नहीं होता। माल के साथ युवा इमेज का बार–बार किया गया चौतरफा बाजार का निर्माण करता है। युवाओं में उप–संस्कृति का जन्म होता है। युवापन के साथ इमेज को पेश करने का अर्थ है ऐसी वस्तुओं को पुरानी घोषित कर देना जो अभी भी उपयोगी है। नए के लिये बाजार खोलने के लिये वह ''अधीरता'' का संवेदात्मक धरातल पर प्रयोग करता है। अधीरता और युवापन का मिला–जुला प्रयोग जन–संस्कृति की सामान्य विशेषता है। युवा का कामुक–आकर्षण इमेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसे खुशी और सफलता के साथ पेश किया जाता है। कोई वस्तु जब युवापन को पेश करती है तो युवापन का नया स्टैण्डर्ड तय कर देती है। पर युवापन के नए रूप की स्वीकृति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वह ''युवापन'' के पुराने रूप का कोई न कोई हिस्सा खारिज न कर दें। कमाऊ युवाओं की फौज में अब कामुक युवा आकर्षण के केन्द्र में आ जाता है। यह आकर्षण उनके लिये मानदण्ड का कार्य करने लगता है जो युवापन की नई धारणा के कारण खारिज कर दिये गए है। अब युवा कामुक आकर्षण का पर्याय बन जाता है। वह ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो कामुक वृ(ावस्था के कारण खतरा और अलगाव महसूस करता है। इस क्रम में वह प्रसाधन सामग्री को उनके परिवार का अनिवार्य हिस्सा बना देता है। वह एक ''सेक्स आजेक्ट'' की तरह ग्राहक के लिये स्वयं को पेश करता है।[16]

उपरोक्त समस्त अध्यायों के समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़ी यह पुस्तक न केवल एक दस्तावेज है अपितु उसके इतिहास की आधुनिक व्याख्या करने वाली उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कृति भी है। इस पुस्तक में लेखक ने जहाँ एक ओर आधुनिक और प्राचीन मीडिया की भूमिका को सुनिश्चित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर बदलते हुए औद्योगिक युग में मीडिया की भूमिका को सुनिश्चित करने की कोशिश भी की है।

निष्कर्ष–उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते है कि आधुनिक, औद्योगिक एवं जटिल समाजों की विशेषता के रूप में उत्पन्न हुई जन–संस्कृति में भारत के युवा वर्ग को बृहद् स्तर पर अपने प्रभाव से प्रभावित किया है। इसके मूल में जन–संचार के दो महत्वपूर्ण स्वरूपों यथा इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया ने अपनी महती भूमिका अदा की है। आज का युवा वर्ग इण्टरनेट, मोबाईल फोन, फैक्स, समाचार–पत्र एवं पत्रिकाओं आदि पर सूचनाओं के संग्रहण के लिए एवं अन्य उद्देश्यों के पूर्ति हेतु अत्यधिक निर्भर है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में घट रही सभी प्रकार की गतिविधियों से वह भलि–भाँति परिचित है एवं इसी आधार पर वह अपने जीवन को संचालित कर रहा है एवं जीवनशैली को परिवर्तित कर रहा है। खान–पान, वेश–भूषा, रहन–सहन आदि सभी गतिविधियों का निर्धारण करने में जन–संस्कृति आज युवा वर्ग को अत्यधिक प्रभावित कर रही है, परिणामस्वरूप युवा वर्ग और जन–संस्कृति आज एक–दूसरे के पर्याय बन चुके है।

संदर्भ–

1. परीक्षा मंथन (सामयिक निबंध), भाग–3, मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद, 2006–07, पृष्ठ–225–226.
2. पाण्डेय, डॉ0 रवि प्रकाश ; वैश्वीकरण और समाज, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005, पृष्ठ–323.
3. सिंह, ओम प्रकाश; संचार के मूल सिद्धान्त, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ–113.
4. *Marshall, Gordon : Dictionary of Sociology; Oxford University Press, Oxford, New Yark, 1994, P. 1.*
5. रावत, हरिकृष्ण, उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ– 2921.
6. *Kuppuswami, B : Comunication and Social Development in India; Sterling Publication Pvt. Ltd. New Delhi, 1976, P. 28.*
7. जैन, प्रो0 रमेश : जनसंचार एवं पत्रकारिता; मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2003, पृष्ठ–18
8. पाण्डेय, रवि प्रकाश : वैश्वीकरण और समाज, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, नवम्बर, 2005, पृष्ठ–320.
9. रावत, हरिकृष्ण : उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ–292.
10. *www.google.com : topic type/Definitions of Popular Culture.*
11. *www.wikipedia.org : topic type/Mass Culture.*
12. *Crane, Diana : The Production of Culture : Media and the Urban Arts, Sage Publication, New Delhi, 1992.*
13. *McRbbie, Angela : Post Modernism and Popular Culture; Cultural Anthropologist and Feministdis course on Culture Studies, 1994.*
14. *Berger, Asa, Pop : Political Culture and Communication Theory, Transaction Publishers; 1990.*
15. रावत, हरिकृष्ण, उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ–493–494.
16. चतुर्वेदी, जगदीश्वर : युद्ध, ग्लोबल संस्कृति और मीडिया, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0लि0), नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ– 269–270.

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

आधुनिक समाज में मृत्युदण्ड की प्रासंगिकता

डॉ राजेन्द्र प्रसाद यादव
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ज्ञानपुर, भदोही

अपराध के लिए सजा का प्रावधान तब से है जबसे मानव ने समाज के बीच रहना शुरू किया। आदिकाल से चली आ रही इस प्रथा के पीछे यही भावना थी कि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा अपराध न करे साथ ही समाज को भी एक सबक मिले। सजा का निर्धारण किए गए अपराध के आधार पर होता था। साधारण अपराधों के लिए जहां साधारण सजा दी जाती थी वहीं गंभीर अपराधों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान था। मृत्युदण्ड भी सजा का एक प्रकार है जो सर्वथा अंतिम है। प्राचीनकाल में दण्ड देने के पीछे बदला लेने की प्रवृत्ति अधिक थी। किन्तु सामाजिक विकास के साथ दण्ड देने की भावना में परिवर्तन होता गया और इसका उद्देश्य सुधारात्मक होता गया। किसी अपराध के लिए एक निश्चित अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाना सुधारात्मक श्रेणी का दण्ड कहलाता है। किन्तु मृत्युदण्ड अंतिम श्रेणी का दण्ड है और इसमें अपराधी को सुधरने का अवसर नहीं मिलता। मृत्युदण्ड की व्यवस्था प्रायः हत्या जैसे अपराध के लिए की गयी है जिसका सीधा अर्थ है हत्या के बदले हत्या। भारतीय दण्ड संहिता में हत्या के अतिरिक्त राजद्रोह, आजीवन कारावास का दण्ड भुगत रहे व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास, झूठी गवाही जिससे किसी निर्दोष को मृत्युदण्ड मिला हो जैसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है।

मृत्युदण्ड को लेकर विश्वभर में दो अलग–अलग विचारधारा है। एक तरफ जहां मृत्युदण्ड को समाप्त किए जाने की मांग की जाती है वहीं दूसरी तरफ जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदण्ड की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की जाती है। मृत्युदण्ड के समर्थकों का तर्क है कि इस प्रावधान को समाप्त किए जाने से समाज में रहने वाले अनेक शांतिप्रिय नागरिकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। मृत्युदण्ड का भय समाप्त होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और समाज में दहशत का माहौल बनेगा। सदियों से मृत्युदण्ड के साथ यह तर्क जुड़ा हुआ है कि इए दण्ड को देख कर अन्य लोग अपराध करने से डरते हैं। और समाज में व्याप्त भय समाप्त होता है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या मृत्युदण्ड देने से अपराध की घटनाओं में कमी आती है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में इस सजा के पीछे अपराध निवारण की अवधारणा काम कर रही है। दूसरी ओर मानवाधिकारवादियों का समूह इस अवधारणा को खारिज करते हुए इस दण्ड को पूरी तरह समाप्त करवाने की दिशा में काम कर रहा है। मानवाधिकारवादियों के इस प्रतिरोध के कारण ही मृत्युदण्ड का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाद–विवाद का विषय बना हुआ है।

हमारे देश में मृत्युदण्ड देने का चलन मध्ययुगीन शासन की देन है जब निरंकुश शासन अपने विरोधियों को सरे आम फांसी की सजा देता था। अधिकांश मामलों में इसका कारण राजनीतिक होता था। आधुनिक काल के इतिहास को देखें तो सन् 1861 में पहली बार भारतीय दण्ड संहिता में मृत्युदण्ड को एक विधिक दण्ड के रूप में मान्यता दी गयी। इस प्रावधान को प्रवर्तन के 70 वर्ष बाद 1931 में पहली बार तब

चुनौती मिली तब बिहार की प्रांतीय सभा के एक सदस्य द्वारा इस प्रावधान को हटाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1946 में एक बार फिर इस प्रावधान की उपादेयता पर बहस छिड़ी किंतु तत्कालीन अंतरित सरकार ने यह कहकर इस प्रकरण को दबा दिया कि यह प्रावधान अपराधों पर नियंत्रण का काम करता है। 1949 में भारतीय संसद में पहली बार इस प्रावधान को समाप्त करने हेतु विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु तत्कालीन गृहमंत्री बल्लभ भाई पटेल द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस प्रस्तव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ही नहीं जा सका। 1955 में एक बार फिर इसकी उपादेयता पर बहस छिड़ी। संसद में चली लंबी बहस के बाद अंततः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 367(5) में संधोधन कर यह व्यवस्था की गयी कि किसी न्यायालय पर यह जवाबदेही नहीं होगी कि उसने किसी विशेष मामले में भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधान होने के बावजूद मृत्युदण्ड की सजा क्यों नहीं दी। इस प्रकार पहली बार मृत्युदण्ड की सजा देने या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया। 1973 में पुनः एक संशोधन कर व्यवस्था की गयी कि किसी अपराध के लिए मृत्युदण्ड देते समय न्यायाधीश की दण्ड के लिए उचित कारणों को लेखबद्ध करना होगा।

1962 में लोकसभा में इस मुद्दे पर खुलकर बहस हुई किन्तु किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाने के कारण इसे विधि आयोग को सौंप दिया गया। विधि आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में इस प्रावधान में कोई परिवर्तन न करने की संस्तुति की। 1973 में मृत्युदण्ड की वैधानिकता पर एक बार फिर प्रश्न उठाया गया। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश के बाद मे सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदण्ड को पूरी तरह वैधानिक ठहराते हुए कहा कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के आधार पर मुत्युदण्ड के प्रावधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1974 में एडिगा अनम्मा मामले में तथा 1979 में राजेन्द्र प्रसाद के मामले में दिए गए मृत्युदण्ड पर भारी विरोध को देखते हुए 1980 में बचन सिंह मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। इस पीठ ने एक के विरूद्ध चार मतों से निर्णय दिया कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालयों को इस दण्ड को देते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस प्रकार समाज के दृष्टिकोण को पहली बार इस प्रकार के दण्ड के साथ संयोजित किया गया। 1983 में शेरसिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार मृत्युदण्ड के प्रति समाज की बदली हुई विचारधारा को स्थान दिया गया। इसी मामले में मुख्य न्यायाधीश वाई0वी0 चन्द्रचूड़ ने कहा कि मृत्युदण्ड केवल विशेष मामलों में ही दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1994 में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार एवं तत्पश्चात् उसकी हत्या के आरोपी धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी गयी थी। अपराध घटित होने के लगभग 10 वर्ष बाद अभियुक्त को फांसी पर लटकाए जाने के पूर्व तक अभियुक्त के परिजनों तथा विभिन्न मानवाधिकारवादी संगठनों द्वारा फांसी की सजा को लंबित किए जाने का भरपूर प्रयास किया गया। किंतु राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को अस्वीकार किए जाने के कारण फांसी की सजा का कार्यान्वयन किया जाना अपरिहार्य हो गया था। अंततः 14 अगस्त 2004 को अभियुक्त को फांसी की सदी दी गयी।

इस प्रकरण के साथ ही देश में मृत्युदण्ड को लेकर लंबी बहस छिड़ी थी। काफी तर्क कुतर्क गढ़े गये किन्तु इन सब का कोई प्रभाव न्यायपालिका पर नहीं पड़ा और धनंजय चटीर्जी द्वारा किए गए अपराध की बर्बरता को देखते हुए उसकी सजा को बहाल रखा गया। इस वाद में दिए गए तर्को के बजाय हम यहां बचन सिंह मामले में दिए गए तर्को का उल्लेख करेंगे क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय

संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पीठ के समक्ष मृत्युदण्ड का प्रावधान की संवैधानिकता को निम्न अधारों पर चुनौती दी गयी थी –

1. यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है क्योंकि संविधान का यह अनुच्छेद मनुष्य के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रावधान करता है।
2. मृत्युदण्ड का प्रावधान उन सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करता जिनकी पूर्ति के लिए दण्ड की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के रहने या न रहने से समाज में होने वाले अपराधों के आंकडों में किसी अंतर का कोई प्रभाव नहीं है।
3. मृत्युदण्ड की सजा प्राप्त अपराधी के निकट संबंधियों के जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ता है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त अपराध में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न होने के बावजूद उनके सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार का हनन होता है।
4. फांसी के फंदे पर लटका कर दी जाने वाली सजा पूरी तरह अमानवीय है और सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है।
5. मृत्युदण्ड सुधारात्मक श्रेणी का अपराध नहीं है क्योंकि इसमें अपराधी को सुधरने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है।

मृत्युदण्ड के पक्ष में दिए जाने वाले तर्को के अध्ययन के लिए हम 38वें विधि आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ ले सकते हैं। आयोग ने इस प्रावधान को समाप्त न करने के पीछे निम्न तर्क दिए थे –

(1) सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हुए ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिसके कारण उसकी मृत्यु हो।

(2) दण्ड के रूप में मृत्युदण्ड का जो प्रभाव है वह आजीवन कारावास का भी नहीं है।

(3) मृत्युदण्ड का प्रावधान अपराधी का सकारात्मक सोच के लिए बाध्य करता है।

(4) आजीवन कारावास की सजा भुगत कर वापस समाज में आए लोगों द्वारा पुनः अपराध करने के कई प्रमाण मौजूद है।

(5) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दण्ड के सम्बन्ध में दिए गए अध्ययन बताते हैं कि यह दण्ड यदि पूरी तरह समाज की शांति एवं सुरक्षा के हित में नहीं है तो पूरी तरह विरूद्ध भी नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न देशो में अलग–अलग प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं। कुछ देश जहां एक तरफ इस दण्ड को समाप्त कर चुके हैं अथवा समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। वहीं कुछ देश इस व्यवस्था को पुनः लागू कर रहे हैं। इंग्लैण्ड में 1956 में पारित सिल्वरमैन बिल के द्वारा राजद्रोह के लिए मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान तय किया गया था। इंग्लैण्ड यों तो यही प्रचार करता है कि उसने मृत्युदण्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है किन्तु वास्तव में यह अभी भी उसी रूप में बरकरार है। ब्राजील में 1890 में मृत्युदण्ड की सजा पर रोक लगयी गयी थी। किन्तु बाद में 1969 में मृत्युदण्ड के प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय का मानवाधिकार संगठनों द्वारा भारी विरोध किया गया जिसे देखते हुए 1979 में पुनः मृत्युदण्ड के प्रावधान पर रोक लगा दी गयी। इसी प्रकार स्पेन ने 1932 में मृत्युदण्ड के प्रावधान पर रोक लगा दी थी। किन्तु 1934 में इसे पुनः बहाल कर दिया गया था।

1959 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भंडारनायके की हत्या के बाद सरकार ने मृत्युदण्ड के प्रावधान को लागू किया। इजरायल में विशेष तौर पर कानून बना कर यहूदियों के विरूद्ध किए गए अपराध हेतु मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया। चीन में 1 जुलाई 1979 को क्रूर एवं अमानवीय अपराधों के लिए मृत्युदण्ड के प्रावधान को अपनाया गया। अर्जेटीना में 1976 में मृत्युदण्ड के विरूद्ध व्यापक जनविद्रोह के बावजूद इसे समाप्त नहीं किया गया। जापान में कुल 13 अपराध ऐसे है जिनके लिए मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान है। ग्रीस एवं पाकिस्तान में मादक द्रव्यों की तस्करी की सजा मृत्युदण्ड है। क्यूबा में हत्या, डकैती, बलात्कार तथा विमान अपहरण के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान 1978 में लागू किया गया। सोवियत संघ में कुल 18 अपराधों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान था। अमेरिका के 32 राज्यों में फरमैन के ऐतिहासिक मुकदमें के बाद मृत्युदण्ड के प्रावधान को पुनः लागू किया गया।

आधुनिक और विकासवादी दृष्टिकोण से देखे तो वास्तव में मृत्युदण्ड अब सभ्य समाज में लागू होने वाली वस्तु नहीं रह गयी है। न्यायालय द्वारा भी अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जघन्यतम मामलों में ही मृत्युदण्ड दिया जाता है। इसी दृष्टिकोण के कारण आज विश्व के लगभग 75 देशों ने इस प्रावधान को पूरी तहर समाप्त कर दिया है। 16 देशों ने इस प्रावधान को समाप्त न करके इसे सुसुप्तावस्था में डाल दिया है। ब्रिटेन में इस प्रावधान को अनुपयोगी श्रेणी में डाल दिया गया है।

यह एक आधारभूत मानवीय सिद्धांत है कि जो जीवन हम दे नहीं सकते उसे हमें लेने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीयूसीएल तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मृत्युदण्ड को समाप्त करने की मांग कई दशकों से की जा रही है। यहां तक कि महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों का भी मानना है कि अपराध चाहे जितना भी गंभीर हो उसकी सजा मृत्युदण्ड नहीं होनी चाहिए।

भारत में यद्यपि मृत्युदण्ड को समाप्त नहीं किया गया है तथापि वह इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे वाद–विवाद से अछूता नहीं है। भारत में इस प्रावधान का उपयोग संख्यात्मक रूप से अब काफी कम हो गया है। 14 अगस्त, 2004 को धनंजय चटर्जी को दी गयी फांसी की सजा के अलावा पिछले 22 वर्षो में देश में फांसी की किसी सजा का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 22 वर्ष पूर्व फांसी की सजा इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपी को दी गयी थी। पिछले कुछ वर्षो में मृत्युदण्ड की सजा दिए जाने के कुछ मामले सामने आये हैं – ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के अभियुक्त दारासिंह, नैना साहनी हत्याकांड के अभियुक्त सुशील शर्मा तथा संसद पर आतंकवादी हमले के अभियुक्त मोहम्मद अफजल एवं शैकत हुसैन गुरू। दिल्ली के निर्भया काण्ड पर तीन अभियुक्तों को फाँसी की सजा दिसम्बर 2019 में दी गयी। इन अभियुक्तों को दी गयी फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही क्रियान्वयन की स्थिति में पहुंचेगी।

भारत के संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याण के सर्वोच्च आदर्शो को समाहित करते हुए देश के लिए एक उत्कृष्ट संविधान की रचना की थी। संविधान निर्माताओं की इच्छा ने केवल सभ्य समाज की रचना करना था बल्कि एक ऐसे देश का निर्माण करना था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च आदर्शो का पोषक हो। ऐसी उच्च आदर्शो वाली भारत भूमि में मृत्युदण्ड जैसे मध्ययुगीन बर्बर कृत्य को कैसे मान्यता दी जा सकती है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में गृहमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में फांसी की सजा दिए जाने के पक्षधर थे। अपने मंत्रित्वकाल में उन्होंने इससे सम्बन्धित विधेयक भी प्रस्तुत किया था। माशेलकर समिति ने भी नकली दवाओं का कारोबार करने

वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। बलात्कार तथा नकली दवाओं का कारोबार निश्चय ही अति गंभीर किस्म का अपराध हैं किन्तु इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि हमारे देश की लचर न्याय व्यवस्था में बमुश्किल एक प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है। शेष मामलों में अपराधी तकनीकी आधार पर ही छूट जाते हैं। दरअसल जरूरत एक ऐसी न्याय व्यवस्था की है जिसमें अपराधी को सजा अवश्य हो। इसके लिए हमें अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारना होगा। साक्ष्य सम्बन्धी कानूनों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर हर अपराधी पकड़ा जाय और अपराध की गंभीरता के अनुसार उसे सजा दी जाये तो अपराधों से संख्यात्मक सुधार स्वयं परिलक्षित होने लगेगा।

सन्दर्भ सूची –

1. वावेल डॉ0 बसन्तीलाल : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ, 2012
2. बघेल डॉ0 डी0एस0 : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, रावत पब्लिकेशन जयपुर, 2017
3. मिश्रा राम्भा : मृत्युदण्ड की प्रासंगिकता, (लेख) ध्येय आई0ए0एस0 एकेडमी नई दिल्ली, 14 फरवरी 2020
4. दिव्यकीर्ति विकास : मृत्युदण्ड : उचित या अनुचित ? (लेख) आई0ए0एस0 एकेडमी, नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2018
5. नागर आकाश एवं परवानी चानन : भारत में मृत्यु दण्ड – इसके प्रतिरोधात्मक प्रभाव का एक निर्धारण, इण्डियन बार रिव्यु वाल्यूम 41(1), 2014
6. ठाकुर अंजली : मृत्यु दण्ड एवं इसकी प्रासंगिकता, इण्डियन बार रिव्यू वाल्यूम 42(1), 2015
7. उपाध्याय गोपाल : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन दरभंगा, इलाहाबाद 2017
8. महाजन संजीव : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, 2014

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

उराँव जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकास भारती की भूमिकाः विशुनपुर प्रखंड के विशेष संदर्भ में

दिव्या मिश्रा
शोध छात्रा,
स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग,
रांची विश्वविद्यालय रांची

सारांश

ओरांव या उराँव कोल जनजाति समूह की एक प्रमुख उपजाति है। इनका निवास बिहार एवं वर्तमान झारखंड के छोटानागपुर पठार से मध्यप्रदेश तक पाया जाता है। इनकी भाषा और संस्कृति द्रविड़ संस्कृति से मिलती–जुलती है। उराँव का अर्थ घूमनेवाले लोग होता है। इनकी अधिकतम संख्या छोटानागपुर के पठारी भागों में पाई जाती है। ये रांची के पठारी भाग में सघन रूप से बसे हुए हैं।प्राचीन काल में उराँव शिकारी हुआ करते थे, लेकिन स्थायी रूप से बसने के बाद से ये कृषक बन गए और इनका प्रमुख क्रियाकलाप कृषि हो गया है। कृषि के अलावा ये मछली पकड़ना पशुपालन तथा अन्य काम जैसे सूत काटना, कपडे बुनना चटाई बनाना इत्यादि भी करते हैं। इनकी स्थायी फसल चावल है। जिसे ये वर्ष भर में दो या तीन बार उगाते है। अब काफी उराँव शहरों में मजदूरी उद्योगों में श्रम करने के लिए अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड चुके है। शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से ये अन्य कार्यों में भी रूचि बढाये हैं। इनके समाज में मुख्य रूप से परिवर्तन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान के परिणामस्वरूप हुआ है। इस शोध पत्र के माध्यम से उराँव जनजाति पर विकास भारती के प्रभावों को विश्लेषित कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदू–उराँव, पठार, कृषि, कौशल, तकनीकी, मजदूरी

उराँव झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं बहुसंख्यक जनजाति है। संथाल के बाद इसका दूसरा स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार उरांव की कुल जनसंख्या 1137666 हैं, ये मुख्यतः पुराने जिले राँची (76.19 प्रतिशत), पलामू (43–82 प्रतिशत), ब्रजारीवल (5 प्रतिशत), सिंहभूमि (3.62) तथा संथाल परगना (1. 13 प्रतिशत) में पाये जाते है।उरांव अपनी भाषा में अपने को 'कुरुखु' कहते हैं। कुरुखु शब्द का संबंध संस्कृ त घातु 'कर्ष' (हल चलाना) से है, जो कर्षण से होकर कूपर, कुहुशर, कुरुखु हो गया। कर्षण से कुड़खर में परिवर्त्तन 'षा' से 'ख' होना नासिका से संबंध रखता है।[1]

ऐसा भी माना जाता है, कि कुरुखु नाम शायद मूल रुप से विलुप्त हुए द्रविड़ धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ 'मानव' होता है। प्रायः सभी जनजातियों में अपने को कोई जाति न बता कर मात्र मानव कहने की परंपरा पाई जाती है। मुंडा या हो अपने को होरो (मानव) कहते हैं। 'कोल' शब्द का जिसका प्रयोग सामूहिक रूप से पूरी जनजाति (मुंडा भी) के लिए होता लगता है, मूल अर्थ है – मानव। इसी तरह 'माले' (जनजाति) का अर्थ है जन।[2] एश्किमो अपने को ''इनुइट'' कहते है। इसका भी अर्थ मुनष्य होता है। कालाहारी–'मरुभूमि में रहने वाले 'बुशमैन' एव होटेनटोट' अपने को 'खोई' कहते हैं, जिसका भी अर्थ मात्र 'मानव' होता है। मानव में अभेद दर्शन जनजातियों की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका विकास ही अनेकता में एकता स्थापित कर सकता है।ऋग्वेद से जाया 'कृषाण' शब्द, 'जन' के बोधक रूप में प्रयुक्त हुआ है। वेद, ब्राह्मण और संहिता में ''पांच–जन'' हैं का उल्लेख हुआ है।[3]

इस नाम की उत्पत्ति का एक बड़ा रोचक वर्णन एक उराँव लोक–कथा में मिलता है। बहुत पहले, सुदूर अतीत में एक मुनि तपस्यावी, बिना अन्न–जल के वर्षो तक एक ही मुद्रा में तपस्या में लीन रहे। इस दीर्घ काल में उनका शरीर बाल्मीकि या बाँबी के रूप में बदल गया, अर्थात् दीमक के ढेर से ढक गया। एक कटीली झाड़ी उग आई जिसका एक लम्बा–33 उनके उर (छाती) में घुस गया। अंत में एक लकड़हारा भूलवश मुनि को दीमक का बांबी समझ कर कुलहरि के बेंत से आधात कर उसे तोड़ दिया किन्तु वह आश्चर्यचकित रह गया।

जब एक जीवित पुरुष को पाया। इस अशिष्ट ढंग से समाधि भंग होने से विचलित मुनि एकाएक खड़े हो गए। तब उनके सीने में धँसा हुआ काँटा टूट गया और रक्त बहने लगा। पृथ्वी (माता) पर खून के धब्बे नहीं पडे, इस इच्छा से उसे अपनी अंजुलि में भर लिया। जब उन्हें शौच–संवेग का अनुभव हुआ तो पत्ते का दोना बना कर उसमें खून भर कर पास में ही छायादार जगह में रख दिया। इस खून से एक लड़का और एक लड़की (भाई–वहन) प्रकट हुए। तब मुनि यहाँ से चल पड़े। वहीं से मुनि को जाते देख उन लोगों ने कहा, रुकिए छोड़ कर मत जाइए। आपने ही हमें संसार में लाया है। हमारी जीविका कैसे चलेगी? ''मुनि ने उत्तर दिया, ''तुम खेतिहर बनोगे। इस जंगल को साफ करो और खेती को अपना पेशा बनाओ।''ये ही उरोंव के प्रथम पूर्वज (माता–पिता) थे जो मुनि के 'उर' के खून से उत्पन्न हुए थे। इसलिए 'उराँव' कहलाए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि ठीक इसी प्रकार की कथाके चार वर्ण के उत्पत्ति के संबंध में भी है कि ब्रह्मा के सिर से व्रम्हाण, भुजाओं या वक्ष से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र हुए।[4]

भोजनः

उराँवका मुख्य भोजन भात (उबाला चावल) और साग सब्जी है। गोंदली महुआ, जंगली कंद–मूल, साग–पात, महुआ फूल, अन्य फल फूल भी इनके भोजन का अंग है। चूडा भी खाते हैं, संपन्न उराँव कई किस्म की दाल, कई प्रकार की सब्जियां खाते है।सामान्य लोग दाल कम खाते हैं। मांड में सांग सिझा कर, खासकर फुटकर साग और नमक हल्दी मिला कर एक प्रकार की लपसी बनाकर खाते है। तेल का प्रयोग कम होता है, दूघ–दही–घी दुर्लभ है। ये मांसाहारी होते हैं। अंडा, मुर्गी तथा विभिन्न प्रकार के पशुओं का मांस खाते हैं। सामान्य लोगों को तो मांसाहार भोजन कभी–कभी ही मिल पाता है। अब शिकार तो इनका पेश रह नहीं गया, शौक है। कभी–कभार शिकार कर लेते हैं। सभी तरह की मछली, पशु–पक्षी खाते हैं। चूहा और कौआ को चाव से खाते हैं। बन्दर का मांस उरांवनहीं खाता। यह पूरे उरांव समाज के लिए निषेध हैं। हड़िया इनका प्रिय पेय है जिसका उपयोग जम कर करते हैं। देवी–देवता पर भी हड़िया का तपावन चढ़ाते हैं, भोज–भात, समारोह–उत्सव या अतिथियों का स्वागत बिना हड़िया के अधूरा माना है, सरहुल के अवसर पर घर का मालिक–मालकिन उपवास करते हैं। उसी तरह शादी पर'वर–वधु भी एक दिन उपवास रखते हैं। सरहुल मनाये बिना मौसम के साग या फल नहीं खाते। अब हड़िया की जगह अरखीं (महुआ शराब) का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, खैनी तम्बाकू का प्रचलन हैं।'

वेशभूषाः

उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में रहने के कारण उराँव कम वस्त्रों में काम चला लेते थे। ये सफेद रंग के कपड़े पसंद करते थे। अब पुरुष धोती–गंजी का प्रयोग करते हैं। परंपरागत 'केस्या' अभी भी प्रचलन में है जो पाँच गज लम्बा और एक डेढ हाथ चौरा कपड़ा होता है जिसके दोनों छोर पर रंगीन धागों से नक्काशी बनी रहती है। कमर में (कमरघनी) पहनते हैं। गरीब–देहाती भगवा का प्रयोग करते हैं।[5] बाहर जाते समय पिछौरी (चादर) से शरीर ढंक लेते हैं जो ढाई गज लम्बा और डेढ़ गज चौड़ा कपड़े का टुकड़ा होता है। जाड़े में 'बरखी' का प्रयोग आम ढंग से होता है। धनी लोग कंबल–रजाई का भी प्रयोग करते है।

सीर त्राण (टोपी, पगड़ी) सामान्यता प्रयोग में नहीं लाया जाता है। विशेष अवसर पर मुखिया पगड़ी और छारी प्रयोग करता है। खस्पा (चप्पल) का प्रयोग करते हैं। बरसात में 'छुपी' (गंगू पता का) का प्रयोग पुरुष और बुधु (फ्तों से बना छाता) का प्रयोग करती हैं। बॉस का छाता का प्रयोग विशेष कर खेती, रोपनी के समय या तेज वारिश में हाट जाते समय होता है। अब तो नये लोग पैंट, कमीज, कोट, जूता, मोजा चप्पल आदि का खूब प्रयोग करने लगे हैं।घड़ी भी बांधने लगे हैं।

आभूषणः

आभूषण का शौक तो महिलाओं में स्वाभाविक है किन्तु गरीबी के कारण सामान्य उराँव महिलाएं सोने–चाँदी के आभूषण नहीं पहनती। कुछेक धनी घर की स्त्रियाँ सोने चाँदी के गहने पहनती हैं। प्रायःउराँव महिलाओं के गहने पीतल, तांबे, लोहे या अन्य सस्ती धातु के बने होते हैं। कौंच, बीज, धागे, कौडी जादि से भी गहने तैयार किए जाते हैं। गले में हँसुली, मनके की हार, या सिक्कों की हार, सिकडी पहनती हैं। कान में 'बिंदियों' या तरपत,ऊपर कनी' और 'बीच कानि', नाक में नक मुटरी व बेसर, उंगली में 'मुंडी (अंगूठी) और कटरी और पेरों में 'पैडी' पहनती हैं। शादी के समय वधू द्वारा पैडी पहनना अनिवार्य माना जाता है। कलई से केहुनी तक सात पीतल का मोटा वाला और एक–एक रासनिया दोनों बाहों पर पहनती हैं। बाह, कान और गला खाली रहना (बिना किसी गहना स्त्रियाँ अच्छा नहीं मानती। जूड़े में कंघी व खोंगसो पहनती हैं। पुरुष भी कलाई में पीतल के बैड़ा और गले में कासी घास या कांच के दाने से बने हार पहनते हैं। केश को बंधे या सँवारे रखने के लिए माथे पैर पटुआ ''पटुआ'' (कपड़े का दुकड़ा) का प्रयोग करते हैं। जतरा या पर्व पर नाच के समय साहिल का काँटा, पंख सिर में खोसते हैं। ताबीज–जंतर भी पहनते हैं। उराँव में गोदना की प्रथा प्रचलित है। सात–आठ वर्ष की उम्र में ही लड़कियों के ललाट पर तीन धद्यरियों और कनपटी पर दो घारियोँ गोद दी जाती है। 1–2 वर्ष की आयु में ऐसे ही धद्यरियोँ, बाँह, पीठ, सीना, और पैर में गोदवाती है। गोदना में फूल, चित्र आदि बनाया जाता है। गोदना को उराँव महिलाएँ बहुत महत्व देती है। इनके बीच एक कहावत है, ''मरने पर सव गहने उतार लिए जाते हैं, पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है।''

उराँव जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिः

सामाजिक संगठन की दृष्टि से उराँव जनजाति अन्य जनजातियों एवं जातियों से अनेक दृष्टि से अलग है। यद्यपि आज उराँव लोग विभिन्न जनजातियों में एवं जातियों के साथ रह रहे हैं। अतः उनके सामाजिक जीवन पर दूसरों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, साथ ही उन्होंने भी दूसरों को प्रभावित किया है। फिर भी सामाजिक दृष्टि से अपनी मौलिकता आज भी बहुत हद तक बरकरार रखे हुए हैं।

सामाजिक संरचना के अंतर्गत परिवार का अलग स्थान है। यह भी कहा जाता है कि परिवार सम्पूर्ण मानव समाज की आधारशिला है क्योंकि परिवार के माध्यम से ही हम संतति द्वारा अपने वंश को सुरक्षित रख सकते हैं। मानव समाज में परिवार एक सार्वभौमिक संस्था हैं। यह प्रत्येक मानव समूह के अंतर्गत पाया जाता है। चाहे वह आदि जनजाति हो या आधुनिक। उराँव जनजाति व्यवस्था सचमुच ही ध्यान देने लायक है क्योंकि इस जनजाति समाज में आज के आधुनिक सभ्य समाज के जैसा ही छोटे परिवार और बड़े परिवार दोनों की प्रथा है। वैसे किसी भी मानव समाज में एक छोटा परिवार के अंतर्गत पति पत्नी और उनके बच्चे अनिवार्य रूप से इसके सदस्य होते हैं। यह प्रक्रिया उराँव जनजाति में भी पाई जाती है। इनके समाज में तो जैसे ही घर के लड़के की शादी कर दी जाती है वह नव–विवाहित पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और छोटा–सा परिवार बना लेता है। परंतु वृद्धावस्था आने पर युवक पुत्र और

पुत्रियाँ एवं अपने माता पिता के सेवा भी करते हैं और हर तरह से उनकी देखभाल भी करते हैं। इस तरह से अलग हो जाने पर भी उराँव समाज में परिवार संयुक्त की रहता है।[6]

उराँव जनजातियाँ पूर्णतया कृषि प्रधान जनजाति है। इसके पुरूष खेतों में काम करते हैं और स्त्रियाँ घर–गृहस्थी के अन्य कार्यों में लगी रहती हैं। पंरतु खेती में भी कुछ ऐसे कार्य होते है जिनमें स्त्रियाँ भी अपना सक्रिय योगदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर धान रोपना, काटना तथा निकौनी करना आदि कार्य स्त्रियों के जिम्मे ही होता है। जिन दिनों कृषि कार्य नहीं चलता है उन दिनों उराँव युवक मछली मारना, शिकार खेलना आदि कार्यों में लगे रहते हैं। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कृषि का कार्य संपन्न होने पर भी ये उराँव युवक बंगाल, असम एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर संभवतः तीन–चार माह तक रोजगार कर लेते हैं। इधर घर की औरतें अपने बच्चों के साथ घर में अपने मवेशियों के साथ ही घर की देख भाल करती हैं। कभी–कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि उराँव युवतियों को उपर लिखित जगहों के ठीकेदार उन्हें ईंट भट्ठा आदि स्थानों पर ले जाकर काम कराते हैं। यहाँ पर हमें यह कहते थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि सरकार के अनेक प्रयत्नों के बावजूद हर क्षेत्र में इनका शोषण हो रहा है। इसके साथ ही इनका एक सुसंगठित परिवार परकुठाराघात किया जा रहा। फिर भी बिहार की अन्य जनजातियों की अपेक्षा उराँव जनजाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक है और प्रायः प्रत्येक परिवार में इन दिनों सभी बच्चे किसी न किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे है और कुछ उच्च शिक्षा में भी पहुँच रहे हैं। उराँव समाज में स्त्री शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया जा रहा है। वैसे उराँव परिवार पुरूष प्रधान परिवार है।

उराँव जनजाति की आर्थिक स्थिति भी भारत के अन्य जनजातियों की तरह ही है। पर इन लोगों ने समतल भूमि पर अपना निवास (गाँव) बसा लिया है और कृषि को अपना मुख्य पेशा मान लिया है। फिर भी उनकी खेतीबारी का साधन उतना उन्नत नहीं होने के कारण वे फलों, कंद मूलों तथा औद्योगिक श्रमिक वर्ग आदि में काम करते हुए कुशल एवं सफेदपोश नौकरी आदि से मुद्रा प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को अन्य जनजातियों से उन्नत बनाने के काम में अग्रसर हैं।

उराँव गाँवों में रहते हैं और कृषि करते हैं, मगर जब कृषि का कार्य समाप्त होता है तो वे अन्यत्र काम ढूँढने के लिए आसाम, कलकता के आसपास औद्योगिक शहरों में चले जाते हैं। दुबारा कृषि प्रारंभ होने के बाद ये अपने गाँव वापस आते हैं। कृषि कार्य में निपुण और विकसित होने के नाते ये अपने खेतों पर अथक परिश्रम करते हैं। उनके यहाँ कृषि लायक जमीन दो प्रकार की होती है। एक तो अपेक्षाकृत निचली और अधिक उपजाऊ जिसको क्रमशः दोन के नाम से जानते हैं और दूसरी ऊँची तथा कम उपजाऊ जिसकों टांड के नाम से जानते हैं। उराँव अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक उन्नत होने के नाते निरंतर परिश्रम एवं अनुभव तथा शेष बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क एवं अनुकरण के कारण खेती में बहुत सफल हैं। ये लोग खेती में खाद के प्रयोग से भी भलीभांति परिचित हैं। इस क्षेत्र में इसाई समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि ईसाईयों द्वारा सूदूर जंगली पठारी इलाकों में भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए स्कूल खोल–खोल कर उन अनपढ़ जनजातियों को शिक्षित बनाया गया। शिक्षा एवं संपर्क से इन लोगों ने विकास के साधनों को अपेक्षाकृत जल्दी और लाभ पूर्ण ढंग से अपनाया। उराँव कृषक अपने खेतों में सिंचाई का उचित प्रबंध करते हैं। ढालू जमीनों में बड़ी सीढ़ी के आकार में खेत बना कर सामने (आड़) लगाकर उपर से नीचे की ओर धीरे–धीरे पानी आने देते हैं। इस प्रकार सिंचाई भी होती है तथा उपर की मिट्टी भी बहकर नीचे आने नहीं पाती है। उराँव जनजाति के कृषि उपकरणों में लोहे के फाल वाले हल, ढेला फोड़ने के लिए फावड़ा, खुरपी, कुदाली, हंसिया आदि प्रमुख हैं। इनकी मुख्य उपज धान, बाजरा, कुरथी, सुरगुजा, उरद आदि है।

विशुनपुर प्रखंड में उराँव की स्थितिः

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बिशुनपुर सीडी ब्लॉक की कुल जनसंख्या 62,319 थी, जो सभी ग्रामीण थे। 31,506 (51 प्रतिशत) पुरुष और 30,813 (49प्रतिशत) महिलाएं थीं। 0–6 वर्ष की आयु सीमा में जनसंख्या 11,717 थी। अनुसूचित जाति की संख्या 1,021 (1.64 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति की संख्या 56,052 (89.94 प्रतिशत) है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिशुनपुर सीडी ब्लॉक में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 29,322 (छह वर्ष से अधिक की जनसंख्या का 57.95 प्रतिशत) थी, जिनमें से पुरुष संख्या 17,703 (6 वर्ष से अधिक पुरुष जनसंख्या का 71.89 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 11,619 (6 वर्ष से अधिक की महिला जनसंख्या का 46.52प्रतिशत) है। लैंगिक असमानता (महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच का अंतर) 25.37प्रतिशत थी। हिन्दी 28,776 व्यक्तियों की मातृभाषा थी, जो 46.18प्रतिशत जनसंख्या का निर्माण करते हैं, इसके बाद (व्यक्तियों की संख्या और कोष्ठक में जनसंख्या का प्रतिशत) कुरुख (25,487 अर्थात् 40.90प्रतिशत), मुंडा (1078 अर्थात् 1.73प्रतिशत), मुंडारी (855 अर्थात् 1.37प्रतिशत) का स्थान आता है), और मातृभाषा के रूप में अन्य भाषाओं वाले व्यक्ति (6,117 अर्थात् 9.82प्रतिशत)। मातृभाषा के रूप में हिंदी वाले व्यक्तियों में सदरी जानने वाले 12,177 व्यक्ति, नागपुरी मातृभाषा वाले 14,303 व्यक्ति शामिल थे।[7]

2011 में बिशुनपुर सीडी ब्लॉक में, कुल श्रमिकों के वर्ग में, काश्तकारों की संख्या 19,284 और 64. 95प्रतिशत, कृषि मजदूरों की संख्या 6,062 और 20.42 प्रतिशत, घरेलू उद्योग के श्रमिकों की संख्या 853 और 2.87प्रतिशत और अन्य श्रमिकों की संख्या 3,493 और 11.76प्रतिशत थी। कुल श्रमिकों की संख्या 29,692 थी और वे कुल जनसंख्या का 47.65प्रतिशत थे, और गैर–श्रमिकों की संख्या 32,627 और जनसंख्या का 52.35 प्रतिशत था।[8]

विकास भारती की विशुनपुर प्रखंड में स्थिति एवं गतिविधियांः

विकास भारती, बिशुनपुर 14 जनवरी 1983 को स्थापित एक पंजीकृत गैर–सरकारी, स्वैच्छिक संगठन है। संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। संगठन की उत्पत्ति गुमला जिले के सबसे पिछड़े ब्लॉक बिशुनपुर में हुई है। संगठन का विकास चार व्यक्तियों की पहल थी। वे थे श्री अशोक भगत, डॉ महेश शर्मा, श्री रजनीश अरोड़ा और स्वर्गीय डॉ राकेश पोपली। उनमें से तीन आई0 आई0 टी और पंजाब विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के इंजीनियर थे और विकास भारती के वर्तमान सचिव श्री अशोक भगत गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। वे आदिम आदिवासी समुदायों के साथ काम करने के मिशन के साथ बिशुनपुर आए। उन्होंने समुदायों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने समुदाय को औपचारिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना भी शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने इरादों को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को जन्म दिया और इसे 'विकास भारती बिशुनपुर' नाम दिया गया।[9]

विकास भारती मूलरूप से निम्नांकित उददेश्यों के साथ काम कर रही हैः–

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान देने के साथ समग्र और एकीकृत विकास के लिए एक वैकल्पिक मॉडल का निर्माण।
- आदिवासी और उनकी सांस्कृतिक विरासत के स्वदेशी ज्ञान का दस्तावेजीकरण और अध्ययन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ सूक्ष्म–स्तरीय प्रयोग का संचालन।

- मानव क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना।
- परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करना और शिक्षा, आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य चेतना को सार्वभौमिक बनाकर सामाजिक परिवर्तन लाना।
- और सामाजिक–सांस्कृतिक जागृति।
- सहभागी योजना और विकास प्रक्रिया में निराश्रित और ग्रामीण लोगों, सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों का विश्वास और विश्वास पैदा करें।

विकास भारती का मानना है कि विकास को केवल समुदाय आधारित संस्थानों, सरकारी एजेंसियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सार्थक, दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वास्तविक रूप दिया जा सकता है जो गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में, विकास भारती एक भरोसेमंद और सरकार के सबसे बड़े भागीदारों में से एक है। इसके अलावा, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वंचित समाज को सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में भागीदार बनने के लिए आगे आई हैं,इस क्षेत्र में जिन दो प्रमुख जरूरतों की पहचान की गई, वे थीं शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दो समस्याओं के समाधान तलाशने की प्रक्रिया में विकास भारती की टीम ने महसूस किया कि सेवाओं तक दुर्गमता का मूल कारण गरीबी और सीमित आजीविका के अवसर हैं।

विकास भारती के कार्यक्रमों का उराँव जनजाति पर प्रभावः

विकास भारती के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से उरांव समाज में जागरूकता बढ़ी है। पहले जहां उनमें सिर्फ कृषि के आधार पर अपने जीवनयापन की परंपरा रही थी। वहीं इस गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रदान की जा रही कार्यकुशलता एवं गुणवतापूर्ण ज्ञान ने उनके जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। अब उरांव सिर्फ वनोंपज एवं कृषि तथा आखेट पर आधारित जीवन से ही नहीं जुड़े हैं बल्कि वे अपने जीवन में निरंतर हो रही आधुनिक परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए वर्तमान समाज से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढने का प्रयास कर रहे हैं। जो संभव हो पाया है विकास भारती के माध्यम से उपलब्ध कराई गई योग्यता कुशलता एवं शिक्षा के कारण। इससे उरांव जनजाति के सामाजिक, आर्थिक भूमिकाओं में हो रहे परिवर्तनों एवं उनकी सक्षमता/सशक्तीकरण की व्याख्या निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर की जा सकती है :–

- स्वयं पर निर्णय लेने की शक्ति।
- निर्णय लेने के लिये सूचना एवं संसाधनों तक पहुंच।
- शिक्षा के अवसर।
- विकल्पों के चयन की क्षमता।
- पारिवारिक/सामूहिक निर्णयों की प्रभावपूर्ण क्षमता।
- आर्थिक स्वायत्तता।
- राजनैतिक चेतना एवं सहभागिता।

वर्तमान में विभिनन योजनाओं, यथा–स्वयंसिद्ध योजना, स्व सहायता समूह एवं तेजस्विनी योजना, उषा किरण योजना, स्वधार योजना, दीनदयाल सूक्ष्म ऋण योजना, किसान ट्रेनिंग योजना आदि के फलस्वरूप उरांव जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।[10]

निष्कर्ष एवं सुझावः

यह कहा जा सकता है कि सभ्यता के सम्यक विकास के लिए शिष्ट एवं लोक का सामंजस्य आवश्यक है। सम्प्रति धर्म एवं राजनीति के कारण ही आदिवासी जातियाँ अपनी अस्मिता व अस्तित्व के संकट से जूझने के लिए अभिशप्त हैं। इस अभिशाप से उन्हें मुक्त कराने के ठोस प्रयासों की उन्हें अभी भी प्रतीक्षा है।

वर्तमान में उराँव जनजाति की समस्याओं के समाधान और उनके विकास के लिए अनेक सराहनीय कार्य किये जा रहे लेकिन फिर भी उरांव जनजातिकी समस्याओं का निराकरण नही पा रहा हैं। वास्तव में भारत मे उरांव जनजातिकी अनेक समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इनके समाधान के लिए संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता हैं। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैंः–

1. उराँव जनजाति की आज भी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पिछड़ापन है। इसका समाधान करने लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ ही स्वरोजगार की सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी हैं। आदिवासी समुदाय आज भी अपनी दस्तकारी और विभिन्न प्रकार की कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय स्तर पर यदि इनके द्वारा बनायी गयी वस्तुओं को खरीदकर उनके विक्रय की समुचित व्यवस्था की जाये तो आदिवासियों की आर्थिक समस्याओं को काफी हद तक सुलझाया जा सकता हैं। उरांव जनजाति ग्रामों में सहकारी समितियों की स्थापना करके, श्रमिकों को उचित मजदूरी दे कर, ठेकेदारों और वन अधिकारियों द्वारा उनके शोषण को रोकने एवं कम ब्याज पर कृषि के लिए ऋण की सुविधा देने से भी उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि की नयी और सस्ती प्रविधियों का प्रचार करना भी एक अच्छा कार्य हो सकता हैं।
2. सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब बाहरी समूहों को उराँव जनजाति पर अपने धर्म को थोपने के अवसर न दिये जायें। एलविन ने सुझाव दिया है कि जनजातीय संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हैं। इसके लिए उन्हीं की संस्कृति और भाषा के अन्तर्गत उन्हें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना जरूरी हैं। जनजातीय क्षेत्रों में केवल उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो उनकी भाषा तथा संस्कृति से परिचित हों। जनजातीयों को दी जाने वाली शिक्षा इस तरह की हो जिससे उनके अन्धविश्वासों और परम्परागत व्यवहारों में धीरे–धीरे परिवर्तन लाया जा सके।
3. उराँव जनजाति की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह जरूरी है कि जनजातीय नेताओं की सहायता से लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाय। यह कार्य प्रत्येक गाँव में उरांव जनजाति परिषदों की स्थापना कर किया जा सकता हैं। कुछ अधिक जागरूक लोग जब अपनी समस्याओं से परिचित होंगे, तब वे दूसरे व्यक्तियों को भी अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रोत्साहन दे सकेंगे। इन क्षेत्रों में नये कानूनों को इस तरह लागू करना आवश्यक हैं जो उरांव जनजाति संस्कृति और परम्पराओं के पूरी तरह अनुकूल हों।
4. उराँव जनजाति की शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता हैं। यह व्यावहारिक शिक्षा कृषि, दस्तकारी, कृषि उपकरणों के निर्माण तथा हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए। विभिन्न अध्ययनों से प्रमाणित हुआ हैं कि बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देना अधिक उपयोगी नही हैं क्योंकि इससे उनके माता–पिता का ध्यान छात्रवृत्ति की राशि पर ही रहता हैं। इसके बदले बच्चों को स्कूल में पौष्टिक आहार तथा पुस्तकों की सहायता देना अधिक उपयोगी होगा। शिक्षा के द्वारा उरांव जनजाति क्षेत्रों में पशुपालन, मछली–पालन, मुर्गी पालन तथा

मधुमक्खी–पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उरांव जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विस्तार करना भी आवश्यक है।

5. उराँव जनजाति की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सचल चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बसों के अंदर बने हुए यह चिकित्सालय 10–15 वर्ग किलोमीटर के अंदर आने वाले गाँवों में पहुँचकर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। विटामिनयुक्त गोलियों के वितरण तथा बच्चों के लिए आवश्यक टीके लगाने में भी इनकी भूमिका अधिक उपयोगी होगी। गाँवों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, लोगों को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराना, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करना तथा स्वच्छता के नियमों का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है।

6. उराँव जनजाति में विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना सबसे अधिक आवश्यक हैं। यह अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि विकास अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को अनुदान या सब्सिडी के रूप में जो राशि दी जाती हैं, उसका एक बड़ा भाग वे स्वयं हड़प जाते हैं। इस स्थिति में इस तरह के अनुदानों अथवा सब्सिडी की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं हैं। सहायता की संपूर्ण राशि कृषि अथवा दस्तकारी के उपकरणों के रूप में उरांव जनजाति परिषद् के माध्यम से वितरित होनी चाहिए। इससे धन का दुरूपयोग रूकेगा तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ उरांव जनजाति तक पहुंच सकेगा।

7. उराँव जनजाति में राजनीतिक असंतोष रोकने के लिए वर्तमान में एक व्यापक और व्यावहारिक दृ ष्टिकोण की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले तो जो जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में जितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, वे उन्हें अवश्य मिलना ही चाहिए। जहाँ पर अधिक जनजातीय जनसंख्या है उन क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारियों की नियुक्तियों को प्राथमिकता देना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसी आचार संहिता होना चाहिए जिससे वे जनजातियों को भड़काकर अपने हितों को पूरा न कर सकें। वन संबंधी कानूनों से इस तरह संशोधन करना चाहिए जिससे जंगलों को बिना कोई हानि पहुंचायें आदिवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं वहाँ से प्राप्त कर सकें।

संदर्भ सूची

1. भारत की जनगणना 1991।
2. उरांव सत्य गोपाल, 2008, खोर लरंग, साय गोपाल उरांव एवं मित्र, हाउसिंग कॉलोनी बरियातु रांची, पृ 65।
3. बेकस टुडूस पी. सी., 2011, कुडुख कथा बिल्ली, अलेक्स तिर्की, सत्यभारती, काथलिक प्रेस, रांची पृ 12।
4. टोप्पो तेजकुमार, 2008, करम ओहमा, हिंदराजी कुडुख वकलूरिया सिमा प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली पृ 34।
5. तिरकी महली लिवीन्स, 2009, सरहुल, महली लिवीन्स तिरकी, काथलिक प्रेस, रांची पृ 30।
6. उरांव इंद्रजीत, 1995, जनजातीय रीति रिवावज एवं कानंन, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची पृ 89।
7. भारत की जनगणना 2011।
8. भारत की जनगणना 2011।
9. एचटीटीपीएस//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.विकासभारती.इन।
10. विद्याभूषण, 2000, झारखण्ड समाज संस्कृति और विकास, प्रकाषन संस्थान त्रिवेणी ऑफसेट नई दिल्ली पृ 45।

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

जनजातियों में घरेलू हिंसा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः सरायकेला–खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड के विशेष संदर्भ में

राधिका कुमारी
शोध छात्रा
स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग
रांची विश्वविद्यालय, रांची

सारांश

नागरिक सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। विषय जब देश की आधी आबादी की गरिमा से संबद्ध हो तो मामला और भी विचारणीय हो जाता है। आजादी के 75वें वर्ष में पदार्पण कर चुकी व्यवस्थाएं नारी–सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा हैं, इसका सहज अनुमान मीडिया में अक्सर सुर्खियां बन कर उभरने वाले दुष्कर्म के प्रकरणों से लगाया जा सकता है।

हाल ही में बुलंदशहर के गांव डिबाई–गालिबपुर में एक हृदयविदारक घटना प्रकाश में आई। 16 वर्षीय एक किशोरी को सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात् गोली मार दी गई। कथित तौर पर गत 21 जनवरी को बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर हुए इस कृत्य को पुलिस–प्रशासन द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया तथा प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या होने एवं लड़के द्वारा स्वयं को गोली मार कर जीवन समाप्त करने के प्रयत्न की मिथ्या कहानी गढ़ी गई। परिवार के आरोपानुसार, रात को करीब 8 बजे किशोरी की मृत देह सौंपने के पश्चात, मध्यरात्रि को ही उन्हें पीड़िता का अंतिम संस्कार करने हेतु बाध्य किया गया। इसी माह अलवर में भी एक मूक–बधिर बच्ची को बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म का निशाना बनाकर पुलिया पर फैंक दिया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा पीड़िता को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर अवस्था के चलते उसे जयपुर रैफर कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर घटित प्रत्येक मामले को सूचीबद्ध किया जाए तो निश्चय ही हमारे रौंगटे खड़े हो जाएंगे। लज्जा का विषय है कि नैतिकता में विश्वगुरु रहे भारत को 26 जून, 2018 को जारी 'थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशन' की रिपोर्ट अनुसार महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया। पिछले कुछ वर्षों से दुष्कर्म मामलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। बीते 10 वर्षों के दौरान शील भंग के 4,70,556, महिला अपहरण के 3,15,074, बलात्कार के 2,43,051 तथा महिला दुर्व्यवहार के 1,04,151 मामले दर्ज किए गए। अनेक मामलों में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाई, औसतन प्रत्येक मिनट कोई न कोई महिला यौन हिंसा की शिकार बनती है।

घटनाएं बढने का सीधा–सा अर्थ है कि समाज में वास्तविक साक्षरता, जनचेतना व नैतिक मूल्यों का सर्वथा अभाव है। साथ ही पुलिस–व्यवस्था व न्याय प्रणाली भी त्रुटिपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। उसके चरित्र निर्माण में अनेक कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महिलाओं से होने वाले अनाचार में समग्र दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बिना संभव नहीं। नारी गरिमा की अवमानना प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार्य है, इसे प्रांतीयता, धर्म, वर्ग, जाति आदि संकीर्ण तराजुओं में नहीं तोला जा सकता। इस षोध पत्र के माध्यम से जनजातीय समाज में घरेलू हिंसा की परिस्थितियों को विष्लेषित कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदू– जनजाति, घरेलू हिंसा, अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

"केवल एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता" यह वाक्य किसी फिल्म का मात्र एक डायलॉग ही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है।

महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहु–आयामी मुद्दा है जिसके सामाजिक,निजी, सार्वजानिक और लैंगिक पहलू हैं। एक पहलू से निपटें तो तुरंत ही दूसरा पहलू नजर आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी व्यापक हैं, यह तय कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अकसर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है, और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। निजी रिश्तों में घरेलू हिंसा की घटना को स्वीकार करने को अकसर रिश्तों के चरमराने से जोड़ कर देखा जाता है। समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे स्थापित सामाजिक ढाँचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सबके बावजूद भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं, वे आँकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर पाँच मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है।

घरेलू हिंसा (वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलु मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि) सहवास अथवा विवाह जैसे बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। अंतरंग साथी अथवा जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा विपरीत लिंगी अथवा समलैंगिक संबंधों में भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिसमें धूर्तता से लेकर विवाह पश्चात बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शामिल हैं एवं इसके परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक विरूपण अथवा मौत भी संभव है।[1]

वैश्विक रूप से सामान्यतः पत्नी अथवा महिला साथी घरेलू हिंसा की शिकार अधिक होती है हालांकि इसका शिकार पुरुष साथी अथवा दोनों एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं अथवा दोषी आत्मरक्षा या प्रतिशोध के कारण भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। जबकि विकसित विश्व में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को प्राधिकारियों के पास खुले आम शिकायत करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को प्रतिवेदित नहीं किया जाता क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक रूप से कायर और पुरुषत्वहीन माना जाता है।

कानून में घरेलू हिंसाः

कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (१) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (२) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है।[2]

इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार काः

- शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार–पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि),
- लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार),
- मौखिक और भावनात्मक हिंसा (जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि),
- आर्थिक हिंसा (जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोजगार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि), भी घरेलू हिंसा है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपः

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं[3]–

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसाःकिसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसेः– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना,महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसाः

इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे–धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि वे घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हाल ही में चंडीगढ़ और

शिमला में सैकड़ों पुरूष इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसाः

हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दीवारों के भीतर छिपा हुआ है।

बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसाः

घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मार–पीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005:

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुई।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नांकित हैं:–

धारा–4:

घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है, की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकरी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत 'संरक्षण अधिकारी' या 'सेवा प्रदाता' से संपर्क कर सकती हैं। पीड़ित के लिए एक 'संरक्षण अधिकारी' संपर्क का पहला बिंदु है।संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में 'संरक्षण अधिकारी' नियुक्त करती है। 'सेवा प्रदाता' एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है सपीड़ित सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती है। भारत में सभी पंजीकृत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का एक डेटाबेस यहाँ उपलब्धहै।सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता हैस आप मजिस्ट्रेट–फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती हैं, किंतु किस क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना है यह आपके और प्रतिवादी के निवास स्थान पर निर्भर करता है। १० लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अमूमन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है।[4]

धारा–5:

यदि धरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि[5]:–

(क) उसे संरक्षण आदेश पाने का

(ख) सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता

(ग) संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता

(घ) मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का

(ङ) परिवाद–पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। पर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई करने से यह प्रावधान नहीं रोकता है।

धारा–10: सेवा प्रदाता, जो नियमतः निबंधित हो, वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है।[6]

धारा–:12 पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60दिनों के अन्दर होगा।

धारा–14: मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदात्ता से परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा।

धारा–16: पक्षकार ऐसी इच्छा करें तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी।

धारा–17 तथा 18: पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा।

धारा–19: पीड़िता को और उसके संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा।

धारा–20 तथा 22: वित्तीय अनुतोष– पीड़िता या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा तथा भरण–पोषण का भी आदेश दे सकेगा एवं प्रतिकर आदेश भी दिया जा सकता है।

धारा–21: अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का भी आदेश मैजिस्ट्रेट दे सकेगा।

धारा–24: पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा।

सरायकेला–खरसांवा जिला की स्थितिः

2011 में, सरायकेला खरसावां की जनसंख्या 1,065,056 थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 544,411 और 520,645 थे। 2001 की जनगणना में, सरायकेला खरसावां की जनसंख्या 848,850 थी, जिसमें पुरुष 435,339 थे और शेष 413,511 महिलाएं थीं। सरायकेला खरसावां जिले की जनसंख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 3.23 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना में, सरायकेला खरसावां जिले के लिए यह आंकड़ा महाराष्ट्र की आबादी का 3.15 प्रतिशत था। 2001 के अनुसार जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या में 25.47 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ था। भारत की पिछली जनगणना 2001 में, सरायकेला खरसावां जिले ने 1991 की तुलना में अपनी जनसंख्या में 21.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।[7]

कुचाई प्रखण्ड की स्थितिः

कुचाई झारखंड राज्य में ब्लॉक है, 2022 में कुचाई ब्लॉक की आबादी 82,330 है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, इस ब्लॉक में कुल कुचाई आबादी 64,320 है, जिनमें 32,443 पुरुष और 31,877 महिलाएं हैं। 2021 में कुचाई की जनसंख्या 79,757 है, साक्षर लोग 28,302 हैं जिनमें से 17,777 पुरुष हैं और 10,525 महिलाएं हैं। कुल श्रमिक 32,416 बहु कौशल पर निर्भर हैं, जिनमें से 17,344 पुरुष और

15,072 महिलाएं हैं। कुल 5,004 किसान कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें से 3,493 पुरुषों द्वारा खेती की जाती है और 1,511 महिलाएं हैं। कुचाई में 1,414 लोग कृषि भूमि में श्रमिक के रूप में काम करते हैं, पुरुष 752 हैं और 662 महिलाएं हैं। साक्षरता प्रतिशत 44.00 प्रतिशत है, इनमें से 27.64 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं और 16. 36 प्रतिशत महिला साक्षर हैं। कुल श्रमिकों का प्रतिशत 50.40 प्रतिशत है, इनमें से 26.97 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 23.43 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। कुचाई में कुल कृषि किसानों का प्रतिशत 7.78 प्रतिशत है, इनमें से 5.43 प्रतिशत पुरुष किसान और 2.35 प्रतिशत महिला किसान हैं। कुचाई श्रम प्रतिशत 2.20 प्रतिशत है, इनमें से 1.17 प्रतिशत पुरुष श्रम है और 1.03 प्रतिशत महिला श्रम है। कुचाई ब्लॉक के लोग आबादी के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच विभाजित हैं।[8]

झारखण्ड का जनजातीय समाजः

झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को यह प्रदेश भारतवर्ष का 28 वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखण्ड का सामान्य अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखण्ड कहलाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में यह ठपुण्ड' नाम से वर्णित है। जनजातीय क्षेत्रों के लिये झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी के एक तामपत्र में हुआ है। माहभारत काल में इस क्षेत्र का वर्णन पुण्डरिक देश' के नाम से हुआ है जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखण्ड नाम से किया है। मल्लिक मुहम्मद जायसी ने अपनी शास्वत रचना पद्मावत में झारखण्ड नाम की चर्चा की है। सम्भवतः जंगल–झाड़ की अधिकता ने ही झारखण्ड नाम को जन्म दिया ऐसा प्रतीत होता है।[9]

2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जनसंख्या 7,087,068 है जो राज्य की कुल जनसंख्या (26,945,829) का 26.3 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर इस राज्य का देश में चौथा स्थान है। अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण हैं जैसा कि 91.7 प्रतिशत जनजातियाँ गांवों में निवास करती हैं। जनसंख्या का जिलेवार वितरण से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति की उच्चतम अनुपात (68.4 प्रतिशत) गुमला जिले के है।

अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी का आधे से अधिक जनसंख्या लोहरदगा जिले और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हैं जबकि रांची और पाकुड़ में इनकी प्रतिशत 41.8–44.6 है। कोडरमा जिले में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या अनुपात 0.8 प्रतिशत और चतरा में 3.8 प्रतिशत है। झारखंड के 32 आदिवासी समूह अथवा अनुसूचित जनजातियाँ रहती है.

झारखंड में नारियां श्रेष्ठ हैं। यहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मान–महत्व अधिक है। सबसे बड़ी मिसाल यह है कि देश का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 943 हैं, वहीं झारखंड का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं हैं। राज्य के जनजातीय समाज में लिंगानुपात की यह तस्वीर और भी बेहतर है। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1003 हैं, जो आदिवासी समाज में बेटियों के महत्व और उनके प्रति आदर को दर्शाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां देश के कई राज्यों में लिंगानुपात कम हो रहा है, वहीं झारखंड में जनजातीय लिंगानुपात इसी अनुपात में स्थिर है। वहीं आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो अन्य आदिवासी राज्यों की तुलना में यहां स्थिति बेहतर है। राज्य की 86.45 लाख जनजातीय आबादी में महज 3.38 प्रतिषत लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। करीब 97 प्रतिषत आबादी आर्थिक रूप से बेहतर हैं।

डॉ. रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार, भारत में कुल 705 जनजातियाँ अधिसूचित हैं, जिनमें 32 झारखंड में रहती हैं। झारखंड की कुल आबादी का 26.21 प्रतिषत जनजातीय आबादी है। राज्य में जनजातियों की शिक्षा की बात करें तो इनकी कुल साक्षरता दर 57.13 प्रतिशत है। इसमें महिला साक्षरता दर 46.2 प्रतिशत है। 13 जिले पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। सभी जनजातीय समुदायों की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था है।[10]

इन सबकी अपनी विशिष्ट शासन प्रणाली है। उरांव की पड़हा–पंचायत, संथाल की माझी परगनैत, खड़िया की डोकलो–सोहोर, मुंडा–हो की मुंडा मानकी पीर प्रणालियां इनके उदाहरण हैं। यह शासन व्यवस्थाएं जनजातीय समुदायों के सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाकलापों को देखती हैं। समुदाय के सभी सदस्य इसके अंग होते हैं। इसके अधिकारी मानकी, मुंडा, सरदार, प्रमाणिक, मांझी, जोग माझी समेत अन्य अलग–अलग नाम से जाने जाते हैं।आदिवासियों में साफ–सफाई और सौंदर्य उनकी परंपरा का हिस्सा है। स्वच्छ आबोहवा आदिकाल से ही उनके जीवन का अनिवार्य अंग है। संथाल परगना समेत राज्य के अन्य जनजातीय इलाकों में आदिवासी खुद गांवों की सफाई करते हैं। घर की दीवारों की साज–सज्जा और उस पर पारंपरिक पेंटिंग बनाते हैं।

जनजातियों पर घरेलू हिंसा का प्रभावः

बच्चों पर प्रभावः

स्कूल जाने से पहले वाले बच्चेः

अंतरंग साथी हिंसा के गवाह छोटे बच्चे वे चीजें करना शुरू कर सकते हैं जो वे छोटे होने पर करते थे, जैसे कि बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, चीखना और रोना। उनमें नींद की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आतंक के संकेत, जैसे हकलाना या छिपाना दिख सकते हैंय और गंभीर अलगाव चिंता के लक्षण दिखाते हैं।

स्कूल जाने वाले बच्चेः

इस आयु सीमा के बच्चे दुर्व्यवहार के बारे में दोषी महसूस कर सकते हैं और इसके लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वे स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं या अच्छे ग्रेड प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके दूसरों की तुलना में कम दोस्त होते हैं, और अधिक बार परेशानी में पड़ जाते हैं। उनको बहुत अधिक सिरदर्द और पेट में दर्द हो सकता है।

किशोर किशोर जो घरेलू हिंसा के साक्षी होते हैं, वे नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई करना या स्कूल छोड़ देना। वे जोखिम भरे व्यवहार में भी संलग्न हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध और शराब या ड्रग्स का उपयोग करना। उनमें आत्मसम्मान की कमी हो सकती है और दोस्त बनाने में परेशानी हो सकती है। वे झगड़े शुरू कर सकते हैं या दूसरों को धमका सकते हैं और कानून की परेशानी में पड़ सकते हैं। इस तरह का व्यवहार किशोर लड़कियों की तुलना में उन किशोर लड़कों में अधिक पाया जाता है जो बचपन में दुर्व्यवहार के साक्षी होते हैं। लेकिन लड़कियों में अवसाद होने की आशंका रहती है।

वर्तमान समय में जनजातीय समाज में घरेलू हिंसा का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। यद्यपि प्राचीन काल से जनजातीय समाज में सामुदायिक व्यवहार, समानता व एकजुटता दिखाई पडती थी। जिसमें महिलाओं को भी समाज में समान अधिकार प्रदान किया गया था। परंतु बदलते सामाजिक सरोकार एवं विविधता ने जनजातीय समाज के मौलिक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। अब उनमें भी आधुनिक

कुरीतियों जैसे हिंसा, ड्रग्स लेना, शराब पीना जैसी परंपराएं विकसित होती जा रही हैं। जिसका प्रभाव जनजातीय समाज के पारिवारिक संबंधों पर पडता जा रहा है। और आये दिन परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ है। जिससे न सिर्फ परिवार में बिखराव हो रहा है बल्कि सामुदायिक संबंध भी टूटते जा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझावः

अक्सर यह देखा गया कि, घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है। इसके साथ–साथ ऐसे लोगों के अंदर आत्मसम्मान जैसे गुणों की कमी हो जाती है। उनको घबराहट, चिंता और अकेलापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार घरेलू हिंसा की वजह से व्यक्ति नशीले पदार्थो का आदि बनने लगता है। एसी स्थितियो में मनुष्य बहुत जल्द आत्महत्या जैसा रास्ता अपना लेता है।

इसके अलावा जिस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा हुई है, उन्हें मानसिक रूप से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसे लगता है कि, जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया आज वही उसे मार रहा है। हिंसा के वह पल हर समय उनको याद आते रहते है। कई जगहो पर घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक आघात इतना खतरनाक होता है कि, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है।घरेलू हिंसा से ना सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचती है, बल्कि उसका पूरा समाज और परिवार इससे प्रभावित होता है। हिंसा का शिकार हुई महिलाए सामाजिक जीवन की गतिविधियों में बहुत कम भाग लेती है।जब किसी परिवार में ऐसी हिंसा होती है, तब उस घर के बच्चे भी आक्रामक व्यवहार सीखते है। यही बच्चे बड़े होकर घरेलू हिंसा को और बढ़ावा देते है। कुछ लोगों के अनुसार जिन परिवारों में घरेलू हिंसा होती है, वहां डर के कारण बच्चे ठीक से खाना नहीं खा पाते है। ऐसे बच्चो की वृद्धि और विकास में देर लगती है। जिसकी वजह उनकी सीखने–समझने की शक्ति बहुत धीमी और कम हो जाती है।इसलिए हमेशा किसी भी समस्या को बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, क्या पता आपको हिंसा करने की जरूरत ही न पड़े।

घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओ को देख भारत सरकार ने 2005 में ही घरेलू हिंसा अधिनियम कानून बनाया था। इसे 26 अक्टूबर, 2006 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम को महिला एवं बाल विकास आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत शहर में कुल आठ संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते है। इनका काम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनकर जांच पड़ताल करना है। जांच पड़ताल करने के बाद ही पूरे मामले को न्यायालय में भेजा जाता है।अगर किसी महिला को परिवार द्वारा अपशब्द कहे जाए, उनके साथ मारपीट की जाए या उन्हे हर चीज के लिए रोक–टोक की जाए तो ऐसी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उन पर केस दर्ज कर सकती है।

अब पुलिस तो इन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी, लेकिन जब तक सरकार को सामान्य लोगो का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक घरेलू हिंसा जैसी समस्याए जड़ से खत्म नहीं होगी। इसके लिए हमे सबसे पहले दहेज प्रथा को समाज से बाहर निकालनी होगी। क्योंकि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा दहेज के कारण होती है। अगर दहेज प्रथा को समाज से निकाला जाए तो बहुत हद तक हम घरेलू हिंसा को रोक सकते है।पीड़ित महिला के अलावा उसका पड़ोसी या अन्य कोई व्यक्ति महिला की सहमति से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज करके बचाव आदेश प्राप्त कर सकते है। इससे भी हम अपने आस–पास की किसी महिला को घरेलू हिंसा से बचा सकते है। इसके अलावा जब बड़े–बड़े नेता और प्रसिद्ध लोग महिलाओ पर अत्याचार करने वाले लोगो की निंदा करेंगे तो, इससे अपराधियो पर मानसिक दबाव आएग। इससे भी हम कुछ हद तक घरेलू हिंसा को रोक कर सकते है।

इसके लिए हमे खुद ऐसे आश्रय गृहो की स्थापना करनी होगी, जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति रह सके। इससे पीड़ित व्यक्ति के अंदर यह डर खत्म हो जाएगा कि, वो घर से भाग कर कहा जाए। इसके अलावा हमे शक्तिशाली संगठनों को साथ रखना होगा ताकि उस पीड़िता को कोई आश्रय गृहो में मारने आए तो उसका बचाव हो सके।जब पुरुष अपने परिवार की अच्छी देखभाल करेगा और कड़ी मेहनत करके अधिक पैसा कमाएगा तो, शायद पुरुषोंके खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा में जरूर कमी आएगी। इसके अलावा अगर हमारे बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करे और उन्हे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे तो इन्हे भी घरेलू हिंसा से बचाया जा सकता है।अगर हम यही मानसिकता रखें तो बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को भी खत्म किया जा सकता है। और ऐसे कई तरीके है, जिनसे हम घरेलू हिंसा को रोक सकते है। लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को घरेलू हिंसा से कैसे बचाना है।दुनिया का हर व्यक्ति सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन कुछ लालची और अहंकारी लोग अपने से कमजोर लोगों पर हिंसा करते है। इसमे भी खास कर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा आज हमारे किए चिंता का विषय बन गयी है। और जब तक हम सभी भारतीय एक नहीं होंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। इसीलिए आज से ही सरकार और कानून का साथ देकर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाए। क्योकि तभी हम घरेलू हिंसा को जड़ से खत्म कर पाएंगे।

संदर्भ सूची

1. महाजन ए, 1990, इंस्टिगेटरस ऑफ वाइफ बटरिंग, इन सुषमा सुद एडिटेड, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, अरिहंत प्रकाशन, जयपूर पृ 65।
2. निगम शालू, 2008, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडियाः व्हाट वन शुड नो? द पिपुल ट्रस्ट नई दिल्ली पृ 112।
3. सिंह एस सी, 2005, जेंडर वायलेंसः सम कॉनटेक्स्चुअल इश्यूज इन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन हयूमन राइट परसपेक्टिव एडिटेड बाइ देवी उमा, सीरियल प्रकाशन नई दिल्ली पृ 221।
4. उपरोक्त पृ 78।
5. पूर्वोक्त सिंह पृ 79।
6. पूर्वोक्त सिंह पृ 80।
7. भारत की जनगणना 2001 एवं 2011।
8. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.सरायकेला खरसावां.एनआईसी.इन।
9. टोपनो पौलुस, 1984, छोटानागपुर के आदिवासी, सत्य भारती प्रकाशन रांची पृ 23।
10. सिंह सी पी, 1978, द हो ऑफ सिंहभूम, क्लासिकल पब्लिकेसन नई दिल्ली पृ 110।

The Opinion V.11, N. 21 J-J 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.875(IIFS)

Impact of Alcoholism on Street Crime of Jharkhand with special reference to Ranchi City: A Sociological Study

Meera Kumari
Research Scholar,
P.G.Dept. of Sociology,
Ranchi University, Ranchi

Abstract

It is an established fact that Alcohol-related violence is the result of complex interactions between individual and environmental factors that either promotes or inhibits violence. It has been brought out from numerous studies to implicate several variables—including personality factors, individual expectancies, situational elements, and socio-cultural influences—that may interact with alcohol's pharmacologic effects. As it is not clear whether and under which circumstances these interactions may combine to lead to violent episodes. It is also not known to as to which of the interventions might prevent or reduce the likelihood of alcohol-related violence.

Of late, however, using increasingly sophisticated methodology, researchers have made advances in understanding the individual and environmental factors related to alcohol and violence and in addressing the issue of causation. In addition, the field is progressing because of new theoretical frameworks that describe the complex interplay between individual and environmental influences and incorporate an "interactional level" that is influenced by each. This paper is directly focused on the analysis of relationship between the alcoholism and street crime situations in and around Jharkhand. Specifically, researcher has focused over the identification of factors responsible for increasing the street crime in and around Ranchi city area.

Keywords: Adolescent, Crime, Criminals, Ranchi, Youth, Drug, Alcohol

Alcohol is often responsible for criminal activities and violent incidents. Drinking excessively can lower a person's inhibitions and affect their capacity for sound judgement, as well as increasing the risk of aggressive behaviour. This contributes to a high rate of alcohol-related violence and crime. For decades, researchers have studied about the connection between alcohol and crime. The results invariably show that binge-drinking or extended drinking habits greatly increase your risk of carrying out violent or criminal acts. Succumbing to the dangerous effects of alcohol can alter the life – and the lives of others – irrevocably.

'Alcohol-related' crime is a term which is more common in societal use than as a legal phrase. It usually comprises two major offence categories:

- Alcohol-defined offences, like driving under the influence of alcohol or public drunkenness
- Committed offences, where alcohol consumption is believed to have played a part – particularly in a situation where the offender was intoxicated at the time. Common examples include theft while drunk, criminal damage, breach of the peace, and other public order offences

Relationship between Alcohol and Crime

It is because of alcohol that can lower a person's inhibitions and impair their judgement, as well as trigger violent behaviours, It is also a contributing factor in a huge number of offences.

Low doses of alcohol (for example, two to four tots of strong liquor) stimulate the central nervous system (CNS) and produce sensations of euphoria, social and physical warmth, and good cheer. However, in moderate and high quantities, alcohol causes reduced coordination and visual acuity.

An inebriated individual is unable to function intelligibly and can make unsound judgements, which include committing crimes. Any crime you are guilty of committing under the influence of alcohol attracts serious legal consequences, regardless of whether you were *compos mentis* or not.

Alcoholism in Jharkhand

In the state of Jharkhand locally fermented wine Mahua and Rice beer "Hadiya" is popular among the STs, locals and is consumed by majority of tribal population. The name '*hadiya'* is used probably because of the pot in which rice is fermented called "Handi" in local language. Social drinking of *Hadiya*is acceptable and is not considered a taboo even in females. In Eastern Indian states of Jharkhand, Orissa and West Bengal, the indigenous tribes prepare hadiya using rice grain (Karahani and Gora rice) as substrate and fermentation is done using an herbal root mixture called "Ranu" an amalgamation of 21 herbs mixed with polished rice and made in pebble shaped and dried for 4 days. Alcohol content is found to be around 18-20% in this rice beer. 'Mahua' is made by fermentation of flowers of 'Mahua' tree (Madhuca longifolia)[1], an Indian tropical tree. Understanding various dynamic factors involved in substance abuse can aid in formulating effective strategies in preventing and treating them. Numerous causes can influence the onset and continuation of alcohol use. The subjective reasons that are sorted for alcohol intake, influences the interventions. Alcohol intake being a culturally embedded behavior, social enrolment could be the reason for its use. It may also be due to the ingrained low self-esteem, which could be surmounted by the disinhibitory effects of alcohol. The reasons may shift to overcoming the negative emotions that may be arising out of chronic abuse.

In this region, most of the household's brew rice beer. Everyone drinks the *hadiya,* including children. The origin of this tradition goes long back in history. After getting up early in the morning, people start performing their daily chores. Around 11 am, there is a break due to

fatigue, heat and hunger. Traditionally they used to have very less food, and, in this break, they used to eat the leftover rice from the previous day's dinner.

However, that rice used to be so less that people used to make gruel out of it and sip it. At times, this liquid used to remain unused and start stinking. Over a period, people learned a technique to fast forward the fermentation process of this rice using a special mix of various herbs, leading to *hadiya*.It has alcohol as well as other substances which give a different type of high. This is due to the herbs that are added at the start of the brewing process. It is made in a couple of days and needs to be consumed in a couple of days. Beyond that, it becomes bad. A typical vessel used to make *hadiya* is a *thuba* which used to be a container made from leaves. It has an average capacity of half a litre.

Today, they have steel containers of similar shape. *Hadiya* has a sweetish and astringent taste, unlike other alcoholic beverages. Many women also sell it at the rate of ten rupees a *thuba*, especially on the day of the weekly market. It is also offered to guests.[2]

A couple of *thubas* are enough to fill one adult's stomach, and then there is no more hunger. Slowly, it gives you a high and makes you slow and calm. By afternoon, everyone reaches a high and sleeps.

After getting up, a few people go for work if they have anything to do on their farms or continue drinking. Chilies, along with salt, is a typical side dish. Most of the day passes by in this state.

Children are given the same thing to drink throughout the day. In the evening, women prepare some food, and that is the only time when a proper meal is served.

Alcoholic families are more dysfunctional than non-alcoholic families in all areas, including socially, emotionally, andphysically.According to WHO estimates, alcohol abuse causes 3 million fatalities worldwide each year. This accounts for 5.3% of all fatalities. Early in life, alcohol usage results immortality and impairment.[3] Approximately 13.5 percent of all deaths among adults between the ages of 20 and 39 are related to alcohol. Harmful alcohol use has been linked to a variety of mental and behavioural disorders, other noncommunicable diseases, and injuries. Goa (4.2%), Andaman and Nicobar (2.5%), Madhya Pradesh (1.6%), Karnataka (1.0%), WestBengal (0.8%), Kerala (0.7%), Delhi (0.7%), Andhra Pradesh (0.4%), Gujarat (0.3%), Bihar (0.2%), and Uttar Pradesh (0.2%) have the highest percentage of women who drink in India(0.2 %).[4]

Street Crime in Jharkhand

Crime is a social stigma which needs to be addressed beyond talks. In developed country Geospatial technology has become well established within the criminology and forensic fields in recent past. To achieve this proper database of various crimes (state/ district level) should be available for decision making. The crime density such as murder, rape, kidnaping and riots were found in the range of (2.2 to 17.8), (1.6 to 12.6), (2.3 to 10.4) and (1.0 to 17.5) respectively. Murder crime density was highest in Gumla district whereas it was found to be lowest in Giridih

district. Sahebganj district has high crime density for rape and kidnapping. Palamu district had low crime density in rape, whereas Ranchi district recorded low crime density in kidnapping. Crime density for riots was found lowest for district Simdega whereas highest for Koderma.[5]

The state's rate of cognizable crimes against women (i.e., crime per one lakh female populaon) is 33.2, well below states like Assam (131.3), Odisha (84.5), Rajasthan (78.3) and West Bengal (71.2)[6]. Though these stascs on crimes against women do not present an alarming scenario in Jharkhand in comparison to other states, a more realistic picture vis a via violence against women in the state emerges on analysing changes in the rate of crimes against women over the last decade or so. The rate of cognizable rate of crimes against women in Jharkhand has increased from 20.9 in 2006 to 33.2 in 2016, while its incidence increased from 2,979 to 5,453 during the same period. Some of the more prevalent forms of crimes against women in the state include rape, cruelty by husband and his relatives, kidnapping and assault on women.[7]

Besides the forms of violence, it is also useful to understand the prevalence of violence against women in urban and rural areas. This assumes significance especially, because the though the state has a predominantly rural populous, the size and proportion of the urban populous will grow in the coming years. Census data reflects that between 2001 and 2011, while the total populous of the state grew by 22 percent, the rural populous and urban populous of Jharkhand increased by 19.5 percent and 32 percent respectively. Several districts with a relatively high proportion of urban populous are also home to a high incidence of crimes against women in the state; the districts of Bokaro, Dhanbad, Jamshedpur and Ranchi, together accounted for 26.5 percent of the crimes against women reported in 2015[8]. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), there has been a sharp increase (211.71 per cent) in the rate of crime against women between 2001 and 2013. In fact, Ranchi as the State capital and one of its most populated districts reports the highest numbers for crime against women. According to data from Jharkhand police, Ranchi's adjacent districts of Hazaribagh, Gumla and Khunti also report the prevalence of witch hunting, amongst other crimes like dowry death, domestic violence, rape and sexual harassment.

Besides the violence itself, the threat of violence and how it operates in women's lives too deserves cognizance. This is true especially of sexual violence against women and girls in public spaces. The fear of being stalked, stared at or harassed in other ways limits women's movement, violates their autonomy and impinges their access to services and opportunities in urban and peri-urban spaces. Fear and the threat it evokes often leads to women's near exclusion from many parts of public spaces. Women feel forced to withdraw themselves from streets, parks, markets and so on in a manner that only allows them access to 'safe spaces' during certain periods of 'safe time'. That public places should be safe and accessible to everyone, including women, makes women's withdrawal a violation of their right to movement, safety, and inclusion. This is especially true for migrants who move cities in search of better education and employment. Sexual harassment/violence is also tied to identity and its social vulnerabilities (class, location, age, disability, ethnicity, etc.) that further impact access to public spaces.

Women's fear of backlash or retaliation is part of structural violence, a cyclical phenomenon that breeds more sexual harassment/violence.

All these measures are rather essential and therefore welcome, yet there are important elements that can get overlooked. For example, sites that directly or indirectly legitimize subjugation and harassment of women—patriarchal attitudes, socio-economic inequalities, communitarian ideologies and other intersecting forms of power. All these factors compel an urgent need to develop a deeper understanding of the complex spectrum of factors that compromise women's safety and freedom, especially in areas that have seen a rise in sexual offences against women. Any exercise towards prevention of violence against women and girls also needs to be framed within an understanding of women's rights to safety, to a political voice and autonomy of movement, and of course freedom from violence in private and public spaces.

Ranchi City

Ranchi is the capital of the Indian state of Jharkhand. Ranchi was the centre of the Jharkhand movement, which called for a separate state for the tribal regions of South Bihar, northern Orissa, western West Bengal and the eastern area of what is present-day.[9]

An official Census 2011 detail of Ranchi, a district of Jharkhand has been released by Directorate of Census Operations in Jharkhand. Enumeration of key persons was also done by census officials in Ranchi District of Jharkhand.

In 2011, Ranchi had population of 2,914,253 of which male and female were 1,494,937 and 1,419,316 respectively. In 2001 census, Ranchi had a population of 2,350,612 of which males were 1,218,830 and remaining 1,131,782 were females. Ranchi District population constituted 8.83 percent of total Maharashtra population. In 2001 census, this figure for Ranchi District was at 8.72 percent of Maharashtra population.

There was change of 23.98 percent in the population compared to population as per 2001. In the previous census of India 2001, Ranchi District recorded increase of 28.58 percent to its population compared to 1991. [10]

Connection of Alcoholism and Street crime in Jharkhand

Alcohol plays a large role in criminal activities and violence. Excessive drinking can lower inhibitions, impair a person's judgement and increase the risk of aggressive behaviors. Because of this, alcohol-related violence and crime rates are on the rise throughout the country.

Over the past several decades, researchers have examined the relationship between alcohol, drugs and crime. Data suggests that engaging in prolonged drinking or binge drinking significantly increases your risk of committing violent offenses. Giving in to the harmful effects of alcohol can change your life in an instant. Not only are you jeopardizing your future, you are also putting others in danger. Criminal activities come with severe consequences such as time in jail, legal fees and other court-ordered penalties.

A number of individuals that serve time in jail have committed alcohol-related crimes. Offenses range from minor to serious and include property crime, public-order offenses, driving while intoxicated, assault and homicide. On average, roughly 40% of inmates who are incarcerated for violent offenses were under the influence of alcohol during the time of their crime. Many of these criminals had an estimated blood alcohol content (BAC) level of more than three times the legal limit at the time of their arrest. In Ranchi city there is a steady increase in robberies and property-related crime. A number of these robberies – roughly 15% – have been linked to alcohol use. Alcohol can intensify a robber's feelings of desperation and cause them to steal someone's money or property. While some robbers desire a better lifestyle or want to make a quick buck, others can turn into repeat offenders. The consequences of robbing someone is harsh and may entail time in jail, criminal charges on your record, fines and other legal troubles.[11]

Even of the cases of sexual assault are also increasing in the city as it do involve the act like of touching, kissing and intercourse. An estimated 37 % of sexual assaults and rapes are committed by offenders who were under the influence of alcohol. For perpetrators, drinking may intensify their aggressive behavior. This can make them become more forceful when someone tries to resist them. Sexual assault can occur when there is a lack of consent, as well as when the victim is unable to give consent due to intoxication or mental state. One another type of crime that could be seen as part of alcohol abuse is aggravated assault, which is based on the aspect of irritability and extreme mood swings. Because of this, some individuals turn violent after an episode of heavy drinking. Poor decisions and impaired judgment, combined with aggression and hostility, can quickly become dangerous. If violent thoughts and feelings are acted on, it can lead to an aggravated assault charge. About 27% of aggravated assaults are committed by individuals who have used alcohol. Aggravated assault means causing serious injury, such as bodily harm to another person. Criminal charges are much stricter if a weapon is involved.

In Ranchi city another type of abuse is Stress, money trouble, professional instability and a host of other factors can influence the amount of alcohol a person consumes. However, alcoholism not only affects an individual, it impacts family members and friends – including children. Research studies have shown a link between parents who abuse alcohol and the risk of child neglect and abuse. Roughly four in ten child abusers have admitted to being under the influence of alcohol during the time of the offense. Children who are victimized at a young age have an increased risk of developing behavioral and physical problems as they get older.

Conclusion

This analysis has highlighted the various aspects of alcoholism and street crime in the city of Ranchi. The increase of alcohol abuse is not only being prompted by the modern technology and excessive tension, but it is also the state policies that has played the pivotal role toincrease the alcohol abuse. In the state of Jharkhand, state govt. has made the policies for increasing of sale of alcohol in the state and cities. It has given the broader areas of alcohol consumption and its

enhancement of revenues. The alcohol revenue takes the second, third or fourth position in terms of contribution in Government's cash box, with the anomaly of Gujarat, Mizoram, Nagaland, and Bihar, where the alcohol is officially banned. Take for instance of Tamil Nadu; in the last financial year, the Tamil Nadu State Marketing Corporation (Tasmac), the government owned IMFL monopoly, alone paid a whopping Rs 21,800 crores into the government kitty. In Kerala, where 22 percent of the total government revenue came from the bottle, the total excise and commercial tax revenue from alcohol were close to Rs 8,000 crore. In States, such as, Tamil Nadu, Kerala, and Delhi, where the wholesale and retail liquor business is under government control, alcohol revenue is relatively easy to reckon. In Andhra Pradesh, Orissa, Bihar, Chhattisgarh, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Karnataka and Bihar, governments run the wholesale business, leaving retail to private players. Maharashtra's liquor business is in private hands. Liquor provides 20 percent of the share of the government's own revenue in most States. In Kerala, it is now rising 22-23 percent, rising gradually from 15 percent over the past quarter century.[12]

After realizing the amount of Tax that is collected on Alcohol, we clearly understand banning alcohol (as already done by some states) would never be an economically viable option, then what, we can still stil check and regulate the present heavily unregulated, loosely controlled sale. The State Government should regulate the distribution of liquor in a meticulous manner, by providing Alcohol ID Cards, which could be only availed by the people, who is above the prescribed drinking age. Likewise, the Army canteens provide an Identity card to their officers for the purpose of purchasing goods and even liquor, the Army has put a check in purchasing of alcohol, so that the officers can maintain their capability and fitness. Then, why can't the Government apply this system in the process of selling liquor to the people?

Bibliography

1. Tirkey, Bhikhu, 2011, Oraon Sarna Dharma, Satya Bharti, Ranchi PP 13.
2. Ibid Tirkey pp 32.
3. Alcohol Consumption in India on the Rise: WHO Report, 15th May, 2014',Available at http://www.mid-day.com/.articles/alcohol consumption in India on the rise, WHO report/15299173# stash x46dBHqU.dpuf.
4. http://rchiips.org/nfhs/pdf/NFHS3/JH_FactSheet.pdf
5. www.crimeinjharkhand.nic.in
6. NCRB Report 2016
7. NCRB Report 2003
8. NCRB Report 2015
9. www.ranchi.nic.in
10. Census of India 2011
11. Frezza, M.; Di Padova, C.; Pozzato, G.; et al. 1990. High bloodAlcohol levels in women: The role of decreased gastric alcohol dehydrogenase activity and first-pass metabolism. NEngl J Med. 322(2):95-99.
12. Sasi. M. 2011,Knowledge on Ill Effects of Alcoholism and theAttitude Towards Alcoholic Husbands as Perceived by Wives.[Dissertation] Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University, Chennai.